खण्ड-131, अंक-3
बुधवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(10 मार्च, 1954 ई0)

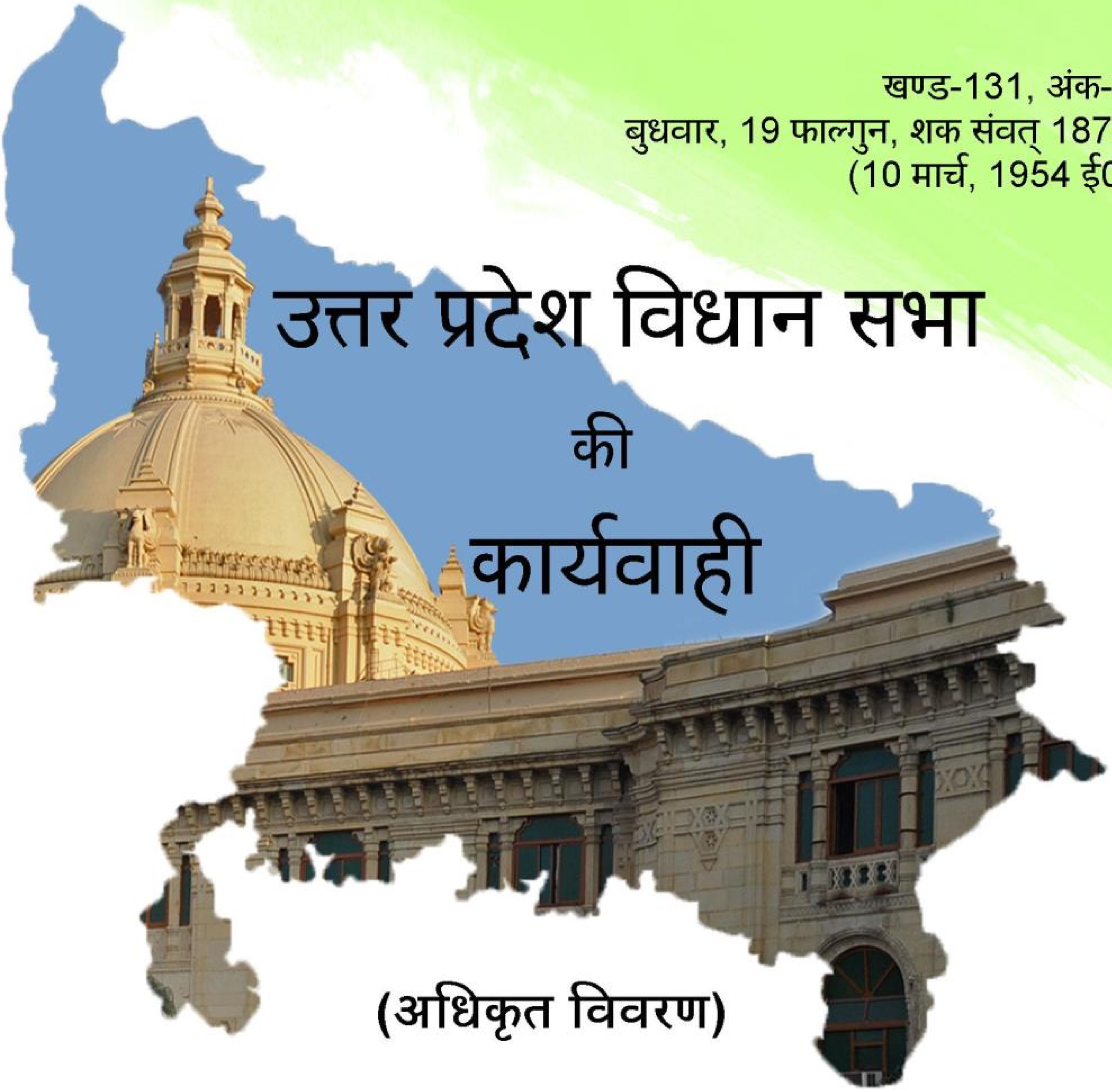

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 131 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० मार्च, १९५४

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४३)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किंदरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पंत, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह, रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त,श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल ,श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा,श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री

विधान सभा

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अस्थाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री

हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अस्थाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

म्युनिसिपल कारपोरेशन बिल

*१—श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह म्युनिसिपल कारपोरेशन बिल सदन के सामने उपस्थित करने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हाँ, म्युनिसिपल कारपोरेशन बिल सदन के सामने लाने का सरकार का विचार अवश्य है । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि कार्य में विलम्ब न हो ।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र—क्या सरकार का खयाल है कि बजट सेशन के बाद वह उस बिल को इंट्रोड्यूस करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे डर है कि इस सेशन में तो जो यह मार्च-अप्रैल का है, यह इंट्रोड्यूस नहीं हो सकेगा ।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिस कार्यक्रम से यह बिल तैयार है उसके अनुसार क्या सन् १९५५ में कारपोरेशन के एलेक्शन हो जायेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह मेरे लिये तिथि निश्चित करना तो कठिन है, लेकिन प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्दी ही यह कारपोरेशन बिल सदन के सामने आये ।

तारांकित प्रश्न

बरेली जिला बोर्ड के अध्यापकों व कर्मचारियों का वेतन

*१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या जिला बोर्ड बरेली सरकार के आदेश के अनुसार अपने अध्यापकों तथा दूसरे कर्मचारियों को वेतन व भत्ता दे रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हाँ ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि इस बोर्ड की ओर से सरकार के सामने कोई माँग भी उपस्थित की गई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—बोर्ड की तरफ से तरह तरह की माँगें समय समय पर उपस्थित होती हैं । किस माँग की ओर इशारा है, यह मुझे साफ मालूम नहीं हुआ ।

श्री गेंदासिंह—मैंने धन की माँग की तरफ निवेदन किया था कि कोई धन की माँग की गई थी अध्यापकों के वेतन देने के संबंध में ?

श्री मोहनलाल गौतम—जहाँ तक अध्यापकों के वेतन का संबंध है, यह बोर्ड १-४-८९ से पे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने यहाँ वेतन दे रहा है और कोई धन की माँग इनके एरियर्स के चुकाने के लिये नहीं आयी। वैसे बोर्डों की तरफसे धन की माँग होती ही रहती है।

नेत्र चिकित्सालय, आजमगढ़ को सरकारी सहायता

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में आजमगढ़ के नेत्र चिकित्सालय को कितनी सहायता प्रदान की गयी है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—इस संस्था को चालू वर्ष में कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि नेत्र चिकित्सालय, आजमगढ़ को अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई है?

श्री बनारसीदास—इसका तो उत्तर दिया ही जा चुका है कि इस साल कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चिकित्सालय किस आमदनी पर चलता है?

श्री बनारसीदास—यह चिकित्सालय आजमगढ़ की डिस्ट्रिक्ट आई सोसाइटी की तरफ से चलता है जो इसके लिये कुछ चन्दे वगैरह का प्रबन्ध कर लेता है कि इसके अतिरिक्त संचालक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ रुपया डिस्ट्रिक्ट के लिये दिया जाता है, उसका भी कुछ रुपया डिस्ट्रिक्ट आई सोसाइटी को मिलता है सम्भवतः जिलाधीश इस अस्पताल को भी उसमें से कुछ सहायता देते हों।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जिला प्लानिंग कमेटी ने सरकार के पास आवेदन-पत्र भेजा है कि इस चिकित्सालय को तात्कालिक सहायता मिलनी चाहिये?

श्री बनारसीदास—यह ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से क्षेत्रीय योजना चलती है नेत्र चिकित्सा के लिये और आजमगढ़ भी सीतापुर के जोन के अन्दर है। सीतापुर को अबतक ४० हजार रुपया मिलता था। अब आगे से ५५ हजार रुपया हो गया है। वही इसका भी प्रबन्ध करता है। इसलिये सरकार अलग से उसका प्रबन्ध नहीं कर सकती।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी वर्ष सरकार का कुछ सहायता करने का विचार है?

श्री बनारसीदास—जी नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई अनुदान देना संभव नहीं है लेकिन डाइरेक्टर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के डिस्पोजल पर ७५ हजार रुपया होता है। हर साल वह डिस्ट्रिक्ट आई सोसाइटी को कुछ रुपया देते हैं। इस साल भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को १८ सौ रुपया दिया गया है और सिविल सर्जन को ३०० रुपया दिया गया है। इस रकम में से वह इस अस्पताल को भी कुछ सहायता दे सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ७५ हजार रुपया जो दिया जाता है उसमें से कितना रुपया आजमगढ़ को दिया जाता है?

श्री बनारसीदास—यह तो मैंने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को १८ सौ रुपया और सिविल सर्जन को ३ सौ रुपया दिया जा चुका है।

प्रान्त में एलोपैथिक अस्पताल

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रांत में सन् १९५३-५४ के बजट के अनुसार कहाँ-कहाँ एलोपैथिक अस्पताल खोले जा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—सन् १९५३-५४ के बजट के अनुसार निम्नलिखित स्थानों पर एलोपैथिक अस्पतालों के खुलने के लिये सरकारी आदेश जा चुके हैं।

मर्दाने अस्पताल—

१—दोस्तपुर (सुल्तानपुर)
२—बरबर (खीरी)
३—लछमनपुर (प्रतापगढ़)
४—भिटौली (बाराबंकी)
५—नवानगर (बलिया)
६—बिराँव (बनारस)
७—गौड़ (बस्ती)
८—भाटपार रानी (देवरिया)
९—फाजिल नगर (देवरिया)
१०—स्यालदे (अलमोड़ा)
११—खुर्जा (बुलन्दशहर)
१२—फिरोजाबाद (आगरा)
१३—बौंदी (बहराइच)
१४—गिलौला (बहराइच)
१५—लछमनपुर (बहराइच)

जनाने अस्पताल—

१—ऋषिकेश (देहरादून)
२—कैराना (मुजफ्फरनगर)
३—पिहानी (हरदोई)
४—भरथना (इटावा)

इसके अलावा निम्नलिखित अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया गया है—

१—लोकेन्द्र अस्पताल, जगमनपुर (जालौन)।
२—खेतान जनाना अस्पताल, पडरौना (देवरिया)।
३—सिधारी जनाना अस्पताल, हाथरस (अलीगढ़)।

इसके अतिरिक्त सिसवा बाजार (गोरखपुर) में एक जनाना अस्पताल तथा रामगढ़, जिला नैनीताल के एक मर्दाने अस्पताल के खुलने के तथा होलीपुरा अस्पताल (आगरा) के प्रान्तीयकरण के लिये आदेश इसी वर्ष जाने वाले हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नये अस्पताल खोलने और पुराने अस्पतालों के प्रान्तीयकरण की पद्धति पर सरकार की क्या नीति है ?

श्री बनारसीदास—जहाँ तक नये अस्पतालों का सवाल है उसके लिये वर्क्स बजट में प्राविजन होता है। जहाँ तक नयी डिस्पेंसरीज खोलने का संबंध है वहाँ पर जिलों में ऐडवाइजरी कमेटीज होती हैं, उनसे पूंछताछ करने के बाद वहाँ पर जहाँ उपयुक्त स्थान मिलता है और पाँच मील के दायरे के अन्दर कोई अस्पताल नहीं होता है और कुछ जनता की सहायता भी मिल सकती है वहाँ पर खोलने का निश्चय करते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जितने अस्पताल खोलने के लिये आदेश सरकार की ओर से प्रदान किये गये हैं वहाँ पर अभी इमारतें बनवाने का काम शुरू नहीं किया गया है ?

श्री बनारसीदास—बहुत सी जगह इमारतें बन गयी हैं। कहीं पर नहीं बन सकी हैं। कहीं जनता की तरफ से मुफ्त इमारतें मिल गयी हैं और कहीं रेंटेड बिल्डिंग्ज के अन्दर डिस्पेंसरीज चलती हैं।

आजमगढ़ सदर अस्पताल

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि आजमगढ़ सदर अस्पताल को कहीं दूसरी जगह विस्तृत दायरे में बनाने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ सदर अस्पताल में कितने रोगियों की चारपाई रखने का स्थान है ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि आजमगढ़ अस्पताल जहाँ बना हुआ है वहाँ पर उसका फैलाव करने का स्थान नहीं है ?

श्री बनारसीदास—यह सही है लेकिन उसके विस्तार के लिये सरकार के सामने प्रस्ताव विचाराधीन है और उसके नजदीक ही कुछ जमीन जिसका रकबा ६.७४९ एकड़ है उसका एक्वीजीशन भी किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह अस्पताल जिसको बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है वह कबतक पूरा किया जायगा ?

श्री बनारसीदास—मैंने अर्ज किया कि वहाँ इस जमीन के एक्वीजीशन की कार्यवाही चल रही है। उसके बाद इसका विस्तार करने का प्रयत्न अगले वर्ष में किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही कब तक पूरी की जा सकेगी ?

श्री बनारसीदास—उसके लिये रुपये का प्राविजन तो किया जा चुका है और आशा यह है कि जल्दी ही वह भूमि मिल जायगी।

आगरा ड्रेनेज स्कीम

*५—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की Sewers Scheme कब बनी, उस पर कब कार्य आरम्भ हुआ, कितना रुपया खर्च हो चुका है और अब यह योजना कब से अधूरी पड़ी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आगरा ड्रेनेज स्कीम १९४६ में बनी। कार्य १९४८ से आरम्भ हुआ और अबतक २३ लाख रुपया खर्च हो चुका है। परन्तु Sewage farm के लिये भूमि प्राप्त न होने के कारण योजना का कार्य १९५२ से रुका हुआ है।

*६—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना कबतक पूरी हो जायेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—सम्भवतः भूमि प्राप्त होने के दो या तीन वर्ष उपरान्त।

श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—उस भूमि को प्राप्त करने के लिये सरकार की तरफ से अबतक क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं और इसके मिलने की कबतक सम्भावना है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५ व ६ श्री रमेश वर्मा ने पूछे।

श्री मोहनलाल गौतम--भूमि प्राप्त करने के लिये जो कानूनी कार्यवाही होती है वह सब हुई। देर इसलिये हुई कि वहां बड़ा भारी कम्पेटीशन था, जिनको वह जमीन उठाई गई थी वे लोग उस जमीन को देना नहीं चाहते थे। लेकिन अब एक या दो माह के अन्दर उस भूमि के प्राप्त होने की आशा है।

श्री रमेश वर्मा--क्या सरकार इस गंदे पानी को आबपाशी के रूप में किसानों को देकर अन्न की समस्या को हल करने की कोशिश करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम--अगर कोई प्रस्ताव आयेगा तो उसपर विचार किया जायेगा।

बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद की ग्राम सभाओं का धन

*७--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)-- क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर की किस-किस ग्राम सभा का कितना-कितना रुपया तहसील में जमा है?

श्री मोहनलाल गौतम--तहसील में किसी भी गांव सभा का रुपया जमा नहीं होता। गांव सभाओं का रुपया जिला पंचायत अधिकारी के वैयक्तिक लेखे में जमा रहता है और तहसील सिकंदराबाद की १५१ गांव सभाओं का जितना धन पृथक-पृथक उस वैयक्तिक लेखे में जमा है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २११-२१५ पर)

*८--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार यह बतायेगी कि किस-किस ग्राम सभा ने अपना रुपया तहसील से वापस लेने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं और उनपर क्या कार्यवाही हुई।

श्री मोहनलाल गौतम-- तहसील सिकन्दराबाद की कुल गांव सभाओं ने अब तक ६६१ प्रस्ताव रुपया निकालने के लिये भेजे हैं जिनमें ६४६ प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा चुकी है और गांव को रुपया दिया जा चुका है जिसका गांव सभा वार उल्लेख संलग्न सूची के स्तम्भ ४ में किया गया है।

(देखिये नथी 'क' आगे पृष्ठ २११-२१५ पर)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पंचायत अधिकारियों को रुपया तहसील में जमा करना होता है या बैंक में?

श्री मोहनलाल गौतम--रुपया तो तहसील में जमा होता है लेकिन हिसाब जिला पंचायत अधिकारी के दफ्तर में रक्खा जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ६६१ प्रस्ताव जो इसमें बतलाये गये हैं वे एक-एक गांव सभाओं के १४-१४, १३-१३ और १२-१२ एक ही धनराशि को निकालने के लिये भेजे गये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--एक ही धनराशि निकालने का मतलब तो मैं नहीं समझा लेकिन जो-जो प्रस्ताव रुपया निकालने के लिये आये उनको ले लिया गया।

श्री रामचन्द्र विकल--एक ही धनराशि से मेरा मतलब है एक ही प्रस्ताव जो शुरू में भेजा गया उसके बाद उसकी कापी भेजी गई?

श्री मोहनलाल गौतम--ऐसा होना नहीं चाहिये। अगर माननीय सदस्य नोटिस में ऐसी कोई बात लायेंगे तो उसकी जांच की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि ग्राम सभा के अधिकारियों को रुपया निकालने में कठिनाई होती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—हो सकता है कि कहीं कठिनाई पड़ी हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि ग्राम पंचायतों का रुपया ग्राम प्रधानों के नाम बैंक में जमा हो ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है, लेकिन जो दिक्कत ग्राम सभाओं को है उस पर विचार जरूर किया जा रहा है।

खाद्य तथा रसद विभाग के निकाले हुये कर्मचारी

*९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार के ऐसे कोई आदेश हैं कि खाद्य एवं रसद विभाग के निकाले हुये कर्मचारियों को सभी विभागों में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री बनारसीदास—जी हां। खाद्य तथा रसद विभाग के निकाले हुए कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधायें दी जायं इस प्रकार के आदेश सरकार ने जारी किये हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि रसद विभाग के कितने नान-गजेटेड आफिसर्स और कितने गजेटेड आफिसर्स इसमें बेकार होने जा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—अब तक ८२ गजेटेड आफिसर्स निकाले जा चुके हैं, और नान-गजेटेड में १,७४१ इंस्पेक्टर्स, मिनिस्ट्रियल में २,६१९ और इनफीरियर में २,३४४ निकाले जा चुके हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बतलायेगी कि कितने लोगों को अबतक सर्विस दिलाई जा चुकी है ?

श्री बनारसीदास—अब तक सूचना जो यहां प्राप्त हो चुकी है उसके अनुसार २५ गजेटेड आफिसर्स और ८३ नान-गजेटेड को नौकरी मिल चुकी है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शेष को वह कबतक नौकरी पर लगाने का विचार रखते हैं ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन प्रयत्न इस बात का किया जा रहा है कि जहां अन्य विभागों में जगहें निकलती हैं वहां उनको स्थान दिये जायं और अन्य लोगों के मुकाबले में उनको तरजीह दी जाय।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कानपुर में ट्रान्सपोर्ट और प्लानिंग विभाग में जो जगहें खाली हैं उन पर इन निकले हुए लोगों को नहीं लिया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार का आदेश तो सभी विभागों को दिया गया है कि वहां ऐसे राशनिंग और सप्लाईज के निकाले हुए लोगों को रक्खा जाय, लेकिन यह शिकायत जो आपको है इसी प्रकार की और शिकायतें हमारे पास आई हैं कि कुछ विभाग इन लोगों को लेने में आनाकानी करते हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थायी रूप से रखा जायगा ?

श्री बनारसीदास---इस समय इस प्रकार का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

जिला खीरी के कस्बा धौरहरा कलां को टाउन एरिया बनाना

*१०---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार ने कभी कस्बा धौरहरा कलां जिला खीरी को टाउन एरिया बनाने का विचार किया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---जिला खीरी के कस्बा धौरहरा कलां को टाउन एरिया बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*११---श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कस्बा धौरहरा कलां, को टाउन एरिया न बनाने के क्या कारण हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कस्बा धौरहरा को कब तक टाउन एरिया घोषित कर दिया जायगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---निश्चित समय तो देना कठिन है, लेकिन अब यह सवाल विचाराधीन है और जल्दी ही इस पर फैसला करने का इरादा है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--- क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में कागजात कब से चल रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---टाउन एरिया बनाने के कागजात पहले नहीं चल रहे थे इसलिये कि वहां का इन्तजाम ताल्लुकेदारों के हाथ में था लेकिन जब से जमींदारी खत्म हुई तब से यह प्रश्न उठा और इसको इसलिये मुल्तवी कर दिया गया था कि पिछले अक्तूबर में जो जनरल एलेक्शन होने वाले थे उनके पहले टाउन एरिया बनाना मुनासिब नहीं समझा गया।

अल्मोड़ा के लोहाघाट अस्पताल के प्रांतीयकरण की मांग

*१२---श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत लोहाघाट अस्पताल के प्रान्तीयकरण की मांग जनता तथा प्रतिनिधियों ने सरकार से की है ?

श्री बनारसीदास---जी हां।

*१३---श्री खुशीराम---क्या यह सही है कि १२ जनवरी, सन् ५४ को टनकपुर-लोहाघाट रोड पर जो मोटर दुर्घटना हुई उसके आहतों को अस्पताल में विस्तर आदि की कमी से कष्ट रहा ?

श्री बनारसीदास---सरकार को सूचना मिली है कि उक्त दुर्घटना के आहतों की संख्या लोहाघाट अस्पताल में उपलब्ध खाली शय्याओं की दुगुनी से अधिक थी। आहतों की चिकित्सा तथा सुश्रूषा के लिए यथा संभव प्रबन्ध किया गया तथा उनकी उचित रूप से देखभाल की गई।

श्री खुशीराम---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस मांग पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसीदास---इसमें तो कोई मांग करने का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष---इसमें मांग का शब्द है।

श्री बनारसीदास---जी हां, उसका उत्तर दिया जा चुका है और उसमें मांग की गयी है, लेकिन सरकार के सामने इस वक्त प्रान्तीयकरण का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्पताल में कितने मरीजों के रहने की जगह थी ?

श्री बनारसीदास---अस्पताल में ८ शय्याओं का स्थान था।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--- क्या सरकार को विदित है कि जो ग्रान्ट इन्डोर पेशेन्ट के लिये लोहाघाट अस्पताल की है वह इतनी नहीं थी कि वह अपने वहां इतने पेशेन्ट को ले सकें ?

श्री बनारसीदास---जी हां, जिस रोज की यह दुर्घटना का जिकर है उस रोज ६ स्थान खाली थे और रोगी ६ से अधिक थे। बाकी रोगियों के लिये वहां टेंट में इन्तजाम किया गया था और उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई।

जिला गाजीपुर के शहर के राशन गोदाम की जांच

*१४---श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के शहर के राशन गोदाम की जो जांच हो रही थी उसका परिणाम क्या हुआ ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---गाजीपुर शहर के राशन गोदाम की जो जांच हो रही थी उसमें अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ।

*१५---श्री शिवपूजन राय---क्या उक्त गोदाम से कुछ कर्मचारी (चौकीदार) निकाल दिये गये हैं ? अगर ऐसा है, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। दो चौकीदार जिनका काम खराब था और जिनकी ईमानदारी पर सन्देह था नौकरी से हटा दिये गये हैं ?

श्री शिवपूजन राय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौन साहब जांच कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और उसमें कहां तक कार्यवाही हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस मामले की जांच टी० आर० ओ०, डिप्टी आर० एफ० सी० और आर० एम० ओ० ने की और वह लगभग समाप्त हो गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---गाजीपुर राशन गोदाम में कितने रुपये के सामान की चोरी हुई है, क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इसकी इस समय सूचना नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह बात सही है कि निकाले गये चौकीदारों ने ही इस गोदाम से माल कम हो जाने की इत्तिला दी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---यह मुमकिन हो सकता है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--उस घटना की रिपोर्ट किसने की और उसमें क्या आरोप किये थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--मई में जब प्रसाद ऐंड कम्पनी के गोदाम से चावल ५४ नम्बर गोदाम में लाया गया तो मालूम हुआ कि उसमें ४ प्रतिशत चावल कम है। जून में फिर जांच की गई और मालूम हुआ कि ९ फीसदी चावल कम है। इसलिये टी० आर० ओ० ने इस मामले की रिपोर्ट आर० एफ० सी० को की और अपने आप जांच शुरू कर दी।

श्री कमला सिंह--पहली बार कमी मालूम होने पर कोई कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--हां, उसकी फौरन रिपोर्ट आर० एफ० सी० को की गई।

गाजीपुर के सरकिल पंचायत करीमउद्दीनपुर में श्रमदान

*१६--श्री शिवपूजन राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के सर्किल पंचायत करीमउद्दीनपुर में श्रमदान से कौन-कौन सा कार्य हुआ है और क्या वह कार्य पूरा हो गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१६-२१७ पर)

श्री शिवपूजन राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसमें सरकारी खर्च कितना हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसका अलग हिसाब नहीं रखा जाता है।

जिला जौनपुर में टाइफाइड और मलेरिया से मृत्युएं

*१७--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जुलाई से २५ अगस्त, सन् १९५३ में जौनपुर जिले में कितनी मृत्युएँ टाइफाइड और मलेरिया से हुई हैं ?

श्री बनारसीदास--जिला स्वास्थ्याधिकारी, जौनपुर से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि जौनपुर जिले में ३३९ मृत्यु मलेरिया तथा ६७ मृत्यु मियादी बुखार से १ जुलाई से २५ अगस्त, १९५३ तक हुई हैं।

*१८--श्री रमेशचन्द्र शर्मा- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाइफाइड से बचने के लिये अब तक जौनपुर में कुल कितने टीके लगाये गये ?

श्री बनारसीदास--जिले के अन्दर इस समय में १५० टीके मियादी बुखार को रोकने के हेतु लगाये गये हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मियादी बुखार से मरने वाले लोगों की तादाद पूरे जिले की है या अस्पताल में मरे लोगों की है ?

श्री बनारसीदास--यह संख्या जो दी गई है तमाम जिले की है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या जौनपुर जिले में कालाजार से बहुत ज्यादा मृत्यु हुई है ?

श्री बनारसीदास--इस समय मेरे पास इसकी सूचना नहीं है लेकिन यह सही है कि जौनपुर जिले में कालाजार की बीमारी होती है और उससे मृत्यु हो सकती है।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में मलेरिया निरोध कार्य

*१९--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में मलेरिया विरोधी-कार्य इस वर्ष क्या किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास--सरकार ने सन् १९५२ से एक मलेरिया निरोधक योजना कार्यान्वित की है जिसमें गोरखपुर तथा देवरिया जिले भी सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के ५०० गांवों में घर-घर डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया। जो १९५३ में भी जारी रहा है और आगामी वर्षों में भी जारी रहेगा।

*२०--श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर के दक्षिण में एक नयी बीमारी का जन्म हुआ है, जिसके होते ही लोग मर जाते हैं।

श्री बनारसीदास--जी नहीं, हाकिम परगना सलेमपुर, सिविल सर्जन तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी, देवरिया किसी के पास इस प्रकार के नये रोग की सूचना नहीं है।

*२१--श्री बद्रीनारायण मिश्र-- यदि हां, तो वह बीमारी क्या है और उसे रोकने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री बनारसीदास--प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि देवरिया जिले के किन-किन गांवों में मलेरिया निरोधक कार्य हुए हैं?

श्री बनारसीदास--नामों की सूची देना बड़ा कठिन है लेकिन देवरिया जिले के पडरौना तहसील के गांवों के अन्दर डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या और तहसीलों में मलेरिया का प्रकोप नहीं है?

श्री बनारसीदास--देवरिया जिले में पडरौना तहसील में ही मलेरिया ज्यादा फैलने की सूचना थी दूसरी और जगहों की ऐसी सूचना नहीं थी।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी यह सूचना मंगाने की कृपा करेंगे कि मलेरिया का प्रकोप और तहसीलों में है या नहीं?

श्री बनारसीदास--जी हां, इसकी सूचना मांग ली जायगी।

श्री रामेश्वरलाल--क्या यह सही है कि मलेरिया निरोधक अन्य प्रयोगों के साथ नामीनल कीमत पर मच्छरदानी भी देने की सरकार व्यवस्था करेगी?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में डी० डी० टी० का स्प्रे हुआ है, उन्हीं गांवों में स्प्रे हो रहा है या ५०० गांव अदलबदल कर हो रहा है ?

श्री बनारसीदास—जहां पर मलेरिया यूनिट काम करती है उनके लिये उन्हीं क्षेत्रों को चुना जाता है जहां मलेरिया होने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिये गोरखपुर जिले के अन्दर महाराजगंज तहसील इसके लिये चुना गया है।

*२२—**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)—[७ अप्रैल, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद कुम्भ के अवसर पर दुर्घटना

*२३—**श्री रामअधार तिवारी** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३ फरवरी को कुम्भ मेले के अवसर पर मेला-क्षेत्र में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुम्भ के अवसर पर हुई दुर्घटना में ३५० और ४०० के बीच व्यक्तियों की मृत्यु का अनुमान है।

*२४—**श्री रामअधार तिवारी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रश्न के उत्तर के लिये माननीय सदस्य कुछ समय की प्रतीक्षा करें। शासन ने प्रमाणिक रूप से कारण जानने के लिये एक जाँच समिति बनाई है, और इस समिति का निर्णय सर्वसाधारण को यथा समय सुलभ किया जायगा।

श्री रामअधार तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी आँकड़ों का क्या आधार है ?

श्री मोहनलाल गौतम—मरे हुए लोगों को गिन कर।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मरे हुए लोगों की गिनती किन लोगों ने की ?

श्री मोहनलाल गौतम—इन आदमियों की गिनती बहुत से लोगों ने की, जिनमें सरकारी अफसर, अस्पताल के अफसर और कुछ हमारे जर्नलिस्ट भाई भी हैं ?

श्री कमलासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो संख्या उन्होंने मरने वालों की दी है उनमें वे लाशें भी शामिल हैं, जो इस घटना के बाद नदी में तैरती हुई पायी गयी थीं।

श्री मोहनलाल गौतम—लाशें नदी में बहती हुई जरूर पायी गयी थीं, यह कौन सी थीं, यह मैं नहीं जानता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—कौन जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद था जिसने गिनती की, क्या माननीय मंत्री जी उसका नाम बतायेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—इतना ही मुझे मालूम है कि कुछ जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे जिन्होंने वहाँ गिनती की।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस जर्नलिस्ट ने गिनती की उसने खुद अपने अखबार में ५०० से ज्यादा की फिगर्स प्रकाशित की ?

श्री मोहनलाल गौतम--अखबार वालों ने कई प्रकार के फिगर्स निकाले जिनको कि वे स्वयं बाद में असत्य समझते हैं।

अति वृष्टि तथा बाढ़ के कारण जिला बोर्ड आजमगढ़ को क्षति

*२५--श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष अति वृष्टि तथा बाढ़ के कारण आजमगढ़ जिला बोर्ड की सड़कों, पुलियों, स्कूलों, भवनों आदि की बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसका अनुमान करीब ४ लाख रुपये का लगाया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हाँ।

*२६--श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या जिला बोर्ड आजमगढ़ ने इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने के लिये सरकार को आवेदन-पत्र दिया है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हाँ।

*२७--श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उक्त बोर्ड को कुछ सहायता देने का निश्चय किया है ? यदि हाँ, तो कितने की ?

श्री मोहनलाल गौतम--चालू वित्तीय वर्ष के सरकारी बजट में इस सम्बन्ध में अनुदान दिये जाने का प्राविधान न होने के कारण जिला बोर्ड का आवेदन-पत्र स्वीकार न किया जा सका।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि आर्थिक कठिनाई की वजह से इन सड़कों तथा भवनों का निर्माण-कार्य जिला बोर्ड स्वयं नहीं करा सका है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह बात सही है कि जिला बोर्ड की आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं है कि तमाम सड़कों तथा भवनों को अच्छी हालत में रख सकें।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि अगले वर्ष जिला बोर्ड को कुछ अनुदान इस सम्बन्ध में दें ?

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय सदस्य ने बजट में देखा होगा कि इस वर्ष के बजट में ५ लाख रुपया फ्लड एरिया के लिये बिल्डिंग तथा रोड्स के लिये रक्खा गया है।

प्रधान ग्राम पंचायत बुधवारा, हमीरपुर के विरुद्ध ग़बन की शिकायत

*२८--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रधान ग्राम पंचायत बुधवारा (हमीरपुर) के हिसाब में किसी प्रकार के गबन की शिकायत थी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हाँ। श्री रामलाल प्रधान बुधवारा ने पंचायत धन का अपहरण एवं दुरुपयोग किया है।

*२९--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--प्रधान पदच्युत हैं तथा तीन वर्ष तक पंचायत के किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिये नियमानुसार अयोग्य घोषित कर दिये गये हैं। उनके विरुद्ध जुडिशल मैजिस्ट्रेट महोबा की अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा ४०९/४७१ के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रधान का पद कब से रिक्त है? क्या उसकी पूर्ति किसी चुनाव द्वारा हुई है, यदि नहीं तो कब तक हो जायगी?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

जिला बोर्ड जौनपुर को सड़कों के सुधार के लिये अनुदान

*३०--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जौनपुर को उसने सन् १९४९-५० ई० में कितना रुपया डि० बोर्ड की सड़कों के बनाने के लिये दिया था?

श्री मोहनलाल गौतम--सन् १९४९-५० में सरकार ने जिला बोर्ड, जौनपुर को उसकी सड़कों के सुधार के लिये एक लाख रुपये का अनुदान दिया था।

*३१-**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० ने कौन कौन सी सड़कें फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जौनपुर को वापस कर दी हैं और उसके साथ-साथ कितना रुपया दिया है?

श्री मोहनलाल गौतम--राजकीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवम्बर, १९५२ में जिला बोर्ड को निम्नांकित कच्ची सड़कें पुनर्संक्रामित की गई थीं:

सड़कों का नाम			लम्बाई मीलों में
१--मुफ्तीगंज-बेसारा	..	..	६
२--गौरवाह-बड़ागाँव	..	..	५
३--सरपतहा-कैराडीह	..	..	९
४--कैराडीह-पिलकिछा	...	..	२
५--बदलापुर-घनश्यामपुर	..	..	५
६--बक्मा-शई	..	..	४
७--महाराजगंज-बदलापुर	..	..	६
८--महाराजगंज-राजाबाजार		..	६
९--मुंगरा-नीमापुर	..	..	५
१०--बरसठी-रामपुर	..	..	९
११--मछलीशहर-बड़ेरी	..	..	६
१२--गुलजारगंज-बरईपार	..	..	८
१३--मड़ियाहूं-हुसेनपुर	..	..	६
१४--जलालगंज-महरावाँ	..	..	४
१५--जलालपुर-खर्गसेनपुर	..	..	६
१६--चन्दवक-पतरही	..	..	४
		योग ..	९१

इन सड़कों के रखरखाव के लिये सन् १९५२-५३ में बोर्ड को २०,१०० रुपये सरकार द्वारा दिये गये थे।

श्री बाबूनन्दन—एक लाख रुपये में किन-किन सड़कों का सुधार किया गया है?

श्री मोहनलाल गौतम—इस अनुदान से बोर्ड ने लगभग सभी सड़कों को अधिक से अधिक सम्भव मरम्मत कराया। इस अनुदान के अतिरिक्त लगभग २७ हजार रुपये अपनी निधि से बोर्ड ने व्यय करके सड़कों को ठीक कराने का प्रयत्न किया।

श्री बाबूनन्दन—पी० डब्ल्यू० डी० की जो सड़कें जिला बोर्ड को वापस कर दी गयी हैं क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने की कृपा करेगी?

श्री मोहनलाल गौतम—जो सड़कें वापस की हैं उन्हीं के रखरखाव के लिये यह रुपया दिया गया है?

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार सड़कों पर पड़े हुये ड्रेन पाइप को जिला बोर्ड को देने को तैयार है?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी मुझे यही नहीं मालूम है कि वहां पर ड्रेन पाइप्स हैं। इसलिये दूसरे हिस्से का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है।

*३२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२४ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

५ मार्च, १९५४ के प्रश्न संख्या २६ के श्री कृष्णशरण आर्य के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री द्वारा शोधन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने ५ तारीख को श्री कृष्णशरण आर्य के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि रामपुर के श्री फरीदुद्दीन वकील उर्फ अच्छे मियां गिरफ्तार किये गये थे। जांच करने पर माननीय गृह मंत्री जी को मालूम हुआ कि वह फरीदुद्दीन नहीं हैं बल्कि शायद फकीरचन्द से उनको भ्रम हो गया हो। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं वह भी श्री रामनरेश, श्री फकीरचन्द, श्री याकूब खां और श्री अकबर हैं। उन्हें जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने सूचना दी कि पूरक प्रश्न के उत्तर में दुरुस्ती कर ली जाय। यह दुरुस्ती कर दी जायगी।

श्री गेंदासिंह द्वारा उत्थापित विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—मैं श्री गेंदासिंह जी से कहूंगा कि नियम १४ के अनुसार उनको इस बात की अनुमति है कि वह विशेषाधिकार का प्रश्न सदन के सूचनार्थ उपस्थित करें और बतायें कि वह किस तरह से इसे वैध समझते हैं।

†**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—मैं और श्री राजवंशी राय, सदस्य, विधान सभा गत ७ फरवरी को तमकुही रोड चीनी मिल (देवरिया) के दरवाजे पर भारतीय दंड विधान की धारा ३४१ के अनुसार गिरफ्तार किये गये, और उसी दिन रात को गोरखपुर जिला जेल में बन्द कर दिये गये। हमारे वारेन्ट पर २१ फरवरी को अदालत में पेश करने का उल्लेख था। इस प्रकार १५ दिन का रिमाण्ड दिया गया था। जेल मैनुअल की धारा ४१३ और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ३४४ के अनुसार कोई

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचाराधीन कैदी (under trial) बिना दूसरे रिमान्ड के १५ दिन से अधिक बन्द नहीं रखा जा सकता। फिर भी हमें बिना रिमाण्ड के २७ फरवरी तक जेल में बन्द रखा गया और विधान सभा के बजट अधिवेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने से जानबूझ कर वंचित किया गया।

इस अनधिकृत रूप से जेल में बन्द रखने के विरुद्ध जब हमने शिकायत की और रिहाई की माँग की तो बराबर ऐसी कार्यवाहियों को दबाया गया और आपकी भी सहायता पाने से हमें वंचित रखा गया। २३ फरवरी को हमने शुभमूर्ति माननीय राज्यपाल, आपको तथा माननीय मुख्य मंत्री को तार द्वारा सूचना दी, परन्तु उन तारों को जिलाधीश देवरिया ने उल्लिखित अधिकारियों तक पहुंचने में बाधा डाली।

आपको हमारे विरुद्ध ३४१ के अभियोग की ही सूचना दी गई। परन्तु बाद में भारतीय दंड विधान की धारा १४७ और ३२३ भी बढ़ा दी गई। आपको सूचना भी गलत दी गई।

इस प्रकार श्री रायजादा सुपरिंटेंडेंट जेल, गोरखपुर, श्री विद्याप्रसाद शुक्ल जिलाधीश, देवरिया तथा श्री श्याम मुरली मनोहर श्रीवास्तव, एस० डी० एम० पडरौना ने हमें विधान सभा की बैठक में भाग लेने से वंचित कर विशेषाधिकार की अवहेलना की है।

अतः इन व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना करने की उचित कार्यवाही की जाय।

अध्यक्ष महोदय, ७ तारीख को मैं और श्री राजवंशी राय जो कि विधान सभा के सदस्य हैं गिरफ्तार किये गये और २१ तारीख तक जेल में रक्खे गये। जेलखाने में रक्खे जाने की वजह से हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसमें भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। मैं उस विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाना नहीं चाहता, क्योंकि हमने जानबूझ कर कानून की अवहेलना उस समय की थी और उस कानून की अवहेलना के इलजाम में जो कुछ भी सजा होती उस सजा से हमें कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत खासतौर से इस पर है कि २१ तारीख के बाद २७ तारीख तक हमें रक्खा गया और जानबूझ कर इसलिये रक्खा गया कि हम विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा न ले सकें।

दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की गैर कानूनी कार्यवाही उन्होंने करनी शुरू की तो मैंने यह उचित समझा अपने लिये कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास, आपके पास और माननीय राज्यपाल महोदय के पास जहाँ से कि मैं राहत पा सकता था, मैंने शिकायत पहुंचाने का यत्न किया, लेकिन उस शिकायत को भी हमारे तार को और हमारी चिट्ठी को यहाँ तक पहुंचने नहीं दिया गया।

तीसरी चीज यह है कि उन्होंने हमारी गिरफ्तारी की जो सूचना दी वह गलत दी। इसलिये हम यह कहते हैं कि उनकी नियत खराब थी। उनकी नियत यही थी कि हम किसी भी हालत में इस बजट अधिवेशन में जो कि बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, हाजिर न हो सकें और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाखों लोगों की तकलीफ और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण जो इस सिलसिले में कानून बनने जा रहे थे या इस तरह की कार्यवाही बजट अधिवेशन होने जा रही थी, जो देश के लिये कल्याणकारी हो, उसमें हम उनकी सेवा न कर सकें, यह उनका इरादा था। मैं इसके सम्बन्ध में दो एक बातें आप से जरूर निवेदन करना चाहता हूं। मैंने २३ तारीख को तार दिया और उस तार को सुपरिंटेंडेंट जेल ने जिलाधीश देवरिया के यहाँ भेज दिया और जिलाधीश देवरिया के यहाँ तार जाने के बाद जो चिट्ठी उनको आयी है, वह जो शिकायत मैंने आप की सेवा में भेजी है, उसके साथ मौजूद है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उस शिकायत को

[श्री गेंदासिंह]

और उस चिट्ठी को अगर पढ़वा दिया जाय तो बात स्पष्ट हो जाती है कि २३ को दिया हुआ तार, एक्सप्रेस तार, २७ को जब जिलाधीश को सूचना हुई कि हम छूट गये, हम बाहर जा रहे हैं और उन्हें यह मालूम हुआ कि अब तो हम २८ को लखनऊ पहुंचेंगे, तो फिर उन्होंने २७ या २८ को या उसके बाद की तारीख में जेल सुपरिंटेंडेंट को वापस कर दिया। वह तार मैंने इसलिये दिया था कि वह आपके पास तक पहुंच सके और हम जो गैर-कानूनी तरीके पर बन्द थे, हमारी राहत हो, हम छोड़े जायं और हम विधान सभा के अधिवेशन में भाग ले सकें। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनका इरादा ऐसा था कि हम किसी प्रकार जिलों की खिदमत न कर सकें और जो जिला इस तरह की मुसीबत में था कि हजारों पशु मरे थे और कुछ लोग भी भूख से मरे थे, ऐसे प्रश्न को हम आपके सामने न रख सकें। तो एक तो यह कि २१ से २७ तक के लिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जेल मैनुअल की ४१३ धारा में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कि किसी आदमी को १५ दिन से ज्यादा एक रिमांड पर रोका नहीं जा सकता और उस रिमांड को उन्होंने न भेज करके इस कानून को भी तोड़ा। मैं आपकी आज्ञा से इस ४१३ धारा को पढ़ना चाहता हूं—

"The Superintendent shall satisfy himself by examination of the warrant that except in cases of persons committed for a trial to a court of Sessions, no under-trial person is detinated longer than 15 days without a fresh remand as this is contrary to the provisions of section 344 of the Code of Criminal Procedure 1818."

यह ३४४, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही स्पष्ट है :—

"Power to postpone or adjourn proceedings:—If from the absence of a witness or any other reasonable cause it becomes necessary or advisable to postpone the commencement or adjourn any enquiry or trial the court may, if it thinks fit, by order in writing stating the reasons therefor from time to time postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit for such time as it considers reasonable and may by a warrant remand the accused to custody."

तो १५ दिन मैक्सिमम हम को हवालात में रखा जा सकता था। शुरू में ही हमको बन्द करते वक्त वारन्ट पर रख दिया गया और उस वारन्ट पर ३४१ धारा का उल्लेख था। साधारण तौर पर हम यह आशा करते थे कि २१ तारीख को हमको अदालत में बुलाया जायगा और अदालत में जाने के बाद ३४१ धारा में अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक महीने की सजा हो सकती थी। मैंने यह सोच रखा था कि मैं अपने जुर्म को कुबूल करूंगा और जुर्म कबूल करने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब जिस तरह से चाहेंगे सजा दे देंगे। एक महीने की जो मैक्सिमम सजा है, वह भी सजा अगर वह देते हैं, तब भी एक महीने की सजा काटने के बाद मैं विधान सभा में हाजिर हो सकता था, या यह भी हो सकता था कि मैजिस्ट्रेट साहब हमें सिर्फ जुर्माने की सजा देते और जुर्माने की सजा देने के बाद हो सकता था कि हम जुर्माना फौरन दाखिल कर देते, या कोई दूसरी कार्यवाही करके विधान सभा के दूसरे दिन के अधिवेशन में हाजिर हो सकते थे। लेकिन उन्होंने न तो मुझे अदालत में बुलाया और न रिमांड भेजा। इस संबंध में मैंने सुपरिंटेंडेंट जेल से यह भी कहा कि आप मेहरबानी करके मैजिस्ट्रेट साहब को यह सूचना दे दीजिये कि हम अपने मुकदमे में डिफेंड नहीं करने वाले हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी हमारे मुकदमे का फैसला करना चाहिये और अब तो मुकदमा फैसला करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि गैरकानूनी तरीके पर हम आज बन्द हैं, हमको आप छोड़ दीजिये, तो सुपरिंटेंडेंट जेल ने छोड़ने से इन्कार किया और उन्होंने जहां तक मेरी जानकारी है जिला मैजिस्ट्रेट को भी सूचना दी, लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट ने या किसी मैजिस्ट्रेट ने इसकी परवाह नहीं की कि वह रिमांड भेजे या हमें छोड़ने की इजाजत दे।

श्री अध्यक्ष---आप जरा संक्षेप में कहें । आपको तो केवल प्वाइन्ट्स बताना है, बहुत डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---बहुत अच्छा । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बात तो यह है कि उन्होंने हमको गैरकानूनी तरीके पर रोका और इरादतन रोका और इरादतन रोकना ब्रीच आफ प्रिविलेज है । दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने सूचना दी उसमें बहुत स्पष्ट है, मैं की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में जहां तक मैंने देखने की कोशिश की, दो एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि सूचना देने का अर्थ यह है कि पूरी सूचना दी जाय, कारण बताया जाय कि जो आदमी रोका गया है वह किस कारण से रोका गया है । उस कारण को बताने में उनको थोड़ी सी दिक्कत थी । इसके लिये मैं दो एक मिनट का वक्त चाहूंगा कि आपसे बयान कर दूं । शुरू में हम ३४१ में पकड़े गये । हमने यह इरादा जाहिर किया कि हम इस मुकदमे को डिफेंड नहीं करेंगे और जिला मैजिस्ट्रेट को यह बात मालूम हुई कि फिर तो ये जल्दी रिहा हो जायेंगे तो उन्होंने मुकदमा बनाने की साजिश की और फिर उन्होंने १४७ और ३२३ धारायें लगायीं । जब हमारे पास पर्सनल बांड जेल में आया तो उसमें हम १४७, ३२३ और ३४१ इन तीनों धाराओं के अपराधी ठहराये गये थे । उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि जो मुकदमा हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है यह हाउस को डिसीव करना है । हाउस को सही रीजन बताना अत्यन्त आवश्यक है । पार्लियामेंट के नियम के अनुसार, यहां के नियम के अनुसार और इंग्लैंड की पार्लियामेंट की पद्धति के अनुसार, हर तरह से यह आवश्यक है कि स्पीकर महोदय को और माननीय सदन को सही सही सूचनायें दी जायं । लेकिन अगर उन्होंने सही सूचना नहीं दी तो यह भी ब्रीच आफ प्रिविलेज है ।

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मामला अदालत में अभी भी है ।

श्री गेंदासिंह---मैं जिस दिन ३४१ के अन्तर्गत पकड़ा गया उसके बाद अदालत में मामला है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष---आप कहते हैं कि धारायें १४७, ३२३ और ३४१ आपके खिलाफ लगायीं गयीं । तो उनके अनुसार मामला अब भी अदालत में है या नहीं । मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा ।

श्री गेंदासिंह---मैं नहीं कह सकता कि अदालत में है या नहीं । मुमकिन है सरकार ने मुकदमा वापस लेने का हुक्म दिया हो ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी नहीं, अदालत के सामने अभी मुकदमा है, वापस नहीं लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---तो मैं माननीय सदस्य से यह जरूर कहूंगा कि किसी मैजिस्ट्रेट की नियत पर आक्षेप लाने की विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर उनको आवश्यकता नहीं है । वे यह कह सकते हैं कि पूरी सूचना नहीं दी । लेकिन नियत क्या थी किसी मैजिस्ट्रेट की, इसके कहने से मामले के ऊपर असर पड़ेगा । मैं नहीं चाहता हूं कि जो मामला चल रहा है उसके ऊपर कोई असर पड़े । आप सिर्फ विशेषाधिकार का प्रश्न रख सकते हैं ।

श्री गेंदासिंह---बहुत अच्छा । अध्यक्ष महोदय, मैं केवल कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखता हूं । मैं केवल यह कहना कहता हूं कि उन्होंने नोटिस अधूरी दी । अगर १४८ और ३२३ का अपराध हमारे ऊपर था तो जिस वक्त हम गिरफ्तार हुये और कस्टडी में आये उस वक्त तो बलवा किया नहीं होगा, यह साधारण तौर पर समझा जा सकता है । जो कुछ बलवा हमने किया या मारपीट की या सड़क पर बैठ करके किसी का रास्ता रोका यह सब

[श्री गेंदासिंह]

कुछ उसके पहले कर चुके थे जब गिरफ्तार किये गये थे। अगर बाद में करते तो जेलखाने से मुकदमा चलता। तो मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सेवा में कि जो कुछ हमारे ऊपर इलजाम था वह सारा इलजाम आपकी सूचना में आना चाहिये था। यह सारी सूचना न दे कर उन्होंने हाउस को डिसीव किया।

श्री अध्यक्ष---वह तो मैं नियम के हिसाब से देख लूंगा। आपको आक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आप केवल फैक्ट्स बताइये, बाकी मैं देख लूंगा।

श्री गेंदासिंह---मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मेरा केवल इतना कहना है कि उन्होंने सदन में हिस्सा लेने से जान बूझ कर रोका और जब हमने आपकी सहायता पाने की इच्छा की तो उससे रोकने के लिये उन्होंने हमारे सारे प्रयत्नों को नाकामियाब किया। और गलत सजा देकर आपको अंधेरे में रखा और धोखा दिया। यह हमारी शिकायत है। जैसी आपकी आज्ञा है उसे मैं पेश नहीं करूंगा कि लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि वह उसको सोचे और जो उचित समझे वह किया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का सवाल ऐसा है कि वह सभी पार्टियों के भेद से अलग और ऊपर है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य वह चाहे किसी भी दल से संबंध रखते हों, यह खयाल है और गवर्नमेंट भी इससे पूर्णतया सहमत है कि सदन की मर्यादा और माननीय सदस्यों के अधिकारों की सर्वदा रक्षा हो और यदि कभी भी किसी तरीके पर किसी के द्वारा अवहेलना हो तो वह हेय है और जो मुनासिब कार्यवाही उचित है, वह होनी चाहिये।

माननीय गेंदासिंह जी इस सदन की कार्यवाही में कई दिन तक शरीक न हो सके और हम लोग उनकी सलाह से वंचित रहे। इसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी की नीयत पर आक्षेप करने का मौका भी नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ भी कार्यवाही हुई उसमें किसी की बदनीयती हो ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि इतना तो अधिकारियों को मालूम ही होगा कि जिस तरीके पर गेंदासिंह जी आखिर में जेल से बाहर आये, वह रास्ता उनके लिये खुला हुआ था। उनके लिये जमानत पर बाहर निकलना और पर्सनल बांड का रास्ता खुला हुआ था, यह बात अधिकारियों को मालूम थी कि वह जब चाहें पर्सनल बांड देकर बाहर निकल सकते हैं और जमानत पर निकल सकते हैं तब वह गलत कोशिश नहीं कर सकते थे क्योंकि वह जानते थे कि इसमें सफलता नहीं होती। इसलिये नीयत का तो कोई सवाल नहीं आता और ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं।

जिन घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया है, मैंने आपके पास कानूनी पहलुओं पर पूरे तौर से विचार करने के बाद एक छोटा सा नोट भेजा था। यदि आप उचित समझें तो उसकी मुख्य मुख्य बातें सदन के सामने रख दूं क्योंकि श्री गेंदासिंह जी के यह कहने के बाद यह आवश्यक हो जाता है। जहां तक मैं समझ पाया हूं तीन आक्षेप मुख्य हैं। पहला तो यह है कि ३० तारीख के बाद बगैर किसी रिमांड के उनको जेल के अन्दर रखा गया। मैंने आपके पास सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की आज्ञा की नकल प्रेषित कर दी थी। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने यह चीज जब कि एस० डी० एम० कसिया में थे, उनके सामने रखी थी कि पहले रिमांड की मियाद २१ तारीख को खत्म हो जाती है लिहाजा उनकी मियाद बढ़ा दी जाय और उसी रोज सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि "14 days remand allowed. S. D. M. Gorakhpur." यह उनका हुक्म है। १४ दिन का एस० डी० एम० ने रिमांड दिया। इस संबंध में जो हमें कानूनी सलाह मिली है वह यह है कि कोई भी आर्डर अदालत का जब हुक्म हो जाता है उसी वक्त से वह लागू हो जाता है। लिहाजा जिस वक्त एस० डी० एम० ने

हुक्म दिया, चाहे वह कहीं पर भी थी, उसी दिन से लागू हो जाता है। इसलिये सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी है कि १४ दिन का रिमांड दिया जाता है, तो उसी दिन से वह लागू होगा, चाहे जेल में वह २५, २६, २७ या किसी भी दिन पहुंचे। कानूनी तरीके पर रिमांड हो चुका था और जेल के अन्दर उनको रखा जाना कानून के अनुसार था। फिर भी मेरा निवेदन है कि अगर यह समझा जाय कि कोर्ट का हुक्म होने के साथ ही लागू नहीं होता है या यह समझा जाय कि २१ तारीख से २७ तारीख तक उनका जेल में रखना अनलाफुल कंफाइनमेंट में आता है तो यह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है बल्कि किसी अदालत के विशेषाधिकार का प्रश्न है, जो कि हरएक नागरिक की तरफ से उठाया जा सकता है जिसको कि अगर कानूनी तरीके पर नहीं रोका जाता है तो वह उठा सकता है, और यह एक बड़े महत्व का प्रश्न है, कि किसी अदालत का हुक्म जैसे दिया जाता है वैसे ही लागू होता है या कि किसी जगह पर उसकी इत्तिला पहुंचने पर लागू होता है। लेकिन यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

दूसरा सवाल जो उनका है वह यह है कि वहां से वह कोई तार दे रहे थे महामहिम राज्यपाल के नाम और उस पर लिखा था कि कापीज टु दी स्पीकर और मुख्य मंत्री जी के भी नाम कापीज भेज रहे थे। यह सवाल भी मेरा निवेदन है कि कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है इसलिये कि किसी भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के अनुसार एक बार जेल में जाने के बाद किसी भी विधायक सभा के पार्लियामेंट के, या असेम्बली के, किसी सदस्य को अन्य लोगों से जो कि जेल में रहते हों अधिक कोई अधिकार नहीं रहते हैं। उनके भी अधिकार वही रहते हैं जो कि जेल में और लोगों के अधिकार रहते हैं या अधिकारों में कमी समझिये कि उतनी कमी उनके भी अधिकारों में होती है। तो जेल के नियम के अनुसार जो भी इस किस्म के खत हों उनको सुपरिंटेंडेंट जेल सीधे नहीं भेज सकता। उसको चाहिये कि जो नार्मल चैनेल आफ कम्यूनिकेशन है उस नार्मल चैनेल आफ कम्यूनिकेशन के द्वारा वह उस खत को भेजे। नार्मल चैनेल आफ कम्यूनिकेशन होता है इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजंस अर्थात् सुपरिंटेंडेंट जेल का चाहिये था कि उस खत को वह इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजंस को भेज देता वह जो चाहते थे करते। जो गलती हुई सुपरिंटेंडेंट जेल से गोरखपुर के, वह यह हुई कि उन्होंने इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजंस के पास उसको भेजने के बदले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास उस खत को भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जो खत आया तो उन्होंने उनके पास लिखा कि आप भेज दें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह जरूर सुपरिंटेंडेंट जेल से गलती हुई। मगर यह जो चीज है यह सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है बल्कि जेल मैन्युअल के एक कायदे की अवहेलना का प्रश्न है जिसके ऊपर जेल डिपार्टमेंट अगर चाहे तो सुपरिंटेंडेंट जेल से जवाब तलब कर सकता है और वह उनके ऊपर कार्यवाही कर सकता है। लेकिन यह सदन के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है।

तीसरी शिकायत उनकी यह है कि उनके ऊपर ३४१ दफा पहले लगाई जाने की सूचना उनको दी गई और बाद में दो दफायें और जोड़ दी गई और श्रीमान् को उसकी ठीक-ठीक सूचना नहीं दी गई। मैं इसके सबध में मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के सन् १९५० के ऐडीशन के पेज १२१ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :—

"Although the previlege of freedom from arrest does not extend to criminal charges, it is the right of each house to receive immediate information of the imprisonment or detention of any member with the reason for which he is detained."

आगे चलकर वह और लिखते हैं, श्रीमन् को मालूम होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस फार्म में सूचना दी जाती है...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसको तो मैंने रोक लिया था कि मैं उसे देख लूंगा। तो उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तो फैक्ट्स की बात यह है कि श्रीमान् के पास जो इन्फारमेशन आयी है देवरिया से उसमें रीजन्स दिये हुये हैं कि "for obstructing and restraining persons taking sugar cane carts inside theU. P. Sugar Co. Ltd, Seorahi, Deoria" कहीं भी किसी भी पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अन्दर यह नियम नहीं लिखा हुआ है कि सेक्शन लिखा जाय बल्कि रीजन्स लिखे जाने चाहिये। जो सूचना श्रीमन् के पास आयी है उसमें रीजन्स ही लिखे हुये हैं। जहां तक सेक्शंस की बात है वह तो बाद में उनका निश्चय होता है। रीजंस यही है अब उनके ऊपर कौन कौन सेक्शन्स बन सकते हैं, यह अदालती बात है। अतः श्रीमान को जो पूरी सूचना देना उचित था वह सूचना दी गई। लिहाजा मेरी समझ में उनमें से किसी भी बात पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इसमें कुछ और सम्मतियां भी सुनेंगे.....

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह समझता हूं कि आवश्यकता इस बात की नहीं है, वैसे कोई फैसला अन्तिम तो सदन ही देगा अगर मैं यह वैध करार दूं। वैध होने के लिये जितनी सूचना की आवश्यकता थी वह जितनी मैंने उचित समझी वह मैंने पहले भी मांग ली थी और आज भी नियम के अनुसार अनुमति देकर मैंने प्राप्त कर ली। अब मैं आवश्यक नहीं समझता हूं, क्योंकि इस नियम में यह है:—

"The Speaker after hearing any other member if necessary"

तो मैं आवश्यक नहीं समझता हूं जो कुछ प्रकाश डालना था काफी प्रकाश लोगों ने डाल दिया अब मैं इसके ऊपर कल निर्णय दूंगा और उस वक्त एक और भी मामला इसी तरह का है.....

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक प्रार्थना करना चाहता था कि माननीय सचिव से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब का जो पत्र है या जो नस्थियां हैं उनको पढ़वाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं देख लूंगा जिस समय फैसला दूंगा। उसमें जिक्र होगा ही। इसमें यह निहित है कि अगर मैं इसको नियमित करार दूंगा तो नियमानुसार विशेषाधिकार समिति के पास भेजना पड़ेगा और अगर नियमित नहीं समझूंगा तो वह प्रश्न खत्म हो जायगा मैं इस पर कल फैसला दूंगा।

मुख्य मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि कल के लिये क्या कार्यक्रम होगा इस विषय में वह प्रकाश डाल दें

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)—एक तो वह बिल है जो कि अपर हाउस से आया है पंचायत राज का, और शायद दो बिल हैं जो मैं फिर बतला दूंगा।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (क्रमागत)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि मैं और सामान्य प्रशासन पर बात करूं मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मैं सरकार का ध्यान लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट की तरफ दिलाऊं।

यह हमारी बदकिस्मती है कि आज भी इग्जियूकटिव किसी न किसी रूप में लेजिस्लेचर के ऊपर हावी रहने की कोशिश करता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है और वह यह कि हमारे लेजिस्लेटिव सेक्रेटरिएट के हेड यहां के स्पीकर समझे जाते हैं। जो कुछ भी इस सदन के लिये आवश्यकता होती है या हमारे विधान सभा सेक्रेटरियट के लिये जिस किसी चीज की आवश्यकता होती है आज हमारी इस लेजिस्लेटिव सेक्रेटरिएट के हेड को गवर्नमेंट के पास उसके लिये जाना पड़ता है। इससे इस सदन की सुप्रीमेसी पर बड़ा भारी आघात पहुंचता है। जिस चीज की जरूरत हमारे लेजिस्लेचर को हो, हमारे लेजिस्लेचर के सेक्रेटरिएट को हो उसमें किसी प्रकार की बाधा सरकार की ओर से पड़े मैं समझता हूं कि यह किसी भी लेजिस्लेचर की शान के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी हमारी मांगें होती हैं वह लेजिस्लेटिव असेम्बली सेक्रेटरिएट जुडीशल सेक्रेटरी के पास भेजता है। स्पीकर के पास से उनके पास पहले वह मांग जाती है, चाहे वह हमारे एस्टैब्लिशमेंट में हो, चाहे फरनीचर के सिलसिले में हो लेजिस्लेचर सेक्शन के पास जाने के बाद वह उसके माननीय मिनिस्टर के पास जाती है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाती है और अन्त में माननीय मुख्य मंत्री के पास जाती है। इस तरह से हमारे विधान सभा के सेक्रेटरियट के ऊपर एक हस्तक्षेप हो जाता है। मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री से कि इस हाउस की सुप्रीमेसी को कायम रखने के लिये हमारा लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट बिलकुल इंडेपेंडेंट होना चाहिए। इस प्रकार तो आज हमारे लेजिस्लेटिव सेक्रेटरिएट के हेड जो स्पीकर होते हैं उनकी पोजीशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की होती है। जैसे ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर हैं या डेवलपमेंट कमिश्नर हैं। इसी तरह की पोजीशन हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—आप जरा उपमा मत दीजिये तो अच्छा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—तो मैं हाउस की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। सुपरिमेसी, इंडिपेंडेंस जिसकी बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं यह चाहूंगा कि हमारे लेजिस्लेचर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है उसकी पहुंच चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिये और उसकी जो मांगें हैं वे ठुकराई न जानी चाहिये। मैं जानता हूं कि लेजिस्लेचर के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऐसी मांगें नहीं करेंगे जिसमें रुपया व्यर्थ नष्ट हो।

हम ४३१ मेम्बर इस सदन में हैं। जो नियम बने हुए हैं उनमें तब्दीली होनी चाहिये। २० दिन मैक्सीमम् बजट के डिस्कशन के लिये मिलते हैं। तीन रोज जनरल डिस्कशन और १७ दिन ग्रान्ट्स पर डिस्कशन के लिये मिलते हैं और ५२ अनुदानें होती हैं। इतना वक्त काफी नहीं होता कि हर आदमी अपने-अपने इलाके की बातें कह सके। मद्रास के अन्दर आप देखिये ५ दिन जनरल डिस्कशन हुआ। दिल्ली पार्लियामेंट में काफी लम्बे अर्से तक बजट पर बहस होती है। इसलिये मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का ख्याल करें और बजट डिस्कशन जनवरी महीने से हुआ करे नहीं तो आखिर में कहा जाता है कि जल्दी करो, २५ अप्रैल तक बजट पास हो जाना चाहिए। इसके लिये नियमों में बदलाव की आवश्यकता है।

एक चीज और है। ३ लाख ५० हजार रुपया सरकारी मोटर गाड़ियों पर खर्च किया जायगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो गाड़ियां सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये दी जा रही हैं उनका गलत उपयोग होता है। सरकार का नियम बना है कि ५ मील के अन्दर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल न हो। मैं नहीं कह सकता कि इसका पालन कहां तक जिलों में होता है। लेकिन अपने जिले की मैं जानता

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हूं वहां मोटरों की भरमार है। दो मछली के निशान वाली मोटरें काफी तादाद में दिखाई देती हैं। मैं समझता हूं कि इस पर चेक होना चाहिये। इन गाड़ियों को न खरीदा जाय। सरकारी अफसर मोटर रखना चाहते हैं तो निजी मोटर खरीदें नहीं तो रिक्शा इस्तेमाल करें, या रेल में जायं। तभी हम जनता की भलाई कर सकते हैं और एकनामी कर सकते हैं। जहां जरूरत हो वहीं मोटरें दी जायं। गवर्नमेंट का चेक उन पर होना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष के श्री राजनारायण का नाम पुकारने पर और श्री राजनारायण के खड़े होने पर।)

कुंवर बलवीर सिंह (जिला मेरठ)---आज भी उधर से ही टाइम मिलना शुरू हो गया।

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था करना मेरा काम है। मैं समझता हूं कि कोई आक्षेप इसमें हो नहीं सकता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमान्, कल से सदन में प्रशासन पर विवाद चल रहा है। बहुत से ट्रेजरी बेंचेज के लोग यह कहते हैं कि जिस तरह का प्रशासन है वही डिसेंट्रालाइजेशन आफ पावर (सत्ता का विकेन्द्रीयकरण) है और विरोधी पार्टी के लोगों ने जिन जजबातों का इजहार किया उससे यह मालूम होता है कि यह डिसेंट्रेलाइजेशन आफ पावर (सत्ता का विकेन्द्रीयकरण) नहीं है बल्कि सेंट्रेलाइजेशन आफ पावर दिन-ब-दिन बढ़ता चला जा रहा है। श्रीमन्, मैं बजट के कुछ आंकड़ों को आपकी आज्ञा से सदन की खिदमत में पेश करूंगा और चाहूंगा कि उन्हीं आंकड़ों का अवलोकन करके सदन निर्णय करे कि उनसे डिसेंट्रेलाइजेशन होगा या उनसे धन का दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा। जब माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि एक तरफ तो कमिश्नरों को हटाने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ एडिशनल कमिश्नर बढ़ाने की बात कही जाती है तो इस पर ट्रेजरी बेंचेज सम्मानित सदस्यों ने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर भी होते हैं। अगर उनको जोड़ लिया जाय तो कमिश्नरों की संख्या और बढ़ जायगी। मैं उन्हीं सदस्यों पर इस तर्क को छोड़ता हूं। उन्हीं ऐडीशनल कमिश्नर्स को बढ़ाने के लिये इस सदन से १,५६,४०० के बजाय १,९२,००० रु० मांगे गये हैं। ३५,६०० रु० इस विभाग में बढ़ा है। तो इससे शासन को ढीला करके जनता के हाथ में ताकत देने की बात सोची जाती है, या ताकत को अपने हाथ में लेने की बात। सबसे बड़ी बात जिसको देख कर हमारी तबियत परेशान हुई वह है आफिसर इन्चार्ज, सुपरसीडेड लोकल बाडीज (जब्त किये गये स्थानीय बोर्डों के अफसरान पर खर्च) जिसके लिये ५०,४०० रुपया था अब उसमें ५२ हजार रुपया इतना बढ़ा दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सुपरसीड बोर्ड की तादाद ज्यादा हो जायगी। अभी जो चुनाव हुआ है वह बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ है। तो अब ऐसे आफिसर्स के लिये इस अनुदान में कोई स्थान नहीं होना चाहिये। क्यों माननीय मुख्य मंत्री इस बात की कल्पना करते हैं कि सुपरसीडेड बोर्ड की संख्या (जब्त संख्या) ज्यादा बढ़ जायगी और उसकी वजह से आफिसर्स ज्यादा रखे जायंगे और ज्यादा उनकी आवश्यकता पड़ेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इस अनुदान को हटाइये क्योंकि इस अनुदान से यह गन्ध आती है कि जहां पर बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ है और जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं आये हैं वहां किसी न किसी प्रकार से इस बात की चेष्टा की जायेगी कि उसको सुपरसीड किया जाय और वहां आफिसर को इन्चार्ज बनाया जाय। इस कारण मुख्य मंत्री जी इसको हटायें और इस ५२ हजार रुपये के रखने का कोई औचित्य नहीं है।

इसी प्रकार से इस सदन में बार बार यह कहा जाता है कि अपराधों की संख्या घटती चली जा रही है और अमन चैन बढ़ता जाता है और लोगों की परेशानी और मुसीबत कम होती जाती है लेकिन फिर भी रेलवे मजिस्ट्रेट के लिये २०,७०० रुपया बढाया गया है। जब अपराध घट रहे हैं तो फिर इसको बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायें कि आखिर यह क्यों इस प्रकार से धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या यह सत्ता को केन्द्रित नहीं किया जा रहा है? जब रेलवे मजिस्ट्रेट को बढ़ाया गया तो फिर उनके लिये स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी।

जुडिशियल अफसरों के लिये ५८,६०० रुपया बढ़ाया गया है। इस साल यह बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। क्या यह रुपया जनता की सेवा में खर्च हो रहा है। या यह शासन की मशीनरी को दृढ़ किया जा रहा है। हमारे माननीय सदस्य इस बड़ी बजट की पुस्तक को पढ़ कर क्यों नहीं यह नतीजा निकालते क्यों इस वाक् प्रपंच में फंस जाते हैं। अब तो यह वाक् प्रपंच इस सदन से खत्म होना चाहिये। इस वाक् चातुर्य को पढ़ कर हमारे सदस्य इस नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचते कि आज की जो शासन-व्यवस्था है और जिस प्रकार से यह शासन व्यवस्था चल रही है उससे ज्यादा लीचड़ और निकम्मी और कोई दूसरी शासन व्यवस्था नहीं हो सकती है।

डाइट जो विटनेसेज को (गवाहों को भोजन) दिया जायगा उसमें २५ हजार रुपया बढ़ाया गया है। इस रुपये के बढ़ाने से यह मालूम होता है कि सरकारी मुकदमे ज्यादा चलेंगे और गवाहों को ज्यादा पैसा दिया जायगा। इस वजह से यह २५ हजार रुपया बढ़ाया गया है। हमारे माननीय सदस्य इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार का शासन हमारे उत्तर प्रदेश मे आज चल रहा है उसमें अपराधों की संख्या घटी है या बढ़ी है जिसके लिये गवाहों को देने के लिये २५ हजार रुपया अधिक रखा गया है और उसको देने के लिये यह ग्रान्ट सदन से मांगी जा रही है।

टूर चार्ज (दौरा खर्च) के लिये ३५ हजार रुपया बढ़ाया गया है। यह टूर क्या होगा, किस उद्देश्य से होगा और किसके लिये यह टूर होगा। श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो पार्टी की सरकार है वह सरकारी पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है, रूलिंग पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है कि उसका राजनैतिक प्रचार हो जाय। अभी कुछ दिन हुये माननीय कमलापति जी बनारस जिले में गये थे तो उस सिलसिले में जो वहां पर काम करने का प्रचार हुआ और काफी प्रचार हुआ। मैं भी ओला-पीड़ित क्षेत्र में गया था, वहां एस० डी० ओ० पड़े थे। मैं एस० डी० ओ० से मिला था। मैंने उनके कार्यालय में वहां पर परचा का बंडल देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग भी कांग्रेस पार्टी को प्रचार का काम करते हैं तो उसने कहा कि यहां पर कांग्रेस कमेटी के लोग आये थे वे इसको यहां पर छोड़ गये हैं। हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं।

इसके बाद फरनीचर के लिये १५० हजार रुपया बढ़ाया गया है। यहां पर सदन में बार-बार कहा जाता है कि सादगी होनी चाहिये और इंडियन कल्चर को विकसित होना चाहिये लेकिन फिर भी इस फरनीचर के लिये हर साल रुपया रखा जाता है और इस साल १५० हजार रुपया बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है... क्या यह सादगी का नमूना है या जिस तरह से हमारा सरकार का दिमाग शहन्शाही की ओर बढ़ता चला जा रहा है उसका नमूना है। टेलीफोन चार्जेज पर ३० हजार रुपया बढ़ा है।

[श्री राजनारायण]

माननीय मंत्री जी बतलावें कि इसके बढ़ने की क्या आवश्यकता हुई। कौन सा ऐसा बावेला मचेगा जिसके लिये लगातार जिला मजिस्ट्रेट किसी समस्या को हल करने के लिये सरकार से टेलीफोन पर बातें करेंगे? हर साल विहीकिल्स (सरकारी गाड़ियां) की खरीद होती है और इसमें भी अब ३ लाख ५० हजार रुपया रखा गया है। मिनिस्टर्स के लिये भी परसाल से इस साल अधिक रुपया रखा गया है और अगर १९५२-५३ से देखा जाय तो १ लाख से भी ज्यादा है। स्टेट मेडिकल सर्विस कन्डीशन में ५० हजार बढ़ा है जब कि यह राय प्रकट की जा रही है इनको हटा दिया जाय। कमेन्ट्स अब मैं अधिक आंकड़े न देकर, चूंकि समय थोड़ा है जल्दी करना चाहता हूं। इलेक्शन के लिये २० लाख रुपया रखा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार इलेक्शन कराये जाते हैं वे किसी भी प्रकार की जनतान्त्रिक प्रणाली में नहीं यकीन रखने वाली सरकार के लिये अशोभनीय कार्य है। माननीय मंत्री जी किसी जिले में चले जावें और लंच के समय जब अफसर जुड़ते हैं तो उनकी बातों को सुनें कि वे सरकार को कैसी-कैसी गालियां देते हैं। मैं इसके लिये अफसरान को दोष नहीं देता। ऐसा एक बार एक माननीय सदस्य ने ट्रेजरी बेंचेज में भी यहां कहा। दोष सरकार का है; मैं बुलन्दशहर से कल आया। वहां स्वतंत्रता दिवस के लिये मीटिंग बुलाई गई जहां यह चर्चा हुई कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्स कैसे बढ़ाये जावें। इससे अफसर सोचते हैं कि जब मंत्री जी एक काम प्राप्त हमसे नाजायज लेते हैं तो १० हम भी ले सकते हैं। मैं कुम्भ मेले की चर्चा नहीं करना चाहता हूं मगर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कुम्भ कांड के कारण इस सरकार के हाथ वहां के खून से रंगे हुये हैं उसकी बार-बार चर्चा यहां नहीं होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि उसके लिये किसी दूसरी जगह निकाल कर माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था करें, वरना उस पर दो, चार शब्द कहना ही पड़ता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रशासन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये थी। ऐसे अफसरान जिनकी टर्म्स खत्म होती चली जा रही हैं उन्हें फिर से नियुक्त नहीं करना चाहिये। जब एक तरफ बेकारी बढ़ती है तो फिर यह सरकार ऐसा क्यों करती है? उसी मनोवृत्ति को किसी तरह से और मजबूत करना चाहती है। मैं यह देखता हूं कि व्यवस्था की चारों चूलें बिल्कुल लटक गई हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी इस अनुदान के रुपये को बढ़ा-चढ़ा कर लोहे की कड़ी समझकर उसे मजबूत करना चाहते हैं मगर वह लोहे की कड़ी न होकर बिल्कुल रस्सी होगी, जो कि जैसा हमारे कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने कहा, सत्याग्रह, तो वह सत्याग्रह रस्सी को तोड़ कर सारे प्रान्त में शान्ति कायम करने में सहायक होगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)---अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के बारे में कल सारे दिन बहस हुई और आज भी कुछ बातें कही गयीं। जो कुछ भी कहा गया उससे मुझे एक तरह से यही संतोष हुआ कि जितनी बातें कही गयीं उनसे अधिक कहने को किसी को मिला नहीं और जितनी कही गयीं उन पर कहीं टक्कर या ठोकर लगी नहीं। अनुशासन अनुदान का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उस क्षेत्र में अगर कोई यह कहे कि कहीं पर घास सूखी हुई है या कहीं पर कोई पत्थर या गड्ढा दिखता है, या कहीं पर साफ नालियों में भी पानी रुका हुआ है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट के शासन से संबंध रखने वाले इस अनुदान के सिलसिले में जितनी भी ड्रेनेज इंस्पेक्टर की रिपोर्ट हो सकती है, उनके लाने का मौका हो सकता है, और जब तक ऐसी चीज देखने में नहीं आती, या सुनने में नहीं आती तब तक तसकीन हो होती है कि यह जो शासन है अच्छा ही है। और

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इसको खुर्दबीन, दूरबीन, टैलस्कोप या माईक्रोस्कोप से भी देखें तो ज्यादा पहाड़ और खाड़ियां दीखती नहीं। इसलिये जो कुछ समालोचना यहां हुई है उस पर मुझे तसकीन है और मैं इस सदन के प्रति अनुगृहीत हूं और उसको धन्यवाद देता हूं तथा मुझे आशा है कि सब व्यक्ति हमें पूरी तरह से सहयोग देंगे, जिससे शासन की जो कमियां हैं वे दूर हो जायं। हमारे शासन में कमियां हैं, सब शासनों में होती हैं और उनको हमें दूर करना है।

कई बातें बराबर कही गयीं, हर साल कही जाती हैं, जिनको सुनते-सुनते हार्ड आफ हीयरिंग होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि दुनियां बदलती जा रही है, लेकिन वे ऊंची नजर करके देखना ही नहीं चाहते। दुनिया में इतना बदलाव हो रहा है लेकिन वे वही बातें कहते हैं जो पहले से कहते आये हैं न कि कुछ ऐसी कान्स्ट्रक्टिव बातें कहें जिनसे शासन का सुधार हो, वह अच्छा चल सके। ये बातें बहुत दिनों से चली आती हैं और कही जाती हैं कि शासन के जो काम करने वाले हैं वे अच्छे नहीं हैं, करप्ट हैं। खैर एक बात राजनारायण जी से सुनकर तसकीन हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण सब जिलों में अच्छे हैं, जो कुछ बुरी है वह गवर्नमेंट है। अगर यह बात मान ली जाय तो अच्छा है, क्योंकि परमानेंट सरवेंट्स पर ज्यादा हमला नहीं होना चाहिये। गवर्नमेंट की समालोचना करना अच्छी बात है। अगर वे इस सिद्धान्त को मान लें तो अच्छा है, लेकिन हम चपरासी, और पटवारी से लेकर ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू तक पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, वह अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक शासन के लिये हम जिम्मेदार हैं तब तक उनमें जो भी कामियां हैं या नजर आती हैं, उन सबकी जिम्मेदारी हम पर है। या तो उन कमियों को हम रोक नहीं सकते या होने देते हैं। दोनों तरीके से हमारी जिम्मेदारी आती है। इसलिये हमारी इस जिम्मेदारी को समझ कर हमारे ही ऊपर तीर चलाना ठीक है। जो यहां आकर कुछ कह नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते, उनके ऊपर किसी किस्म की बौछार करना, अच्छी बात नहीं है।

जहां तक हमारे शासन के कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि हमको उन्हें इस तरह से बातें कहनी हैं जिससे उनकी हिम्मत बढ़े और वे काम करें और मैं समझता भी यही हूं। आमतौर पर मैं यह नहीं कहता, अपवाद हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, जहां तक हमारे गजटेड आफिसर हैं वे ईमानदार हैं, मेहनती हैं और देश का हित चाहते हैं। वैसे ही देश का प्रेम उनको भी है जैसे हमको है। उनकी भावना ऐसी क्यों न हो? आखिर उनके बच्चों का भी भला इसी में होगा कि इस देश का भला हो, उनकी सुख-समृद्धि इसी में हो सकती है कि देश की सुख-समृद्धि हो। आज हमारे देश में कोई विदेशी तो रहा नहीं, शासन की एजेंसी अपनी ही है। तो फिर मैं कम से कम यह नहीं समझता कि हम लोग जो इधर या उधर कहीं भी बैठे हों, सारी देशभक्ति को खींच कर अपने ही अन्दर रख दें और औरों में कोई भावना देशभक्ति की नहीं है। औरों में भी और वे करते हैं। हमारे लिये भी दिक्कतें हैं, उनके लिये भी हो सकती हैं मगर उनकी नेकनीयती और ख्वाहिश में कि देश का भला हो, मैं कोई कमी नहीं समझता। कहीं थोड़ी बहुत यह कमी रही, वह कमी रही, यह सही भी हो सकता है लेकिन किसी चीज का एक सही नकशा बनाना चाहिये और बड़ी तसवीर जब सही निकले तो यह कहना कि नाक के अन्दर का बाल जरा टेढ़ा है और उस बाल को लेकर ही सारी तसवीर को बुरा कह देना सही बात नहीं है। आखिर जबसे हमारे हाथ में शासन आया तब से हमारे यहां का शासन खासा अच्छा चल रहा है। आप जानते हैं कि खूंरेजी हो रही थी, जिस वक्त हमें स्वतंत्रता

[पं० गोविन्दवल्लभ पन्त]

मिली, ऐसी हालत थी, कि खून की नदियां बह रही थीं और जितने पुराने और अनुभवी अधिकारी थे सभी चले गये थे, अंग्रेज भी चले गये थे और कई मुसलमान भी चले गये थे, नये-नये आदमियों को लेकर काम किया गया, लेकिन वह खूंरेजी बन्द हुई। जितने हमारे बाहर से शरणार्थी या पुरुषार्थी लोग लाखों की तादाद में आये, उनका अच्छी तरह से स्वागत करके जहां तक सम्भव हो सकता था उनके पुनर्वासन में सफलता प्राप्त की। बीसों बातें ऐसी हुईं जो हर तरह से इस देश को आगे बढ़ाने वाली हैं, अच्छी हैं। उनमें दिक्कतें भी हैं। आज मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे प्रदेश में जो कर्मचारी हैं उनकी काफी मांग और जगहों से है। जहां भी वे जाते हैं उनके बारे में अच्छी बातें कही जाती हैं। आज देहली में चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हमारे ही यहां के आदमी हैं, नैपाल में ऐडवाइजर हमारे ही यहां के हैं। इस तरह से हर स्टेट में जहां जरूरत खास मालूम पड़ती है तो हमारे ही यहां के लोग बुलाये जाते हैं। हम अपने यहां के कर्मचारियों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी संख्या कम रह गयी है, अनुभवी कम हैं लेकिन फिर भी जब दूसरी जगह से जोर होता है कि तुम्हारे यहां का आदमी न आया तो हमारा काम चलना मुश्किल है, इसलिये भी हम देते हैं और आम तौर पर उनका कार्य जो वहां होता है उसकी सराहना होती है। इस तरह से हमको समझना चाहिये कि वे अच्छी तरह से दिलचस्पी से काम कर रहे हैं।

कहा गया है कि साहब यह इंबेजिलमेंट हुआ, और इस बारे में बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन मान लीजिये कि कहीं पर थोड़े रुपये का इम्बेजिलमेंट ही हो गया तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जहां कि इम्बेजिलमेंट नहीं होता है। हमारे यहां जो बड़ी बातें हुईं---जैसे जमींदारी एबालिशन का कार्य हुआ और चन्द महीने के अन्दर ही एक करोड़ से ज्यादा कम्पेनसेशन स्टेटमेंट बनाया गया कि किसकी कितनी जमीन है, क्या रकबा है, कितने आब्जेक्शन हुए और ९० प्रतिशत लोगों ने उसे मान लिया, जहां एक करोड़ से ज्यादा कम्पेनसेशन स्टेटमेंट बने और उनके ऊपर इस तरह से काम किया जाय।

आज यहां जो पहले लगान कहा जाता था और जिसको हम आज मालगुजारी कहते हैं वह पहले तो ६ और ७ करोड़ मिलती थी जो जमींदार वसूल करते थे और सरकार को देते थे अब करीब १८ और २० करोड़ रुपये हम वसूल करते हैं और हन्ड्रेड परसेंट वसूल होती है। इस काम को सर्विसेज के लोग करते हैं तो फिर उनके लिये हम कैसे कह दें कि वे कुछ करते नहीं हैं और वे किसी काम के नहीं हैं। इस तरह २० करोड़ रुपये का हन्ड्रेड परसेंट वसूल करना आसान बात नहीं है। इसी तरह से आप देखें कि हमारे काम कितने बढ़ते जा रहे हैं और किस तरीके पर यह जो शासन का काम करने वाले हैं और आज फील्ड्स में हैं वे काम कर रहे हैं उससे हमको यह मानना चाहिये कि वे अपनी तरफ से बहुत कुछ काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हमारा काम चल रहा है। चाहे इस तरफ के बैठने वाले सदस्य हों और चाहे उस तरफ बैठते हों, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि किसी एजेंसी की जरूरत होती है और बगैर किसी एजेंसी के कोई गवर्नमेंट चल नहीं सकती है और वह भी २०, २५ होते नहीं, उन लोगों की हजारों और लाखों में बड़ी भारी तादाद होती है। उन सब में यह भावना पैदा हो कि जो हमारे जिलों से ऊपर की यह बड़ी संस्था है उसके लोग हम सबको बेईमान समझते हैं और बेकार समझते हैं, यह ठीक नहीं है। और किसी के लिये भी संभव नहीं है चाहे कोई भी हो कल कम्यूनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हो तो उसके लिये भी यह मुमकिन नहीं है कि सर्विसेज को डिसबैन्ड कर दे।

श्री राजनारायण---ढांचा बदलना चाहिये।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—जरूर बदलना चाहिये और बदल रहा है। आज आदमी बदल रहे हैं। मनुष्य तो जैसा होता है वैसा दीखता है, मगर उसकी भावनायें बदल रही हैं, उसकी कार्यक्षमता बदल गई, उसका दृष्टिकोण बदल रहा है, मनुष्य बदल रहा है। मनुष्य बदलता है तो सारा ढांचा ही बदल जाता है। आज जो आफिसरों का दृष्टिकोण है वह बिलकुल बदला है और मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को समझें कि हमारा क्या कर्तव्य आज है। सिर्फ ढांचा बदलना ही क्या? ढांचा तो एक बनावटी चीज है। बदलाव अन्दरूनी होना चाहिये और वह बदल रहा है। आज तक जो भी हमारे शासन में काम करने वाले थे उनके सामने सिर्फ एक तरह का निगेटिव काम था, निगेटिव मैं इस तरह से कह रहा हूं कि कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ लो, अगर कोई जुर्म करे तो अदालत में ले जाकर उसको सजा दे दो, मगर पाजिटिव काम नहीं था। आज सारा कंसेंट्रेशन हम लोगों का है कि वेलफेयर स्टेट बनाना और लोगों की दिक्कतों को दूर करना। नहरों को खोलना, बांधों को खोलना और बेकार पड़ी हुई जमीनों को काश्त में लाना और गांवों को साफ करना, लोगों में ऐसी तबियत पैदा करना जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें। मैं आपसे कहता हूं कि एक प्रकार का पाजिटिव आईडियल हमारी सर्विसेज के सामने आया है और उस पाजिटिव आईडियल ने उनकी तमाम मनोवृत्तियों पर बहुत हद तक असर डाला है और इस तरह से वह जो मोटी फौज है उसको बदलने के लिये हमने एक आईडियल उनके सामने रखा है। कन्ट्री ने रखा है, जो आजादी की नैचुरल कारोलरी है वह सर्विसेज के सामने आयी है। आज उसको मौका मिला है सेल्फ एक्सप्रेशन का, अपने को अनफोल्ड करने का। आज जो कोई भी सर्विसेज हैं आज उसको मौका मिला है पाजिटिव आईडियल पर काम करने का जो उसके सामने वेलफेयर स्टेट का रखा गया है और उसमें वह कितना काम करते हैं और उसके निकट अपने और हम सबको कितना ले जा सकते हैं ऐसी बातों को कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और उस पाजिटिव आईडियल के लिये हमको उन्हें इंस्पिरेशन देना है चाहे कम मात्रा में, चाहे अधिक मात्रा में हो। लेकिन आज वे बदल रहे हैं, अन्दरूनी बातों को बदलते हैं और राजनारायण जी भी बदलेंगे और देखेंगे कि जिनको वह बहुत बुरा समझते हैं वे अच्छे हैं और जब वह उनको अच्छा देखने लगेंगे तो उनको मालूम होगा कि उनके ढांचे में बदलाव हुआ है और पहले की अपेक्षा अब काफी फर्क उनमें है, काफी उनमें अन्तर है। ढांचे से मतलब केवल ऊपरी बातों से नहीं बल्कि जैसा उन्होंने बाजी दफा खुद कहा है कि हृदय परिवर्तन से काम हो। हृदय परिवर्तन से मानव बनता है। वह परिवर्तन हो रहा है। इसलिये हमें समझना चाहिये कि कमजोरियां हैं, दिक्कतें हैं, उनमें भी कमियां हैं और हममें भी कमियां हैं। अपने को ईश्वर के अलावा कोई परफेक्ट नहीं कह सकता। मैं आपसे कहता हूं कि पार्टी गवर्नमेंट अच्छी चीज है और उसके लिये समालोचना भी अच्छी चीज है, लेकिन बाज वक्त क्या यह संभव नहीं है जबकि हमारे मुल्क की इतनी हालत खराब है कि सब लोग कंधे से कंधा मिला कर इस मुल्क की गरीबी और बेकारी को दूर करने का प्रयत्न करें? यह हमारे सामने एक सवाल है। जैसे कि इंगलैन्ड में कन्जरवेटिव और लेबर दो पार्टियां हैं, पहले लेबर पार्टी पावर में थी और कन्जरवेटिव पार्टी पावर में है लेकिन उनकी हालत सुख और समृद्धि की है जबकि हमारे यहां जो बातें करनी हैं वह ऐसी हैं जिनके बगैर आदमी अच्छी तरह से बसर नहीं कर सकता। हमारे यहां भी जब वैसी हालत हो जाय तब फिर यहां भी हो सकता है। इसलिये अभी हमें सभी लोगों को, सरकारी या गैर सरकारी, उन सबको एक साथ लेकर चलना है। मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई भी आदमी इनकरेजिबिल है। मैं पूरा यकीन करता हूं कि हर आदमी सही काम करने के लिये किसी न किसी वक्त तैयार हो सकता है और जिन लोगों को हम इस वक्त गलत समझ रहे हैं वह भी किसी न किसी वक्त सही समझे जा सकते हैं। इसलिये हमें इस बात की कोशिश करनी है कि सबमें एक तरह की अन्डरस्टैंडिंग बढ़े। न सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों में बल्कि जो गवर्नमेंट के बाहर हैं या जो लेजिस्लेचर के मेम्बर हैं उनमें एक अन्डरस्टैंडिंग होनी चाहिये और हमें

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

उनकी दिक्कतों और तकलीफों को समझने की कोशिश करनी चाहिये। उनको कन्डेम कर देने से हमारा काम नहीं चल सकता है। मैं समझता हूं कि गलतियां हो जाती हैं और उनसे भी हो सकती हैं मगर जिन लोगों को मुल्क को आगे ले जाना है उनकी गलतियों को निभाना पड़ता। अगर कहीं वह तारा खिसक गये तो उसके लिये आप उन्हें फेंक नहीं सकते, इससे काम नहीं चल सकता है। काम हर जगह इससे चलता है कि एक अन्डरस्टैंडिंग कायम की जाय अपने को ठीक करके और दूसरों को ठीक करके और उस तरह एक कामरेडशिप की स्पिरिट पैदा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और मेरा यकीन है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे अफसर जो रात दिन काम में लगे रहते हैं वह भावना उनमें कैसे पैदा होती। मैं तो आपके सामने चाहता था कि डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्ज इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश करता और उसके ऊपर यहां इस सदन में बहस-मुबाहसा हो जाता और हम देखते कि हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। हमने उसमें काफी इस बात की कोशिश की है कि गवर्नमेंट सरवेन्ट्स में जो खराबियां हैं उनको दूर किया जाय और उनकी एफीसिएन्सी बढ़ाने की कोशिश की जाय। उस कमेटी को करीब डेढ़ वर्ष बराबर इस में मेहनत करनी पड़ी।

उसकी रिपोर्ट हम चाहते थे कि आपके सामने आवे। आखिर वह कमेटी इसीलिये बनी, वह रिपोर्ट इसीलिये आयी कि हम समझते थे कि कमियां हैं उनको दूर करना है। उन्हीं को दूर करने के नाते से इस कमेटी को काम दिया गया ताकि इससे हम कुछ आगे बढ़ें। मैं उस रिपोर्ट की तफसील को आपके सामने नहीं रखता लेकिन उसके मुताल्लिक कुछ आर्डर्स जारी हो गये हैं। हमारी इस बात की हमेशा कोशिश रहती है कि जो कोई भी कमियां हों उन्हें दूर करें। अभी हाल में एक साहब बाहर से यहां आये थे। उनसे मैंने उनके वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और अपने यहां के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में मशविरा किया। वह इसीलिये कि सुधार की गुंजाइश है और सुधार अगर कहीं हो सके तो करना चाहिये। आपको यह भी मालूम होगा कि कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन इस किस्म का किया है कि सर्विसेज के बारे में जो कि इस वक्त का तरीका है उसमें क्या बदलाव करना चाहिये। वह रिजोल्यूशन भी यह दिखलाता है कि यह सवाल ऐसा है जो कि सब से ध्यान को खींच रहा है और जिस के ऊपर और गौर हो सकता है। मसलन एक छोटी सी बात हमारे सामने आती है कि क्या यह जरूरी है कि जितने हमारे यहां सर्विसेज के खाने हैं वे सब रहें, तहसीलदार अलग रहें, नायब तहसीलदार अलग रहें और डिप्टी कलेक्टर अलग रहें, आई० ए० एस० की तो खैर सेंट्रल सर्विसेज है और वह इस वक्त अलग है। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता है कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टरों को एक में लाया जाय और बीच-बीच में यह हो कि जो अच्छे आदमी हों उनको तुरन्त प्रमोशन दे करके आगे बढ़ाया जाय, पीरियाडिकल इम्तहान हों और उनमें अच्छे आदमियों को आगे मौका मिले। सर्विसेज के अन्दर कास्टिज्म को खत्म किया जाय जिससे सब यह समझें कि हम एक बिरादरी के हैं और उनके अन्दर कोई ढीलापन न हो। यह सब सोचने की बातें हैं। इसी तरह से और बातें जो सर्विसेज के सिलसिले में सामने आती हैं, जिनके ऊपर विचार करना होता है, उन बातों के ऊपर मैं चाहता हूं कि हमें सलाह दी जाय, हमें हिदायत दी जाय कि इस तरह से करो। आज कांस्ट्रक्टिव ढंग पर काम करने की बात है। आखिर वह एजेंसी तो हमें रखनी ही है और जो उसमें कमियां हैं उनको दूर करना है। इतना मैं चाहता हूं कि हमारा एप्रोच इन बातों में इस ढंग पर हो जिससे हम और बेहतर तरीके निकाल सकें।

राजनारायण जी ने आखिर में कुछ हिन्ट्स दिये। यह एक दिक्कत की बात होती है कि जब मैं जवाब देने के लिये खड़ा हो रहा हूं तब इस तरह के हिन्ट्सों की बात हो। अगर किसी को कोई शंका हो तो उसको अपने कटौती के प्रस्ताव में रखना चाहिये और यह कहना चाहिये कि इस में यह बात क्यों है। उसका जवाब, चाहे सन्तोषजनक हो चाहे असन्तोषजनक हो लेकिन दिया

जायगा। मगर पहले उसका कोई इशारा भी न हो और आखिर में कह दिया जाय कि ऐसा है तो बड़ी दिक्कत होती है। बाज वक्त मैंने ऐसा भी पाया है कि अगर कोई अंक ३.४६५ है और उसका मतलब है ३ दशमलव ४६५ और कोई उसको पढ़ देता है ३ हजार ४६५, तो कैसा होगा। दरअसल २ डिसमल ४ को जोड़ देने से बड़ा फर्क हो जाता है। इस मामले में लोगों ने सुना होगा कि एक ने कहा था कि "व्हाट डू दीज डैम डाट्स मीन ?" तो इस तरह से कुछ कह देना मुश्किल होता है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि हमारा कोई इरादा किसी म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने का नहीं है। अगर हो सके तो जो गवर्नमेंट के हाथ में हैं उनको छोड़ने का है।

जो रेलवे मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनको तनख्वाह वगैरह गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलती है जहां पर जो होता है वह एक तरफ होता है और जो खर्च होता है वह उसमें दिखलाया जाता है। अगर बाद में किसी बात की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट आफ इंडिया से मशविरा करके वह काम होता है और उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह छोटी-छोटी जो रकमें हैं इनके बारे में मैं जरूर हर एक में जहां पर जो कमी है उसे बतलाने को तैयार हूं, मगर जिस तरीके से जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बजट है वह आपको दिखलाता है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन दरअसल सारे सूबे के ऐडमिनिस्ट्रेशन के हर सीगे के चलाने में कुछ न कुछ जिम्मेदारी रखता है। मगर बावजूद इसके गो कि इन सालों में हमारे सूबे का बजट दूने के करीब हो गया मगर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्च में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ है। यह दिखलाता है कि कितनी किफायत-शारी से उसमें काम लिया जा रहा है। नहीं तो जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में खर्च बहुत बढ़ जाता। मगर उसको रोका गया और उसे बढ़ाया नहीं गया बल्कि जो रोका गया उसमें भी कमी करने की हर वक्त कोशिश रहती है। मैं समझता हूं हर गवर्नमेंट सरवेंट का और सब का यह फर्ज है कि जो एक रुपया टैक्सपेयर का हो उसकी पूरी कीमत टैक्सपेयर को मिलनी चाहिये।

कुछ इस सिलसिले में जिक्र किया गया कि मद्रास में मिनिस्टरों की तनख्वाह कम हो गई और यहां नहीं हुई। मुझे मालूम नहीं कि वहां कोई कमी हुई है मगर यहां की कमी को वह भूल जाते हैं। यहां पहले मिनिस्टरों की तनख्वाह १,५०० रुपये थी। यह कोई खास रकम नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि वह बहुत छोटी रकम है। वह घटा कर अब १,२०० रखी गयी और जो टैक्स रखा गया उसके समेत वह करीब १,२७५ या १,२८० के आती है। तो इस तरीके पर यहां २२० या २२५ रुपये की कमी की गई। यह साल डेढ़ साल पहले हुआ था। मगर मद्रास में जहां तक मुझे मालूम है कोई कमी नहीं हुई। १० परसेंट की कमी वहां पेश की गई थी मगर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा कि हम आई० ए० एस० में कमी नहीं कर सकते। तो मद्रास गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर आई० ए०एस०की कम नहीं होती तो किसी की भी नहीं कम होगी। नतीजा यह हुआ कि कम किसी की भी नहीं हुई। मगर इसके माने यह नहीं हैं कि यहां अगर कमी की जा सके तो न की जाय।

फिर गेंदासिंह जी ने कहा कि यह बजट मालदारों को ज्यादा मालदार बनाता है और गरीबों को ज्यादा गरीब बनाता है इसका उन्होंने यह एक सबूत दिया कि मिनिस्टरों की तनख्वाह जैसी पहले थी वैसी अब भी है। मिनिस्टर कितने मालदार हैं, कितने नहीं और ऐसे मालदार कितने बढ़ गये, यह मैं जानता नहीं और बढ़ गये तो गेंदा सिंह जी को हम धन्यवाद भी देंगे और मुबारकबाद भी देंगे गोकि बहुत पैसा होना अच्छा नहीं होता है, उससे नुकसान होता है। मैं नहीं समझता उससे ज्यादा फायदा है। मगर वह बात तो अलग है। फिर उन्होंने मिसाल दी कि चपरासियों की जितनी तादाद थी उतनी ही है मगर तनख्वाह कम हो गई। किस की तनख्वाह कम हुई ? अगर वह क्लर्क्स और इनफीरियर सर्वेन्ट्स के बजट को देखें तो वह पहले से ज्यादा हुआ है। जो वह एक स्पेसिफिक कोई चीज शायद कहते थे कि वहां रुपया तो १० हजार कम हो गया मगर तादाद उतनी ही है। वह देखेंगे कि कि तादाद हुई है। शायद उनके

[श्री गोविन्दबल्लभ पन्त]

देखने में जो तादाद एक सी लगी तो या तो जो मैंने देखा वह गलत है या जो उन्होंने देखा उसमें कोई मुगालता हो गया। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं खुद यह समझता हूं कि उसमें तनख्वाह कम नहीं होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि जो स्केल आफ सैलरीज के बारे में बलवन्तसिंह जी ने कहा वह देखने की बात है कि रेंज आफ सैलरीज किस तरीके पर हो। यह एक फंडामेंटल बात है जो देखने की हो सकती है। मगर यह कि हर एक आदमी के पीछे एक-एक, दो-दो तीन-तीन चपरासी हों, मुझे डेमोक्रेटिक एज में कुछ ठीक नहीं लगता। मैं इसके खिलाफ हूं कि एक भी रिट्रेंच किया जाय या उनमें बेकारी बढ़े मगर मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि कम से कम जिनके पास चपरासी ज्यादा हैं उनके चपरासी कम किये जायं और इसके ऊपर विचार करना चाहिये, क्योंकि हर आदमी के पीछे एक एक चपरासी लगा रहे यह न तो चपरासी के लिये स्वतंत्र देश में बहुत ठीक बात है और न जिसके पीछे वह लगा रहता है, उसके लिये बहुत ठीक बात है। मगर यह बात हम लोगों के सोचने की है और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। मगर यह मैं समझता हूं कि यह एक गौरतलब मसला है जिसके ऊपर विचार होना चाहिये गवर्नमेंट का और सर्विसेज का। इसका भी जिक्र किया गया कि मिनिस्टरों को दावतें दी जाती हैं। मैं जानता नहीं कि अब भी हमें इन छोटी-छोटी बातों को किस हद तक तरजीह देना चाहिये। मैं तो दावत के नाम पर यह कह सकता हूं कि मिनिस्टरों को दावत की शकल में जिसे फीस्ट कहते हैं, शायद ही कहीं दी जाती हो। यह जरूर है कि कहीं जाते हैं तो ऐट होम के नाम पर लोगों का जमाव हो जाता है, उनमें लोगों से मिलने का मौका मिलता है यह ख्वाहिश लोगों की रहती है और मिनिस्टरों को भी रहती है और रहनी भी चाहिये कि जब कहीं वे बाहर जायें तो वहां लोगों से मिलें ताकि लोगों से उनका सम्पर्क बना रहे। किसी को कुछ कहना हो तो वह उनसे कह सके और अगर इन्हें कुछ कहना हो तो यह भी कह सकें। मगर दावतें क्या होती हैं उनसे कोई फीस्ट की बात नहीं है। मैं खुद इस बात को रखता हूं कि अगर कहीं ऐट होम होता है अगर वहां चाय या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख दी जायं और खाने की कोई चीज न हो तो ठीक है क्योंकि उसमें कुछ न कुछ सिलसिला हो जाता है मगर इसके अलावा अगर कोई मटर वगैरह के कुछ दाने रख दें तो कोई ऐसी बात नहीं है और इससे कुछ ज्यादा नुक्सान नहीं होता है और न कोई बड़ी रकम ही खर्च होती है। लिहाजा अच्छा ही है अगर वह सुगम और सरल हो। बहुत से आदमी बेकार की बातों में पैसा खर्च करते हैं अगर मिनिस्टरों के जरिये उनको खर्च करने का जरिया मिल जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, जिससे सबको फायदा पहुंच जाता है।

यहां पर और भी बहुत सी बातें कही गयीं। डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गयी और कहा गया कि सेंट्रलाइजेशन है। जहां तक हमारे कांस्टीट्यूशन का ताल्लुक है तो अथारिटीज सेंट्रल अथारिटीज हैं। एक सेंट्रल लेजिस्लेचर और सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके अलावा जहां तक बाहर स्टेट्स का है वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट। वह जो चाहें अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन सारी अथारिटी सेंट्रलाइज्ड है इस लेजिस्लेचर और राज्य सरकार में इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसके बाद जो सेंट्रलाइजेशन हो सकता है वह लोकल बाडीज में जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स म्युनिसिपल बोर्ड्स, पंचायतें तथा ग्राम सभा इत्यादि के जरिये किया गया है। इनको काफी अधिकार दिये गये हैं। लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह चीज उधर के लोगों को ज्यादा खटकती है कि उनके पास पैसा नहीं है वह तनख्वाह तक नहीं दे सकते हैं और वह कुछ कर नहीं पाते हैं। पंचायतों के बारे में भी बहुत सी शिकायतें हैं तो ऐसी सूरत में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया जाय, यह सोचने की बात है। डिसेंट्रलाइजेशन के माने यह हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बढ़ायी जायं तो मैं समझता हूं कि यह होना चाहिये कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह को काफी पावर्स दे दें क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत काम होता है उनमें से हर एक को कुछ न कुछ काम दे दिया जाय और जो खास-खास

बातें हैं गवर्नमेंट उनको ही करे बाकी डिटेल्स को डिसेंट्रलाइजेशन करके डेलीगेट कर दे। मगर इसके अलावा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदन अगर कोई रास्ता निकाल सके तो हमें सोचना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कोई ऐसा ढंग निकल सकता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव मिलकर काम कर सकें और क्या उसका ढांचा हो। कुछ दिक्कतें यह हैं कि एक तरफ जिम्मेदारी है इस लेजिस्लेचर की और इस गवर्नमेंट की और अगर नीचे जाते हैं तो वहां वे चीजें उनको करनी होती हैं। लिहाजा वे कोई अथारिटी किसी दूसरी को ऐसे दे भी नहीं सकते जिसकी कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की न रहे। मगर एसोसियेशन कोई ऐसा हो सके कि उनके मुकदमे करने, उनकी तहकीकात करने, उनको किसी तरीके पर अपने काम को डिस्ट्रिब्यूट करने, इन सब बातों में वह इस तरीके से कर सकें इसके लिए अगर कोई बोर्ड बन सके तो उस पर गौर किया जा सकता है और हम उसके बारे में सोचने विचारने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मगर दिक्कत जो मालूम होती है वह यह कि एक तरफ तो उनकी अथारिटी न रहे। दूसरी तरफ वह उसके लिए जिम्मेदार हों। किसी को जिम्मेदारी हो, मगर उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसके हाथ पैर खुले हुए न हों तो वह कैसे उसे पूरा कर सकता है? यह एक बेसिक सवाल आता है। इस बेसिक सवाल को हल कैसे किया जाय, इसको सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायं अगर बहुत सी चीजें इस प्रकार से कर दी जायं मगर सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुछ न कर सके तो फिर किस तरह पर काम चल पायेगा।

बालेन्दुशाह जी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का जिक्र किया। मैं जानता नहीं हूं कि उनके मन में यह बात थी कि नहीं कि टेहरी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है और होना चाहिये। मगर हमें कोई उज्र नहीं है टेहरी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने में। लेकिन पहाड़ के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जो हालत है उसको देखते हुए अगर हम टेहरी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाते हैं तो उसकी आमदनी अपने खर्चे को चहारुम भी नहीं होगी और फिर गवर्नमेंट को यह लगेगा कि हम इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इतना रुपया कैसे दें जो कि और लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो उससे टेहरी सफर करेगी। वैसे वहां के काम जो हैं उनके लिए हमने प्लानिंग कमेटी को पावर्स दे रखे हैं जिससे कि वह सब काम कर सके। ऐसी हालत में उसमें इस दिक्कत को कैसे हल किया जाय। अगर इसका हल निकाल सकें तो हमें कोई उज्र नहीं है। मगर मैं समझता हूं कि टेहरी के हित में भी यही है कि जिस तरह से काम चल रहा है वह चले। यह भूल हो जाया करती है कि आफटर आल जो कोई काम गवर्नमेंट करती है, वह भी एक डेमोक्रेटिक सेट अप से करती है। गवर्नमेंट भी वैसी ही रिप्रेजेन्टेटिव लोगों की है जैसे कि कोई और हो सकता है। वैसी हालत में गवर्नमेंट को अनडेमोक्रेटिक समझकर यह कहना कि वह तो सेंट्रलाइज्ड काम है, जो वह करेगी, यह सही नहीं है।

इसके अलावा कमिश्नर्स का भी जिक्र किया गया। गेंदा सिंह जी ने तो एक ऐसी बात कही कि जिसकी उनसे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि कमिश्नर्स बहुत बढ़ गये हैं मगर कमिश्नर्स लफ्ज जब सामने आता है तो उसका अर्थ यह है कि जोकि कलेक्टरों के ऊपर एक डिवीजन में काम करने वाले आफिसर हैं, वह कमिश्नर कहे जाते हैं। अलावा इसके सेल्स टैक्स कमिश्नर, इंटरटेनमेंट कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर और बहुत से कमिश्नर हैं। मगर उनसे ताल्लुक नहीं है। जहां तक कमिश्नर्स का ताल्लुक है वह पहले दस थे। उनको हमने पांच किया और फिर पांच के तीन किये। अब तीन हैं। मगर मैं आपसे यह भी कह देना चाहता हूं कि मैं कुछ हिल रहा हूं कि तीन काफी हैं या नहीं और सोच रहा हूं कि क्या वह और बढ़ाये जायं। मेरा दिमाग दूसरी तरफ काम कर रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मैं

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

आपको आगाह कर दूं कि मुमकिन है कि और बढ़ जायं। अब तक मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचा हूं। मगर कई बातों में मैंने यह देखा कि हमारे कई आफिसर्स नये हैं और उन नये आफिसर्स को जब कोई खास क्राइसिस आती है, कोई खास नाजुक हालत आती है, तब खुद काम को कैसे करें उसमें थोड़ी सी असमझदारी सी होती है। लिहाजा आगे उनकी असमझदारी दूर हो सके, आगे काम बेहतर हो सके, इसके लिये अगर हम एक दो कमिश्नर्स बढ़ा दें, यह मैं सोच रहा हूं, तो क्या यह ठीक होगा। आफटर आल कमिश्नर्स के बारे में जब कहते हैं तो किसी का भी यह मतलब तो नहीं है कि कमिश्नर्स कम किये जायं और काम खराब हो, कमिश्नर्स को कम करके काम बेहतर हो, इसी गरज से लोग कहते हैं कि कम किये जायं मगर कम होने से उसका उलटा हो तो कम करना ठीक नहीं है और अब जितने हैं वह तो आफिस वगैरह सुनने के लिए और और कामों के लिए उनका होना जरूरी है। फिर हमारा डेवलपमेंट का भी काम बढ़ता जा रहा है। उसके लिए भी क्या हमारी मशीनरीज जो है वह काफी है या कि हमें उसमें भी और इजाफा करना चाहिये यह भी सोचने की बातें हैं। इसलिए इन बातों पर भी गौर करना है। कल भगवान सहाय जी ने दो चीजों का जिक्र किया था। एक तो पेंशन डेरी में मिलने का जिक्र किया था। पेंशन में जो पहले देरी होती थी उसमें अब कमी हो गयी है। और उनको यह खयाल रखना चाहिये कि जो बातें उनके कानों तक पहुंचती हैं वे उनसे पहले हमारे कानों में पड़ जाती हैं। हम उनको दूर करने में अपनी तरफ से कोताही नहीं करते। उसके लिए काफी हिदायतें भेजी गयी हैं। एक स्पेशल आफिसर रख दिया गया है कि जो भी पेंशन के पुराने केसेज हैं उनको वह करे। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि हरएक की सर्विस को सर्टिफाई करना पड़ता है। दूसरे एकाउन्टेंट जनरल का सर्टिफिकेट भी आना चाहिये। और अगर हमारे यहां कमियां हैं तो बेचारे एकाउन्टेंट जनरल की भी दिक्कतें हैं। अगर हम जल्दी भी करें और वह अगर उतनी तेजी न कर सके तो भी रुक जाता है। मगर हमारी कोशिश यह है कि पेंशन जल्दी मिला करे। लेकिन जब तक पेंशन नहीं मिलती तब तक उनको करीब-करीब पेंशन देने की कोशिश की जाती रही है कि इन ऐडवांस फार्मल आर्डर्स होने के पहले और अबसूलूट कैल्कुलेशन होने के पहले उनको वह मिल जाय।

दूसरे उन्होंने ऐम्बेजिलमेंट के सिलसिले में जिक्र किया। मुझे थोड़ी सी शिकायत इस बात की है कि उन्होंने कल एक प्रश्न किया था उसका जवाब उनको मिला था। उन्होंने एम्बेजिलमेंट का जिक्र करते हुए यह कहा कि उन केसेज में कुछ नहीं किया गया। लेकिन उनको जो जवाब मिला था उसके दूसरे हिस्से में यह था कि ९० आदमियों पर फौजदारी के मुकदमे किये गये। उन्होंने इस बात को छोड़ दिया यह समझना कि यह एम्बेजिलमेंट गैर मामूली हैं यह सही नहीं है। आप समझते हैं कि हमारे प्रदेश में करोड़ों का लेनदेन होता है। पटवारी, अमीन रुपया लेते हैं, कोई पेशकार को देते हैं, कोई उसके बाद किसी दूसरे को और फिर खजाने में रुपया जाता है। कितने आदमियों से हैंडिल हो कर जाता है। इस तरीके पर करीब तीन सौ करोड़ रुपये का साल में लेनदेन होता है। उसमें अगर कहीं एक लाख में दस रुपया, पांच रुपया या एक रुपये का हिसाब में एम्बेजिलमेंट हो जाय तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप सेंट्रल और दूसरी स्टेट्स को देखें तो इससे ज्यादा मिलेगा। कम नहीं मिलेगा। जिन केसेज का उन्होंने जिक्र किया हर केस को एग्जामिन किया गया और जिनका ताल्लुक था उनको सजा दी गयी। एकाउन्टेन्ट्स जनरल ने उस सब को देखकर यह नहीं समझा कि इन में कोई गैर मामूली बात थी या ऐसी बात हुई जिससे समझा जाय कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कितना वक्त मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष---अगर सवा बजे खत्म करना है तो सवा बजे तक ही है। लेकिन उसके बाद भी हो सकता है। हम थोड़ा और भी बैठ सकते हैं। उसके बाद कटौती के प्रस्ताव वाले सवा दो बजे के बाद बोलें। तब यह अनुदान खत्म हो सकता है।

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर में यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री के लिए कोई समय की लिमिट होगी ?

श्री अध्यक्ष—लिमिट नहीं है।

श्री राजनारायण—आपने पहले व्यवस्था दी थी कि अगर एक आदमी के लिए होगी तो सबके लिए होगी।

श्री अध्यक्ष—मंत्रियों के लिए यह नहीं था क्योंकि उनको सबका जवाब देना पड़ता है।

श्री राजनारायण—मैं चाहता हूं कि मूवर को भी काफी समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर चाहेंगे तो देंगे।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—मुझे एक बात यह कहनी है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, आखिर जो बातें यहाँ कही जाती हैं, अगर वह इस गरज से कही जाती हैं कि मिनिस्टर्स कोई जवाब न दें और वही कह लें तब तो ठीक है। कुछ न कहा जाय लेकिन बाद में यह शिकायत होती है कि हमने यह बात कही उसका कोई जवाब ही नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि कल से तीस के करीब भाषण हुए होंगे। अगर उनका कुछ न कुछ जवाब देना हो तो कोई वक्त देना ही पड़ेगा और हर लेजिस्लेचर में होता है। मिनिस्टर तो डार्क में होता है। उसका एक्सप्लेनेशन आ जाय फिर जो चाहे सजादें, चाहे हंग करदें। लेकिन यह तो मौका मिलना चाहिये कि अगर वह कुछ बातों को तसलीम कर सके तो आपके दिलों में धड़कन तो कम हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि मैं ज्यादा वक्त लूं। मैंने पहले इसीलिये कोई वक्त नहीं लिया और हाउस को ही वक्त देना बेहतर समझा ताकि बाद में उन बातों का जवाब दे सकूं जो यहाँ कही जायं।

श्री राजनारायण—मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा समय मिले।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—अच्छी बात है। मैं तो आपके हुक्म की तामील हमेशा करना चाहता हूं। कुछ यहाँ इस बारे में भी जिक्र हुआ कि करप्शन वगैरह दूर होना चाहिये। करप्शन की बात हम बहुत करते आये हैं। आज कोई नयी बात नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी में इस बात पर खास तौर से बातचीत हुयी और इसीलिये वह कमेटी बनी भी। एंटी करप्शन कमेटीज हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं। उनका ढांचा कुछ बदला है और कुछ उनका स्कोप भी बढ़ा है जिससे वह कुछ ज्यादा काम कर सकें। मैं चाहता हूं कि उनमें हमारे सभी सदस्य हिस्सा लें। क्योंकि जो मौके पर बात हो सकती है आसानी से वह और कहीं नहीं हो सकती। यहाँ उसको जानने में दिक्कत होती है। मगर जो करप्शन है जैसा कि किसी साहब ने कहा था हम हब लोगों के लिये जरूरी है कि सब मिल कर इस बात का प्रोपेगेंडा करें कि वे रिश्वत न दें। पब्लिक सर्वेंट्स रियली उनके सर्वेन्ट्स हैं। वे जाकर रिश्वत दें यह न करना चाहिये। यह बात उनको समझाना चाहिये। कोई रिश्वत देता है तो जरूर कुछ फायदा उठा लेता है। जो नकल तीन दिन बाद मिलने वाली होती है वह जल्द मिल जाती है। इंस्पेक्टर को कुछ दे दिया जाता है तो जो फीस देनी होती है उसमें कमी हो जाती है। इसलिये लोगों को समझाना है कि ईमानदारी की कीमत देनी होगी। कुछ दिक्कत हो तो उसे हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिये ताकि ठीक तरीके पर काम चल सके।

कुछ बातें और भी यहाँ कही गयीं जिसमें एक एफिशियेंसी बार है। कहा गया कि मेरिट प्रोमोशन होना चाहिये। कुछ ने कहा कि मेरिट पर प्रोमोशन होना ठीक नहीं है। उसमें बहुत बेगरीज हैं। हाँ, यह खतरा जरूर रहता है और हर काम में रहता है, लेकिन तो यह

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

करना है कि कौन सा तरीका कम नुकसानदेह होगा। सीनियारिटी को तरजीह न दे कर मेरिट पर प्रोमोशन हो वही ठीक तरीका है। जिनकी ईमानदारी ठीक न हो, जिनको सजा मिल चुकी हो उनको छोड़ दिया जाय और जो ईमानदार आदमी हैं उनको तरक्की दी जाय। लेकिन उसके ऊपर फिर इस किस्म की टिप्पणी न होनी चाहिये कि दूसरी वजह से ऐसा किया गया। हर जगह मेरिट पर प्रोमोशन देने पर यह कहा जाय कि दूसरी वजह से ऐसा किया गया तो मेरिट का सवाल नहीं चल सकता।

इसके अलावा एफिशियेंसी बार हर ५ वर्ष में सबके लिये रख दी है और उनकी रिपोर्ट ठीक आने पर आगे तरक्की मिल पायेगी। उसमें यह भी है कि आम लोगों के साथ उनका व्यवहार ठीक है, रिपुटेशन क्या है और कई स्टेप्स भी इस गरज से हैं जिनसे लोगों में करप्शन दूर हो जाय। साथ ही सर्विसेज में एफिशियेंसी के लिये यह किया है कि उनका रिकार्ड फलाल हो। इंटिग्रिटी सर्टिफिकेट का भी प्राविजन रक्खा गया है। २५ साल में जिनकी एफिशियेंसी अच्छी नहीं होती उनका कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाय इसका भी प्राविजन रक्खा गया है। इसी साल जनवरी से दिसम्बर, ५३ तक करीब २३०० आदमियों पर डिसिप्लिनरी ऐक्शंस, डिसमिस्ल या कंविक्शंस या और तरीके पर सजायें दी गयी। जो कि एक तरह से कोई मेम्बर ऐसा नहीं है और एक हजार केसेज पड़े हुये हैं इस वक्त जोकि चल रहे हैं। इन बातों पर खास निगाह रखी जाती है परन्तु कुछ न कुछ सबूत तो होना ही चाहिये कब्ल इसके कि कोई कार्यवाही की जाय।

कमला सिंह जी ने इस बात की शिकायत की कि जो बैकवर्ड कहे जाते हैं उनके लिये सर्विसेज में कोई रिजर्वेशन नहीं है। कांस्टीट्यूशन के मुताबिक शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के अलावा और किसी का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। कांस्टीट्यूशन यह कहता है कि इन दोनों जाति के लिये तो रिजर्वेशन होना चाहिये वरना सबके लिये इक्वालिटी होनी चाहिये। उसके खिलाफ अगर कोई करे तो रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। जिस हद तक यह परमिट कर सकता है वह इन दोनों के लिये है। बैकवर्ड के लिये उसमें नहीं है। जो इस किस्म की बातें हैं जो कि कांस्टीट्यूशन से ताल्लुक नहीं रखती हैं तो उनका लिहाज किया जाय यह जरूरी है मगर दरअसल देखा जाय बैकवर्ड जो जातियां हैं वह तो एक दूसरे से सरोकार नहीं रखती हैं। शिड्यूल कास्ट तो ऐसी हैं जिसमें एक अनटचेबिलिटी यानी एक सोशल डिसऐडवांटेज उनको रहता है। लेकिन जहां तक बैकवर्ड का ताल्लुक है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। उसमें धोबी, तेली, तमोली हैं उनके लिये सर्विसेज पर असर नहीं पड़ता है। वह हर एक जमाअत बिलकुल अलग अलग है। इसलिये दोनों को एक ग्रुप में रखना ठीक बात नहीं है।

मैं समझता हूं कि मैंने करीब करीब बहुत सी बातों का जवाब दे दिया है। श्री मदन मोहन जी ने आखिर में कहा कि लेजिस्लेचर को सुप्रीम होना चाहिये और स्पीकर साहब का हुक्म सब से ऊंचे होना चाहिये। वह ठीक है। वह तो जहां तक फाइनेंस के कुछ रूल्स वगैरह हैं जब तक यह फाइनेंस डिपार्टमेंट है तब तक वह हर एक चीज को देखता है कि कहां पर किस प्रकार से खर्चा होता है तब वह हरएक चीज को देखता है कि कहां पर किस प्रकार से खर्चा होता है। वह तो गवर्नमेंट के मेम्बरों का भी खर्चा देखता है। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि उसमें कोई छोटा हो या बड़ा हो। इसमें जहां तक स्पीकर साहब का सम्बन्ध है हम सब चाहते हैं कि उनकी डिगनिटी ऊंची हो और तभी हाउस के हरएक मेम्बर का मान भी ऊंचा होता है। बल्कि एक केस यहां पर हुआ जिसकी अपील भी हुयी थी और पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस अपील को मंजूर किया था। हमने इस ख्याल से कि स्पीकर की डिगनिटी ऊंची रहनी चाहिये तो उस आर्डर को जो स्पीकर ने दिया था उसको ही माना और कमीशन की सिफारिश को नहीं माना। इस वास्ते हम यह समझते हैं कि जहां तक स्पीकर का हुक्म होता है उसको हम सुप्रीम मानने की कोशिश करते हैं। इस केस में भी उनकी बात को ही माना। लिहाजा हमारी ख्वाहिश मेम्बरों से कम नहीं है। जहां तक हमारा सेक्रेटेरियट

स्पीकर साहब की मदद कर सकता है उसके लिये दिक्कत को कम करने की कोशिश की जाती है। आपको मालूम होगा कि अपर हाउस में एक बात ऐसी हुयी कि जिससे वहाँ के सेक्रेटरी को अलग करना पड़ा और वह मुमकिन है कि डिसमिस हो गये हों। तो इसमें तो मदद देना ही है ताकि उसकी कुछ देखभाल हो सके और ऐसी बात न होने पावे जिससे कोई खयाल पैदा हों। मगर मैं यह समझता हूं कि स्पीकर साहब और हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। मगर मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसी बात न करें जिससे उनके और आपके बीच में कोई झगड़ा हो, जिससे हम इस हाउस की शान को पूरी तरह से कायम रख सकें।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सब माननीय सदस्यों का और खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर बड़े गौर से सुना। माननीय मुख्य मंत्री जी की अदमौजूदगी इस समय मुझे बहुत खटक रही है क्योंकि मैं कुछ उनके सामने व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता था। उनकी सब से बड़ी शिकायत यह थी कि कंस्ट्रक्टिव सजेशन्स होने चाहियें। मैं सब से पहले यह कहना चाहता हूं कि हम रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं और वह यह है कि देश की आर्थिक व्यवस्था आज बहुत अस्तव्यस्त है। माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार का इसलिये कर्त्तव्य है कि उसको सुधारें। देश में ५ और ६ आने रोज पर मजदूरी का भी लोगों के लिये सरकार इन्तजाम नहीं कर सकती और बेरोजगारी बढ़ रही है। ग़रीबी को दूर करने का यत्न होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं सब से पहले माननीय वित्त मंत्री के भाषण से पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने शुरू ही में कहा कि उत्तर प्रदेश में रहने वालों का जीवन-स्तर यानी स्टैंडर्ड आफ लिविंग बहुत नीचा है। और वे ग़रीब हैं। उनमें शिक्षा की कमी है। उनकी खेती घटिया है.....और बहुत से लोग बेरोजगारी के शिकार बने रहते हैं। अन्त में उपसंहार में उन्होंने कहा है: अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा इस सदन के सब सदस्यों से केवल उन्हीं से नहीं अगर मेरी आवाज इस सदन के बाहर जा सके तो उत्तर प्रदेश के सब रहने वालों से वे कोई भी हों उनसे जोरदार अपील करता, और प्रार्थना करता कि उत्तर प्रदेश हमारा है और हम इसके हैं, उसका हम पर हक़ है, और हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसकी आवश्यकता के समय उसके काम आयें। उस पर अपनी हिम्मत निसार करें, उसको भूख मुफलिसी और बेसामानी की मुसीबत से निकाल कर ऊंचा और बहुत ऊंचा उठायें। स्वतंत्र होने के बाद अगर हम आपस के इख्तिलाफ़ों, संघर्षों और गलत राहों पर चलने की बदौलत उसकी सेवा करने से कतरा गये, रास्ते की कठिनाइयों में घबरा गये और जो कुरबानियां हमको देनी चाहिये थीं, वह न दीं हमारे बाद आने वाली नस्लें हमको इल्जाम देंगी कि हमने हौसला, हिम्मत और समझ रखने वाले इन्सानों की तरह अपने कर्तव्यों को अदा नहीं किया। हम खुद डूबे और अपने साथ उत्तर प्रदेश को भी ले डूबे।

यह शब्द माननीय वित्त मंत्री जी के स्वीकारोक्ति के हैं। उन्होंने जो किया है उससे उन्होंने इन्कार नहीं किया है। अब सवाल यह है कि जिस बात को हम कहते हैं उसी को वे दूसरे ढंग से कहते हैं। मेरी समझ में जब यह बात साधारण तौर से नहीं आयी तो मैंने बजट को पढ़ा। उस बजट का पढ़ना आखिर कहां से सीखा? इन्हीं माननीय मुख्य मंत्री जी के पीछे रह कर अपनी बीबी बच्चों की खिदमत करने से मुंह मोड़ा। उन्हीं के पीछे रह कर इसको सीखा और देश के नाम पर कुरबानी करनी चाही। मैं शिकायत के तौर पर नहीं और न किन्हीं माननीय मंत्रियों के अपमान के खयाल से और न उनका दिल दुखाने के खयाल से ही यह कहता हूं, वे हमारे अगुआ हैं लेकिन हम इस बजट में देखते हैं कि माननीय राज्यपाल के खर्चे में कोई कमी नहीं हुई है और न माननीय मंत्रियों के खर्चे में ही कोई कमी हुई है। ४ लाख ८८ हजार रुपये के बजाय ६ लाख १९ हजार रुपया इस बजट में रक्खा गया है। और फिर अगर आप इसके पेज ७८ को

*वक्ता द्वारा भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

[श्री गेंदासिंह]

देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि ५,४३६ चपरासी और क्लर्कों की तनख्वाह के लिये जो पिछले वर्ष २६ लाख ८० हजार रुपया रक्खा गया तो उसको घटा कर २५ लाख कर दिया गया है। इससे यह जरूर मालूम पड़ता है कि उन लोगों की तनख्वाहों या भत्तों आदि में कहीं न कहीं कमी जरूर की गयी है। मैं इन आंकड़ों में अधिक न जा कर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आखिर प्रवृत्ति क्या है। हम इस बजट को दर्पण समझते हैं कि किस तरह से हमें ले जा रहे हैं। यह कभी नहीं हो सकता कि माननीय मन्त्रिगण माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ऊपर इस बात का दबाव डालते रहे कि इनके बजट में कमी नहीं हो सकती। उनके दौरों का खर्चा, उनके आराम और आसायश का खर्चा किसी प्रकार से भी कम नहीं हो सकता और उसके बाद यह कहा जाय कि निचली श्रेणी के लोग अपनी बेयर नैसेसिटीज को भी मुल्क के नाम पर कुरबान करें, यह सम्भव नहीं है। न ऐसा हो सकता है और आजतक किसी मुल्क में ऐसा हुआ है। और जिसने हमें आचार्य के रूप में सबक दिया उसने भी हमको ऐसा नहीं सिखाया। उसने पहले स्वयं किया फिर दुनिया को करने की प्रेरणा दी। इसके अलावा हमारे पास और कोई रचनात्मक सुझाव नहीं जिसे हम सरकार के सामने रख सकें। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। सरकार इस तरफ जाने को तैयार नहीं होती तो, मैं माफी चाहूंगा इस बात को कहने के लिये कि सरकार अपने कामों में, अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो सकती और अगर वह अपनी योजनाओं में सफल न होगी तो सरकार एक अरब तीस करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी अपने हाथ में सिफर ही पायेगी और तब इसका क्या होगा, यह भगवान ही जाने। मैंने कुछ सुझाव दिया था और मैं यह उम्मीद करता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी दो चार बातों की तरफ जो मैंने इशारा किया था उस पर जरूर कुछ रोशनी डालेंगे। लेकिन मालूम होता है कि वे भूल गये। जुडिशियरी एक्जीक्यूटिव की बात हमने कही थी और खास तौर पर जुडिशिअल अफसरों के वेतन की बात मैंने कही थी कि जुडिशिअल अफसरों के वेतन सबडिवीजनल मैजिस्ट्रेटों से कम क्यों हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही। मैं समझता हूं कि स्पीकर का ओहदा जो है वह हमारी असेम्बली की प्रतिष्ठा का ओहदा है और उसके सिफारिश को और उसके फैसले को जो कि उसने किया, जुडिशिअल डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट काट दे, उसे मोड़ दे या दूसरी तरफ को कर दे, यह मुनासिब नहीं है। यह सत्य है कि फाइनेंस का ध्यान रखना जरूरी है और मैं समझता हूं कि हमारे स्पीकर जी होंगे वे फाइनेंस का ध्यान रख कर ही इस काम को किये होंगे।

जब खर्चा बढ़ता है तो हुकूमत को मैं मजबूर होकर लगाना पड़ता है मैं सब करों की चर्चा नहीं करता लेकिन आज जो सारे प्रदेश में बेचैनी है उस बेचैनी का कुछ पता हो तो हमको भी है लेकिन हमसे भी ज्यादा पता माननीय मुख्य मंत्री जी को है। जब कर लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार को मजबूर होना पड़ता है कि वह काम करे, फिर कैसे काम चले? माननीय मुख्य मंत्री जी सम्भवतः इस बात को कह सकते हैं कि भाई इनकी तनख्वाह इसलिये कम नहीं होती है तीन हजार और बाइस सौ रुपये से कि अंग्रेजी हुकूमत से हमने समझौता किया था कि हम इतनी ही तनख्वाह देंगे। जहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे गजेटेड आफिसर को ज्यादा ईमानदार समझते हैं तो क्या इन गजेटेड आफिसरों से यह उम्मीद न की जाय कि वे अंग्रेजों के बल पर हमारी छाती पर कोदों नहीं दलेंगे? सभाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा वक्त मैं जरूर चाहूंगा कि अगर उन अंग्रेजों के बल पर इस राज्य और इस देश को जहां कि फी व्यक्ति ढाई तीन सौ वार्षिक आमदनी है वे तीन हजार रुपया महीना लेते हैं तो इनकी ईमानदारी को हम क्या कहें और उनकी वफादारी को क्या कहें? अंग्रेजों के बल पर तीन हजार रुपया महीना लेना, मैं समझता हूं कि यह उनकी वफादारी नहीं है। मद्रास का प्रमाण हमारे सामने है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे खुद लिख कर उनको भेजें कि अंग्रेजों के बल पर जो समझौता तीन हजार और साढ़े बाइस सौ वेतन लेने का हुआ है उसको हम नहीं मानते और उतना हम नहीं दे सकते हैं। गजेटेड आफिसरों के सम्बन्ध में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता हूं।

चपरासियों के रिट्रेंचमेंट की बात सुन कर मैं घबड़ा गया। कमिश्नर लोग ७ के बजाय १२ हो गये। किस तरह से वे ७ से १२ हुयेहैं वह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में पेश रखूंगा। इन १२ कमिश्नरों में डेवलपमेंट कमिश्नर, लैंड रिफार्म्स कमिश्नर, पशुपालन कमिश्नर केन कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर शामिल नहीं हैं। बल्कि ये बारह इन्तजामियां कमिश्नर ही हैं जिनके ऊपर १ लाख ९२ हजार का खर्चा था और अब वह २ लाख ५६ हजार हो गया है और जिनके लिये कहा गया था कि इनकी कोई जरूरत नहीं है इसलिये उनको हटा देने की बात थी तीन कमिश्नरों की तनख्वाह आज ढाई और तीन हजार है जब कि मंत्रियों की तनख्वाह एक हजार ही है मैं कहता हूं कि इनकी तनख्वाह कम करने के लिये माननीय मंत्रियों को अगुआ होना पड़ेगा। अगर वे अगुवा नहीं होंगे तो इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। एक बार मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि अगर रिट्रेंचमेंट करना ही हो तो कैबिनेट के लेबिल पर रिट्रेंचमेंट होना चाहिये। मैं समझता हू कि माननीय मुख्य मंत्री जी को परेशानी जरूर होगी लेकिन अगर कैबिनेट लेबिल पर रिट्रेंचमेंट होता है, अगर हमारे यहां मिनिस्टर कम होते हैं तो फिर हमको कमिश्नरों को निकालने में भी आसानी होगी और कमिश्नरों को करने में भी आसानी होगी। लेकिन मैं फिर उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इन चपरासियों को निकालने की बात न कीजिये। चपरासियो के निकालने की बात वह न कहते लेकिन वह कैसे निकल गई लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि वह किसी चपरासी को निकालेंगे।

एक बात जो मैं रोज सदन में बैठ कर सुनता हू कि बैकवर्ड क्लासेज के लोग और शड्यूल कास्ट के लोग सरविसेज में नहीं आते। हमें एक बार खतरा लेना चाहिये। बड़ी भारी संख्या उनकी है और मुझे इस बात का तजुर्बा है कि वह जो सवर्ण लोग हैं और उनमें से मैं भी हूं उनमें यह बात जरूर है कि जो अफसरान बैठे हुये हैं उनके अन्दर वह वातावरण नहीं है कि उनके साथ उन बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ न्याय हो। इसलिये मुख्य मंत्री जी को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि संविधान में कोई तबदीली की जाय और वह न भी की जाय तो भी अगर मुख्य मंत्री जी ध्यान में रखें तो उनकी तादाद बढ़ सकती है। उनको १०, ५ जिलों में क्यों नहीं कलेक्टर बना दिया जाता। मैं कहता हूं कि की पोस्ट्स में उनको रखा जाय। मैं समझता हूं कि उनके जाने के बाद विश्वास पैदा होगा और ये ज्यादा वफादार उस दिन सरकार के होंगे।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का जो बड़ा भारी भरोसा कलेक्टरों पर है मैं माफी चाहूंगा कि मैं उनकी राय का नहीं हूं। इन कलेक्टरों की बदौलत आज इस समूचे प्रदेश की जो दुर्गति हो रही है उसमें मुझे बहुत दुख है। किसी भाई ने कहा कि किसी एक कलेक्टर से नाराज हो कर मैंने अपना यह खयाल बना लिया है। एक भाई ने कहा कि कुछ राजनीतिक नेता लोग कलेक्टरों से कुछ कराना चाहते हैं और जब उनकी बात नहीं चलती तो ऐसी बात हो जाती है तो मैं एक राजनीतिक पार्टी में रहते हुये भी कभी यह उम्मीद नहीं करता कि कोई कलेक्टर किसी तरह से नाजायज लाभ उठा सके। मैं यह किसी कलेक्टर से नहीं कहता कि किसी मिल की चीनी जब तुम्हारे हाथ में आ जाय तो तुम उसको सस्ते भाव में बेंचकर अपना लाभ उठाओ, मैं नहीं कह सकता न मैं उम्मीद करता हूं कि कोई कलेक्टर ऐसा करे और अगर कोई कलेक्टर ऐसा करता है तो उस हालत में उसकी तारीफ करूं या शिकायत करूं। इसके साथ ही कलेक्टर सरकार को रिपोर्ट देने में ही सरकार को अंधेरे में डालते हैं और इस तरह से अंधेरे में डालते हैं कि जो असली मामला है उसकी सही तसवीर सरकार के पास नहीं पहुंचती। और जब कोई दूसरा आदमी और तसवीर रखने की कोशिश करता है उस हालत में यह मुश्किल हो जाता है कि रिस्पांसिबिलिटी अधिक उसमें है यह कह दिया जाता है।

इसके बाद मैं यह कहूंगा कि विधान सभा के लिये २ लाख रुपये के करीब कम खर्चा रखा गया है। लेकिन मैं एक बात साफ-साफ कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रियों में विधान सभा के माननीय सदस्यों में दस गुने का अन्तर न होना चाहिये। दुगुने, तिगुने, का हो तो कोई बात नहीं

] श्री गेंदासिंह]

लेकिन दसगुने का अन्तर माननीय मन्त्रियों में और माननीय सदस्यों में रहें यह बात बहुत बुरी है। फिर श्रीं यह दो लाख रुपया कम रखा गया है मुझे उससे ऐसा मालूम होता है कि विधान सभा की बैठकें अब कुछ कम होने वाली हैं। विधान सभा की बैठक में इसलिये अधिक चाहता हूं कि ६ करोड़ ३२ लाख का हमारा सूबा है। मध्य प्रदेश वा दूसरे सूबों से इसका मुकाबिला न किया जाय उसमें इतनी शिकायतें नहीं रह सकती जितनी अन्य प्रदेशों में हैं। इस प्रदेश में मेम्बर हैं और ज्यादा शिकायतें होंगी। ४३० मेम्बरों में ज्यादा सवाल हो सकता है और उनकी समस्यायें भी ज्यादा हो सकती हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधान सभा की बैठकें अधिक होनी चाहिये। हमारे प्रश्न जो होते हैं उनमें एक बड़ी दिक्कत यह होती है कि वे व्यक्तिगत हो जाते हैं और फिर व्यक्तिगत को जिलाने में महीनों लग जाते हैं। फिर हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। तो मैं कहता हूं कि कम से कम हमारे प्रश्नों की इतनी दुर्गति न करावें और अगर हमारे प्रश्नों के उत्तर आने लगे तो जिलों में जो बादशाह कलेक्टर लोग बैठे हैं उनको थोड़ा बहुत सा दुरुस्त रखने में मदद मिल सकेगी।

दावतों के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा है। मैं उसकी सफाई दे दूं। मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय मंत्री लोग जहां जांय वहां वह जलपान न करें। लेकिन अगर वह जलपान मंहगा पड़े तो उपाध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं होना चाहिये। यह कभी कभी बहुत मंहगा पड़ता है जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उसमें मटर और चने मिला दिये जांय। हम तो इस बात में गर्व समझेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी या अन्य मंत्री वहां जायं और हम उनके जलपान की व्यवस्था करें। लेकिन कलेक्टर जो प्रबन्ध करते हैं वह ऐसे लोगों से प्रबन्ध कराते हैं जिनके लिये मैं सबूत भी दे सकता हूं, अभी मेरे जिले में ५, ६ दावतें हुई हैं कि किन लोगों ने वह दावतें की थीं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह मेरा रचनात्मक सुझाव है अगर इस सुझाव पर चलने से इस हुकूमत की भलाई होगी और हमारी भी भलाई होगी।

*श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—उपाध्यक्ष महोदय, आमतौर पर तो मैं हर बात का जवाब देना उचित नहीं समझता लेकिन एक बात जो गेंदासिंह जी ने कही उससे मुझे अन्देशा है कि कोई गलतफहमी है और उसकी मैं सफाई करना चाहता हूं। मैंने शुरू में ही साफ कर दिया था कि जिनके पास एक से ज्यादा अर्दली हों और साथ उनमें कमी की जा सकती हो तो उनको रिटेंच किया जाय लेकिन मैंने यह कभी नहीं कहा कि उन्हें अलग किया जाय। अलग कोई नहीं किया जायगा हालांकि उसके बारे में कोई फैसला नहीं है लेकिन मैंने पहले ही इस बात को सफाई कर दी थी कि कोई अलग नहीं किया जायगा। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि आगे अगर एक आदमी चले तो उसके पीछे दो, तीन अर्दली भी चलें। इसलिये इस बात में गलतफहमी नहीं होनी चाहिये।

उन्होंने जुडिशिय अफसरों के बारे में भी कहा। उसके बारे में कई दफ़ा जवाब दिया जा चुका है कि पहले उनकी तनख्वाह ३०० रु० माहवार थी लेकिन बाद में उनका ग्रेड इंक्रीमेंटल कर दिया गया था। अब इसके देखने के बाद कि जमींदारी एवालिशन का क्या नतीजा रहता है और मुकदमों की क्या हालत रहती है फिर यह तय किया जायगा कि कितनी स्ट्रेंथ हमारी रहेगी और उस वक्त कतई तौर से इस पर फैसला करना होगा कि उनमें कितने रक्खे जावें या कितने उनमें और बढ़ायें जावें।

कहीं और ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है जो ४,६ आने में काम करते हों और वहां कोई कहे कि ऐसी बातें हैं तो जाहिर है कि उसका इंतजाम तुरन्त होना चाहिये क्योंकि कम से कम वास्तविक जीवन के जो साधन हैं वह पूरे होने चाहिये। सरकारी अधिकारियों का भी काम है कि वे इसमें सहयोग दें। जहां तक एक्जीक्यूटिव और जुडिशल का मामला है वह कोई ऐसी बात नहीं है कि उस पर मैं ज्यादा बातें कहूं। आजकल हम अपनी सारी शक्ति डेवलपमेंट और विकास

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के कार्य में लगा रहे हैं। हमारे पास जितना पैसा है वह हम इस काम में लगाना चाहते हैं इसलिये नये नये प्रयोग जिनकी आवश्यकता इस वक्त नहीं है उन्हें हम इस वक्त करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

इसके अतिरिक्त आम तौर पर जो उन्होंने बात कही कि हमारा यह फर्ज है कि हम ग़रीबी को दूर करें और उसके संबंध में जो उन्होंने प्रस्ताव किया या सुझाव दिये, वह उनका रचनात्मक प्रस्ताव है तो वह तो हम सब का ही रचनात्मक प्रस्ताव है। उसके साधनों की जरूरत है जिनके द्वारा वह आदर्श प्राप्त हो सकें। उसके लिये हम सब को उद्योग करने की जरूरत है और कोई खास बात ऐसी नहीं कही गई जिसके लिये मैं अधिक समय लूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२–लेखा शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,२८,२७,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १३ के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३–कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा शीर्षक : २५– सामान्य प्रशासन) के अधीन २,७३,९१,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ

श्री मदनमोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, समय के बारे में मुझे कुछ सुझाव देना है। अनुदान संख्या ३५ में हम समय लेना नहीं चाहते हैं। अनुदान संख्या ४१ और २६ के सम्बन्ध में कह देने से पहले मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि आज सदन का समय आधे घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय। इससे हमें कुछ समय मिल जायगा और इधर की कसर हम उधर पूरी कर लेंगे।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—क्या कायदे के मुताबिक़ आज बढ़ सकता है? शायद कायदे में यह है कि जो ग्रुप हो, उसमें से ५ बजे जितना बाकी रह जाय, उस पर वोट हो जाना चाहिये। यह है कि नहीं? अगर नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—यह माननीय मुख्य मंत्री जी अधिक जानते होंगे, वैसे और दिन भी समय बढ़ा है।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—कल हम समय बढ़ा सकते थे। लेकिन जिस दिन किसी ग्रुप का समय होता है उस दिन ५ बजे से आगे हम समय नहीं बढ़ा सकते। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अनुदान संख्या ४१ पर डेढ़ घंटा रख दिया जाय और बाक़ी समय २६ पर रख दिया जाय और ३५ पर बिल्कुल न रखा जाय।

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४ (क) प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें तथा ५४ (ख) भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—अगर ३५ पर कोई वाद विवाद नहीं होना है तो इसे लेकर खत्म कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—पेश तो हो जाय।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा भारतीय सेवकों को निजी खर्च तथा भत्ते [लेखा शीर्षक : ५४ (क) —प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें तथा ५४ (ख)—भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते] के लिये ७,६०,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है, इसलिये यह अनुदान लिया जाता है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते [लेखा शीर्षक : ५४ (क) प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें तथा ५४ (ख) — भारतीय शासकों को निजी खर्च तथा भत्ते] के लिये ७,६०,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—४१ लेखा शीर्षक ६३ क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय तथा ६३ ख—सामूहिक योजनायें

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूलसिंह)—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—योजना और एकीकरण (लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय तथा ६३-ख—सामूहिक योजनायें) के अन्तर्गत २,४४,९३,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस साल जितना रुपया इस अनुदान में रखा गया है वह पारसाल के अनुदान से ४१ लाख २८ हजार रुपये ज्यादा है। मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं। एन० ई० एस० ब्लाक्स के लिए २१ लाख रुपया। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस साल पहले तो अक्तूबर, १९५३ में १० एन० ई० एस० ब्लाक्स चालू किये गये थे और फिर जनवरी, १९५४ में ३० और ब्लाक्स चलाये गये। इन ४० ब्लाक्स के लिए यह रुपया रखा गया है। सामूहिक विकास योजना में १९ लाख ३३ हजार रुपये की कमी की गयी। कमी का कारण यह है कि पहले साल जो ब्लाक्स शुरू किये गये थे उनमें कुछ नानरेकरिंग ग्रान्ट्स थीं। इस साल उन ग्रान्ट्स को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह रुपया कम हो गया है। ट्रेनिंग सेन्टर्स में एक तरफ तो ३ लाख ३० हजार रुपया कम किया गया है और दूसरी ओर ५ ट्रेनिंग सेन्टर्स खोल कर १ लाख १९ हजार रुपया बढ़ाया गया है। इस तरह से ट्रेनिंग सेन्टर्स पर २ लाख ११ हजार रुपये की कमी हुई है। सेल्फ हेल्फ ग्रान्ट में १० लाख रुपये की कमी की गयी। महिला मंगल योजनाओं के सम्बन्ध में ५ लाख २६ हजार रुपये की मांग रखी गयी है। इसी तरह से पढ़े लिखे बेकार लोगों को काम पर लगाने के लिए एक योजना केन्द्रीय सरकार को पेश की गयी है जिस पर १ करोड़ ८२ लाख रुपया खर्च होने वाला है। उस सम्बन्ध में १ लाख रुपया

की टोकन ग्रान्ट इस बजट में रखी गयी है। इस कुल रकम को अगर हम व्योरेवार बांटें, तो यह मालूम होगा कि २ करोड़ ४४ लाख रुपया में से ६४ लाख रुपया तो एन० ई० एस० ब्लाक्स के लिए, ७२ लाख रुपया कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, १२ लाख रुपया ट्रेनिंग्ज के लिए और ९५ लाख रुपया जनरल है, जिसमें महिला मंगल योजनायें, अनएम्प्लायमेंट रिलीफ और हर जिलों को जो सेल्फ हेल्प के लिए रुपया दिया जाता है वह शामिल है। महिला मंगल योजना अभी तक सहकारी विभाग के मातहत एक दो जिलों में थी। अब तीन साल के अन्दर तमाम प्रान्त में उसको फैलाने का विचार है और इस साल २३ जिलों के लिए रुपये की मांग की गयी है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर अभी तक कुल ५२ लाख रुपया खर्च हुआ है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जो काम हुआ है उसमें सन्तोषजनक प्रगति हुई है, मसलन् खेती के सम्बन्ध में गेहूं का अच्छा बीज ७० फीसदी हमने इलाके में दे दिया है और अच्छे बीज की पैदावार पुराने बीजों से १५ फीसदी से २५ फीसदी तक ज्यादा है। इसी तरीके से १६३ नम्बर पीज, मटर २५ फीसदी अच्छा बीज पहुंचाया गया है और इसकी पैदावार पुराने बीजों से डयोढ़ी है। आलू भी २५ फीसदी अच्छा बीज हमने फैला दिया है और इसकी पैदावार पहले आलू से दुचन्द है।

इस साल हमने १० लाख रुपया अच्छे बीजों के खरीदने में खर्च किये थे। अब तीन महीने के अन्दर हम एक करोड़ रुपये के अच्छे बीज खरीदना चाहते हैं ताकि इस साल के अन्दर कुछ सामूहिक विकास योजना केन्द्रों में अच्छे बीज हो जांय। हरी खाद के लिए हमारी योजना यह है कि साल के अन्दर हम बरसात में जितनी जमीन खाली पड़ी रहती है, उसकी २५ फीसदी में हरी खाद बो दें, और सामूहिक विकास योजना केन्द्रों से ५ फी सदी जमीन पर हरी खाद लगाने का और इरादा रखते हैं। फर्टिलाइजर्स में हमने ४५ लाख मन खाद जिसकी कीमत ७ लाख रुपये होती है, किसानों में बांटी है। बीज बोने के साधनों में अभी तक आम तौर से एक एकड़ में ६० सेर गेहूं लगता था। अब दो औजार हमने प्रांत में फैलाये हैं, जिनमें से एक का नाम डिबलर है। इसमें ६ सेर बीज एक एकड़ में लगता है। दूसरा सीड ड्रिल है, इसमें ३० सेर बीज एक एकड़ में लगता था। अब हमने एक नया सीड ड्रिल चालू किया है, जिसको आजमा भी लिया गया है, और उसको सारे प्रान्त में हम फैलाना चाहते हैं, उसमें एक एकड़ में दस सेर गेहूं लगेगा और उसकी कीमत भी पहले वाले से बहुत ही कम है। पहले के सीड ड्रिल की कीमत ६०० रुपये थी। इसकी कीमत १४० रुपये के करीब होगी।

प्रान्त में अच्छे बीज और पौदे फैलाने के लिए हमने सामूहिक विकास योजना केन्द्रों में ११९ नरसरीज चालू की हैं। पेड़ों के सम्बन्ध में इस साल १७ लाख फलदार वृक्ष हमने लगाये हैं और डेढ़ लाख के करीब सामूहिक विकास योजना केन्द्रों में लगाये गये हैं। २७०० बीघा जंगल रेगिस्तान को रोकने के लिए प्रान्तीय रक्षा दल के जवानों ने मथुरा और आगरा के इलाके में लगाये हैं। १५,००० हरी छाल के केले की पौद हमने बांटी थी, जो केला हमारे यहां बम्बई से आता था, इस साल हम एक लाख के करीब बांटेंगे और हम अपने प्रान्त में इतना पैदा करने लगेंगे कि बम्बई से आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

सिंचाई के साधनों में हम इस अरसे में ७०,००० एकड़ और जमीन सिंचाई में ले आये हैं। घरेलू धन्धों में सब से मुख्य धन्धा सहकारिता के भट्टे हैं, जिसमें हमने ५२० भट्टे प्रान्त में चालू किये हैं, जिन पर एक करोड़ रुपया व्यय हुआ है, और ४०,००० आदमी काम करते हैं। इस साल हम उनकी संख्या एक हजार कर देना चाहते हैं। इसके अलावा रेशम के कीड़ों का काम भी दो जिलों में शुरू कर दिया गया है, जिनमें देवरिया जिले में काफी सफलता मिली है। मरे हुए मवेशियों की खालें उतारने और रंगने के लिए हमने कुछ एक्सपर्टस् भेजे हैं, और तीन केन्द्रों में हमने मवेशियों की हड्डियों से खाद बनाने के लिए मशीनें लगा दी हैं।

इसके अलावा शहद की मक्खियों और जड़ी बूटियों का काम हमने पर्वतीय जिलों में चालू कर दिया है। दो चीजें और हैं जो अगर कामयाब हो गयीं, तो देश में बहुत भारी काम हो जायगा। एक तो यह कि पहाड़ी जिलों में जहां पानी बहुत तेजी से बहता है, उस से पावर

[श्री फूलसिंह]

पैदा करके छोटे छोटे घरेलू धन्धों को चलायें। चुनांचे बागेश्वर में एक व्यक्ति ने तजुर्बा करके दिखाया है और वहां हमारे ७ आदमी उसके पास ट्रेनिंग भी पा रहे हैं और हमारा खयाल है कि इसमें हमें सफलता होगी और फिर जो काटेज इन्डस्ट्रीज का सामान है, वह बहुत आसानी से मार्केट में सस्ते दामों पर बिक सकेगा। इसी तरीके से मवेशियों से भी इनर्जी पैदा करने के लिए हम एक एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, फैजाबाद में, अगर वह कामयाब हो गया तो जहां पानी से इनर्जी पैदा नहीं हो सकेगी वहां हम मवेशियों से, यहां तक कि बकरे से भी इनर्जी पैदा कर सकेंगे और उस से हमारी काटेज इन्डस्ट्रीज को काफी लाभ होगा।

श्रमदान के सम्बन्ध में जो कि एक मुख्य आइटम रहा है, प्लानिंग का केवल इतना कह देना काफी होगा कि हमने इस साल में दो ड्राइव्ज कीं। पिछली ड्राइव में नौ हजार मील लम्बी सड़कें हमने बनायीं। इस भवन में पिछली मरतबा यह चर्चा थी कि हर गांव में कोई न कोई सड़क बननी चाहिए। इस आखिरी ड्राइव में हमने इस बात की कोशिश की कि भवन के इस आदेश को पूरा करें और मेरा खयाल है कि शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, जहां कोई काम न हुआ हो। जो काम हुए हैं उनकी कीमत १ करोड़ २० हजार रुपये आंकी गयी है। फिर भी हमने सरकारी अफसरों को इस काम की जाँच करने के लिए नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा एक कमेटी गैर सरकारी आदमियों की जिसमें कि एक रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर भी हैं, मुकर्रर कर दी गयी है ताकि वह जिलों में जाकर इस बात की जांच करें कि कौन-कौन जिले हैं जिन्होंने कि अव्वल इनाम पाने का दर्जा हासिल किया है।

आज भी इस बात की चर्चा रही है कि मुलाजिमत में हरिजनों को काफी मौका मिलना चाहिए। हमारे विभाग में अभी तक तीन डी० पी० ओ०, एक डिप्टी प्रोजेक्ट आफिसर, ३२ क्लास थ्री के इम्प्लाईज और ४४ क्लास फोर के इम्प्लाईज हरिजन हैं। क्लास फोर में तो हरिजनों की संख्या १३ प्रतिशत है और क्लास थ्री में ३.४ प्रतिशत। जो रुपया श्रमदान में हम देते हैं, सेल्फ हेल्प के जरिये से, उसमें कायदा हमारा यह है कि जितना काम लोग करते हैं उसका एक तिहाई हम देते हैं लेकिन हरिजनों के लिए हमने उस कायदे को भी बदल दिया है कि जितने रुपया का काम हरिजन करेंगे उसका आधा हम उनको देंगे। हरिजनों के मकानों के सिलसिले में ५० हजार रुपये रखे गये थे और १२ हजार रुपये और हरिजनों के लिए रखे गये हैं खास खास हालतों में उनकी मदद करने के लिए। यह सब काम करने के लिए सरकारी अफसरों को इस इस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, जिसके लिए हम २४ ट्रेनिंग सेन्टर खोलने जा रहे हैं। इनमें तीन तरह के ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं। एक तो वह जहां ६ महीने की ट्रेनिंग देकर हम लोगों को काम पर भेज देते हैं। दूसरे वह कि जो ऐग्रीकलचरल स्कूल्स थे, उनको ही हमनें ट्रेनिंग सेन्टर में कन्वर्ट कर दिया है और जो दो साल की तालीम के बाद डिप्लोमा पाते थे, ऐग्रीकलचर का वही डिप्लोमा उनके लिए काफी होता है। तीसरे कुछ गांधी आश्रमों को हमने ट्रेनिंग सेन्टर में कन्वर्ट किया है। ५ गांधी आश्रमों में हमारे सेन्टर्स चल रहे हैं। आइडिया यह है कि वहां रह कर वह वातावरण लोगों को मिले, जिसमें लोगों की जहनियत बदले और जनता से मिलकर वह काम करने के काबिल हो सकें। अब तक की हमारी प्रगति इस प्रकार है। ११५७ विलेज लेवेल वर्कर्स, ४८१ ब्लाक लेविल वर्कर्स और ७५ डिस्ट्रिक्ट लेविल वर्कर्स को हमने ट्रेनिंग दे दी है। कुल १५ हजार वर्कर्स को हमें ट्रेनिंग देनी है और इस काम को हम पांच साल में पूरा करने का इरादा रखते हैं।

तो इस तरीके से जो मोटे-मोटे काम हमने इस साल में किये हैं उन्हें मैंने भवन के सामने पेश कर दिया है। मैं बहुत समय भवन का लेना नहीं चाहता ताकि जो सवालात मेम्बरान करें उनका जवाब दिया जा सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा अनुदान है जिसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे प्रांत में कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जो यह न चाहता हो कि हमारे देश का उत्थान हो, विकास हो । पर आज जहां प्लानिंग की इतनी बात हो रही है, जहां पर विकास की इतनी बातें की जा रही हैं वहां पर जब मैं देखता हूं कि इस अनुदान में बहुत थोड़ा सा रुपया ही मांगा गया है, तो मुझे उसमें थोड़ा सा दुख होता है । साथ ही साथ मैं यह जानता हूं कि हमारे प्रान्त में बहुत से जिलों में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स खोले गये हैं, बहुत से नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक खोले गये हैं और खोले जाने वाले हैं । उसके अलावा एक और भी इलाका है जहां पर न कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स हैं और न नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक्स ही हैं । उस इलाके के लिए जो सब से बड़ी रकम बतलायी जाती है वह ५० लाख रुपये की है जो कि सेल्फ हेल्प स्कीम के लिए दी गयी है । हमारे प्रदेश में ५२ जिले हैं और छ करोड़ की आबादी है । उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्दर आते हैं । लेकिन बाकी हिस्से के लिए इतनी कम रकम रखना मैं समझता हूं कि इस सरकार के लिए खूबी की बात नहीं है । दूसरे उनका कहना यह है कि ५ लाख २६ हजार रुपया उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए रखा है । मुझे अफसोस है कि मुझे पता नहीं है कि महिला विकास वहां हो रहा है । उन जिलों के माननीय सदस्यों से मेरी बात चीत हुई नहीं लेकिन मेरे जिले में कोई काम नहीं हो रहा है । जब होगा तब बतलाऊंगा ।

इसी तरह से इस छोटी सी चीज का इतना तूल तवील किया जाता है । नतीजा क्या निकलता है उसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूं । वाल्यूम ३ में लिखा है——

"For some time past Government have had under consideration the question of the development of tourist traffic in the State in general and Kumaun region in particular the following items are considered essential.

(i) Construction of long cabin at China Peak, Nainital at an estimated cost of Rs. 6,282 or say Rs. 6,300 (round).

(ii) Opening of 5 sub-bureaus at Almora, Ranikhet, Kathgodam, Kotdwara and Muni-ki-Reti at an estimated cost of Rs. 11,800 (round) per annum.

2. Government consider that they would go a long way towards the development of tourism on which both the Government of India and the State Government have from time to time laid great stress."

जिस काम पर केन्द्रीय सरकार इतना स्ट्रेस ले करती है उसके लिए एक अनुदान है ६ हजार रुपये का नैनी ताल में चाइना पीक पर एक कैबिन बनाने के लिए और दूसरा ११ हजार रुपये सब ब्यूरोज के खोलने के लिए रखा गया है । यह १६, १७ हजार रुपया जो रखा गया है, यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस से टूरिस्ट के सिलसिले में क्या विकास होने वाला है । मुझे बड़ी खुशी है और मुझे इस बात के कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे डेवेलप्मेंट कमिश्नर या डिप्टी डेवलप्मेंट कमिश्नर जो हैं, उनकी कोई शिकायत नहीं है । जो कुछ रुपया सरकार देती है, उसे वह जिलों में बांट कर भेज देते हैं । मुझे मालूम है कि डेवेलप्मेंट कमिश्नर्स के ऐसे ऐसे लेटर्स जिले के लोगों के पास भेजे गये, हैं, जिनमें कहा गया है कि ठीक तरह से रुपये को खर्च करो । लेकिन जिले में प्लानिंग आफिसर जिनको कि जिले में काम करना पड़ता है वह इस काम को पूरा नहीं करते हैं । मैं समझता हूं कि हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय होता है । मुझे और जिलों की बात भी मालूम है कि जो रुपया उन को खर्च करने के लिए दिया जाता है वह रुपया उन्होंने अभी तक खर्च नहीं किया और बावजूद माननीय मुख्य मन्त्री जी के पहले के बजट में कहने के कि अभी अल्मोड़े में ५ मार्च को प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी । वहां का डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर कहता है कि हमारे पास डेवेलम्मेंट कमिश्नर का सर्कुलर आफरेस्टेशन या दूसरी बातों के बारे में नहीं पहुंचा है । मैं नहीं समझता कि अल्मोड़े जिले पर डेवेलप्मेंट

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कमिश्नर की कोई नाराजगी है, यह हो सकती है कि जो रुपया हम यहां मंजूर करें, वह वहां इस जिले को न दिया जाय। जब तक जिलों में रुपया नहीं खर्च हो पायेगा तब तक कोई विकास नहीं हो सकता।

यह जो पचास लाख रुपया रखा गया है, यह बहुत ही कम है उससे काम चलने वाला नही है। फिर भी मैं उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह विकास का काम है, इतनी बड़ी किताब है रिपोर्ट की, १३० करोड़ रुपया खर्च होने वाला है और ६२ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इतना बड़ा आडम्बर दिखलाया जा रहा है, उसके लिए रुपया न रक्खा जाय और ठीक से उसे चलाया न जाय यह दुख की बात होगी। इसके लिए माननीय सदस्यों से भी शिकायत है कि वे जा कर अपने इलाकों में रुपया ठीक से खर्च नहीं कराते। जनता में ऐसा खयाल पैदा नहीं करते कि विकास का कार्य है, जनता उसमें सहयोग दे। सचमुच अगर विकास करना है तो हर पार्टी की सहायता की जरूरत है। जब तक यह न होगा तब तक जो यह प्लान हो रहा है वह पूरा नहीं हो पायेगा। यह जितनी प्लानिंग हो रही है यह जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। आधा गवर्नमेंट देती है और आधा जनता से श्रमदान की स्कीम में लिया जाता है। अतएव जब तक जनता का सहयोग न होगा, तब तक यह काम नहीं हो सकता। लेकिन जनता का सहयोग तभी हो सकता है जब काम उसके मन का हो। एक किसान जिसके पास जमीन नहीं है अगर उससे नहर खुदवायी जाय तो वह नहर खोदने को कभी उत्साहित न होगा। लेकिन अगर किसी के पास मोटर की सड़क जा सकती है और उसको सड़क बनाने को कहा जाय ताकि मोटर वहां से जा सके तो उसके लिए वह आदमी तैयार हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग बड़ा भारी सब्जेक्ट है लेकिन रुपया बहुत कम है। इस लिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर देखें कि रुपये का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। वह काफी दौरा कर रहे हैं लेकिन दौरे से क्या होता है। जवाहरलाल जी ने अभी दिल्ली में कहा कि हमें आंकड़ों से क्या करना है, हमें तो रिजल्ट देखना है।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट में जो काम हो रहा है उसकी यहां मैं चर्चा नहीं करना चाहता। हमारी स्टैन्डिंग कमेटी की मीटिंग होगी वहीं उसकी चर्चा करूंगा। हाउस के सामने नहीं कहना चाहता। विकास के कार्य में कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहता। अगर कुछ कहूंगा तो लोग कहीं यह न समझ बैठें कि विकास के कार्य में रोड़ा अटकाना चाहता हूं। जो रुपया खर्च हो रहा है हमें देखना चाहिए कि वह ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं। उसका ठीक तरह से खर्च कराना बहुत जरूरी है, नहीं करा सकेंगे तो फिर बदनामी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक्स अक्तूबर के महीने में खुले और अब तक कुछ काम हो नहीं पाया। रुपया कम था। उसके बाद कुछ ब्लाक्स २६ जनवरी को खोले गये। होना यह चाहिए था कि जहां यह उद्घाटन हो चुका था वहां जो हमारे ब्लाक डेवेलप्मेंट आफिसर छांटे गये थे, उनको काम पर भेजा जाता जैसा कि पहिली मरतबा किया गया था कि दस ब्लाक खुले और जो अफसर ट्रेनिंग पा चुके थे, उनको वहां भेज दिया गया। माननीय मन्त्री जी ने विश्वास दिलाया है कि बाकी लोगों की ट्रेनिंग बहुत जल्द खत्म हो जायगी। हम भी सदन का कार्य खत्म करके अपने अपने इलाकों में जायेंगे और देखेंगे कि यह एक्सटेंशन का काम शुरू हुआ है या नहीं। जैसी जनता की जरूरत हो उसके लिए उसी प्रकार रुपया रखना चाहिए। हमारे यहां हार्टीकलचर पर ज्यादा जोर दिया जाता है लेकिन उस पर कोई पैसा नहीं रखा गया। इसी तरह से ऐग्रीकलचर, एनिमल हस्बैन्डरी, काटेज इन्डस्ट्रीज, पर हमारे यहां ज्यादा जोर दिया जाता है लेकिन उसके लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है। जो पैसा रखा गया है वह है ग्रान्ट इन एड फार रोड्स; दूसरी चीज है एजूकेशन; तीसरी चीज है इरिगेशन। इन मदों के लिए रुपया रक्खा गया है। इस लिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि डेवेलप्मेंट कमिश्नर

साहब को अधिकार होना चाहिए कि जिस मद के लिए रुपया मिला है, उसे जरूरत पड़ने पर बदल सकें। रुपया बगीचों के लिए दिया जाय तो लोग लोन लेने को तैयार होंगे लेकिन अगर सड़क बनाने के लिए दिया जाय तो कोई लोन लेने को तैयार न होगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें, कि जहां जैसी जरूरतें हों, उन पर वैसा ही ध्यान दिया जाय।

एक बात बहुत आवश्यक यह भी है कि इतने बड़े बजट में अनएम्प्लायमेंट को साल्व करने के लिए कोई स्कीम नहीं रक्खी गयी। एक लाख रुपया एजूकेटेड लोगों को खेती के काम में बसाने के लिए इसमें रखा गया है। उस से किस प्रकार यह बेकारी दूर की जायगी। जब कि काटेज इन्डस्ट्री के प्लानिंग के वास्ते रुपया नहीं मिलता है। तो यह बेकारी की समस्या हल होने वाली नहीं है। हमारे यहां बहुत लोग बेकार होते जाते हैं और ज्यादा तादाद पढ़े लिखे लोगों की होती जाती है, जो कि बेकार होते जाते हैं। हमारे जिले में उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और जगह की तो मैं नहीं जानता लेकिन हमारे यहां बहुत पढ़े-लिखे आदमी बेकार होते जाते हैं। अगर सरकार उस तरफ अपना ध्यान नहीं देती है, तो एक गम्भीर समस्या हो जायगी।

श्रमदान की बात कही गयी। हमारे यहां भी श्रमदान हुआ और लोगों ने इसमें काफी सहयोग दिया। परन्तु श्रमदान के सिलसिले में भी काफी पक्षपात किया जाता है, जब अभी से यह हालत है, तो फिर आगे क्या होगा, यह जानकर अफसोस होने लगता है क्योंकि वहां पर भी पक्षपात का सहारा लिया जाता है। हमारे यहां न तो नहर है और न कोई और किसी तरह की कोशिश की गयी है, और जो यह १ करोड़ २० लाख रुपया उस काम की कीमत बतायी जाती है, वह काम हमारे यहां भी हुआ है, लेकिन इस रिपार्ट में वहां का जिक्र नहीं आया है। उस काम की जांच करने के लिए एक रिटायर्ड इन्जीनियर रखे गये हैं, लेकिन वहां पर हमारे यहां अभी कोई नहीं गया है। सरकारी जो रिपोर्ट होती है, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं होता है। अभी मैं दो मील लम्बी नहर बनवाकर आया हूं। लेकिन इस रिपोर्ट में उसका नाम तक नहीं है। इसका कारण यही हो सकता है कि अल्मोड़े के प्लानिंग अफसर ने कोई रिपोर्ट इसके बारे में नहीं भेजी है। अगर यह पक्षपात प्लानिंग में होने लगा तो बड़ी मुश्किल होगी।

अब एक बात और कहना चाहता हूं कि प्लानिंग ही ऐसा विभाग है कि जिसमें किसी किस्म का जाति भेद नहीं है, क्योंकि प्लानिंग से सब को फायदा होगा, चाहे कोई मुसलमान हो, हिन्दू हो, या हरिजन हो। इसलिए इसमें सब का सहयोग मिलना जरूरी है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी से कहूंगा और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जहां कहीं भी यह विकास का काम होगा, उसमें हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनके साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। परन्तु इस विश्वास के साथ विकास का काम करेंगे, कि उसमें सब का लाभ हो, और किसी के साथ पक्षपात न किया जाय। हम को इस विभाग से बड़ी आशा है। पहले यह होता था कि यहां पर डेवेलपमेंट कमिश्नर होता था और फिर काजगात सेक्रेटेरियट लेविल पर यहां आते थे और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते थे और इसमें बहुत देर लगती थी। लेकिन अब हमारी खुशकिस्मती है कि जो डेवेलपमेंट कमिश्नर हैं, वही प्लानिंग सेक्रेटरी भी हो गये हैं। उनके विभाग का इस प्रकार से इन्तजाम करने पर विकास का काम अच्छा होगा। मैं यह आशा करता हूं कि हमारे नये डेवेलपमेंट कमिश्नर के आने से हमारे प्रान्त के विकास का काम अच्छा होगा और लोगों को इस ओर प्रोत्साहन मिलेगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)— उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान भवन के सामने पेश है, उसके लिए मैं आपके जरिये से सरकार को बधाई देता हूं। विकास के लिए सरकार ने जो इसमें ४८ लाख रुपये की वृद्धि की है, वह उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अभी

[राजा वीरेन्द्र शाह]

विकास की रिपोर्ट जो माननीय मन्त्री जी ने पढ़कर सुनायी, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विकास कार्य तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता जब तक कि सभी वर्गों का सहयोग न मिल जाय। इसमें इस बात की कोशिश करने की जरूरत है कि हर एक का यानी हर एक दल के लोगों का सहयोग, प्रान्त में रहने वाले लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाय। अपने प्रान्त की गरीबी को दूर करने के लिए सब को सहयोग देने की जरूरत है। मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी रुकावटें हो जाती हैं, जो कि मैं माननीय मन्त्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं और जिनके कारण पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है।

पहला तो यह है कि यह जो प्लानिंग कमेटी की मीटिंग होती है, वह जिलों में ऐसी तारीख रख देते हैं कि जब असेम्बली का सेशन होता रहता है, उसमें समय इतना कम देते हैं कि जो गांव के रहने वाले हैं उनकी इत्तिला भी नहीं पहुंचती है, और इस कारण से वह पूरा सहयोग विकास के मामलों में नहीं दे पाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और दूसरे डिपार्टमेंट में एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, उसी प्रकार से प्लानिंग कमेटी की तारीख भी कि फलां महीने में फलां तारीख को मीटिंग होगी। इस तरह से रख दिया जाय तो सब लोग उसमें आ सकेंगे और तब प्लानिंग का काम भी अच्छी तरह से हो सकेगा। और आपकी योजनायें भी ज्यादा सफल हो सकेंगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमेटी की एक कार्यकारिणी बनायी गयी है। मुझे इसका विरोध करना है। होता यह है कि बहुमत वाले लोग, कांग्रेस पार्टी वाले, ग्रूप बनाकर अपना काम करना चाहते हैं। विकास के कार्य में कोई ग्रूप नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी उसमें काम करे। इसलिए कार्यकारिणी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने जिले की बात लेता हूं। हमारे जिले के ४ एम० एल० ए० हैं, जिनमें से १ मैं हूं लेकिन कार्यकारिणी में वे तीन हैं और मेरा नाम नहीं है। तो अल्पसंख्यकों को भी विकास का कार्य करने का अवसर देना चाहिए। जब हम वहां नहीं होंगे, तो हम किस तरह से सुझाव दे सकते हैं?

हमारा जिला जालौन ब्लाक में तो नहीं आता है, लेकिन उसको ग्रांट १ लाख २४ हजार रुपये की दी गयी। मकसद यह है कि विकास हो। जनता के फायदे की चीजें बनायी जावें। जैसा अभी उपाध्याय जी ने कहा, यहां से रुपया जाता है, और कह दिया जाता है कि फलां फलां चीजों में खर्चा हो। उसके अलावा यहां से आज्ञा लेनी होती है। तो यह अधिकार प्लानिंग कमेटी को होना चाहिए कि जिस कार्य को वह जनता के हित का समझती है, उसमें खर्च कर सके। हमने जगम्मनपुर में एक अस्पताल बनवाया था, जिसे सरकार ने प्राविंशियलाइज्ड कर दिया है। उसमें इनडोर पेशेन्ट्स के लिए वार्ड के लिए हमने कहा कि ४ हजार रुपया ग्राम के लोगों देंगे और ४ हजार रुपया सरकार दे। लेकिन कलेक्टर साहेब और आपके इफ्तिखार हुसैन साहब ने यह लिखा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट को लिखो, वह रुपया देगा। जो जनता के फायदे का कार्य किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके लिए सहायता मिलनी चाहिए। इसी प्रकार हमने वहां सड़क के लिए कहा और बन्द टूट गया था। हमने १,५०० रुपया मांगा तो यह उत्तर मिला कि सड़कों के लिए रुपया नहीं है और पी० डब्ल्यू० डी० को लिखो। इसी तरह मैं श्रमदान के लिए कहना चाहता हूं कि वह तभी कामयाब होगा, जब कि हमारे सदस्य लोग आगे बढ़ें। आज यह होता है कि अफसरान और प्लानिंग कमेटी के लोग उद्योग करते हैं और उसका प्रभाव लोगों पर यह होता है कि जिस तरह से अमन सभायें बुलायी जाती थीं, उसी प्रकार अफसरों के बुलाने पर श्रमदान होता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग विधान सभा में रहकर शहर में अधिक रहते हैं और गांवों में कम जाते हैं और वहां का लगाव टूट गया है जिसके कारण कहने से भी लोग नहीं आवेंगे। वे समझेंगे कि क्या बात है जो हमको बुलाकर श्रमदान करवाना चाहते हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं विकास के अनुदान के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं। मुझे यह प्रसन्नता है कि हमारे जिले के एक विशिष्ट व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया है। इन्होंने पिछले दो वर्षों में अपनी मेहनत से, दिल से और अथक परिश्रमों से इस योजना को आगे बढ़ाने में जो मेहनत की है, मैं आशा करता हूं कि हमारे जिले को तो उसमें बधाई मिलेगी ही, प्रान्त की उन्नति भी हो सकेगी। मेरे से पहले वक्ता ने प्लानिंग कमेटी की कार्यकारिणी के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उस से मेरा खयाल है कि उनको उसकी जानकारी नहीं, क्योंकि उसमें एम० एल० एज०, का केवल एक प्रतिनिधि होता है, म्युनिसिपैलिटी का एक, टाउन एरिया का एक होता है। आजकल के जमाने में जो ये नये चुनाव हो गये हैं, उसमें यह जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी का और टाउन एरिया का प्रतिनिधि कांग्रेसी ही हो। अगर उस जिले में कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो उनको भी १-२ प्रतिनिधि उसमें लिया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि कोआपरेटिव सोसाइटी से कांग्रेसी प्रतिनिधि का भाग जरूरी नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इस सदन में जो कुछ कहना चाहिए, वह पूरी जानकारी के साथ कहना चाहिए, तभी सदन का उस से लाभ हो सकता है। मैं अपने जिले के अनुभव के आधार पर कह देना चाहता हूं कि प्लानिंग कमेटी की बैठक बाज दफा नहीं बुलायी जा सकती, ऐसी हालत में कार्यकारिणी का बुलाना जरूरी हो जाता है। उपाध्याय जी ने कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ कहा। यदि उन्होंने उस पैम्फलेट को ध्यान से पढ़ा होता, जो सरकार की तरफ से बांटा गया है, तो वे ऐसी बात न कहते, क्योंकि उस पैम्फलेट में साफ लिखा हुआ है कि इसमें अधूरी कार्यवाही प्रकाशित की जा रही है, और बाकी बाद में प्रकाशित की जायगी। जब सरकार ने खुद ही इस बात को कह दिया तो यह कहना कि मेरे जिले के सम्बन्ध में पक्षपात हुआ है, यह उचित मालूम नहीं होता।

अब मैं थोड़े से सुझाव दूंगा। श्रमदान में प्रतिवर्ष काम होता है। मैं भी उन कामों में हिस्सा लेता हूं और मैं देखता हूं कि उस श्रमदान से लाभ होता है। मेरे जिले ने पिछले साल तीसरे नम्बर का इनाम पाया था। लेकिन अगर उन कामों को स्थायी तौर पर रखना है, तो सरकार को कुछ सड़कें श्रमदान के लिए छांट लेनी चाहिए। जो सड़क इस साल कच्ची बनायी जाय, उसके लिए पी० डब्ल्यू० डी० को दूसरे साल उसे पक्की बनाने की योजना बना लेनी चाहिए नहीं तो अगले साल बरसात में वह सड़क बह जाती है, और बेकार हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह काम योजना के अनुसार बनाया जाना चाहिए। मान लीजिये इस साल ३ कच्ची सड़कें बनीं, तो अगले साल कम से कम एक सड़क पक्की हो जानी चाहिए और फिर अगले साल दूसरी इस प्रकार पक्की होती जानी चाहिए, इस से जो मेहनत की जाती है, वह बेकार नहीं जायगी। अगर ऐसा हुआ, तो लोगों को उत्साह होगा और प्रान्त की बाकी सड़कें भी आसानी से बन जायेंगी और एक गांव को दूसरे गांव में मिलाने की हम व्यवस्था कर लेंगे।

अब अपने जिले के सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से कहता हूं। हमारा जिला ऐसा है जहां कि काटेज इन्डस्ट्री वगैरा को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सहारनपुर में शिवालक पहाड़ी पर बांस बहुत होता है, और वहां पर बांस का उद्योग बहुत तरक्की कर सकता है। इसके अतिरिक्त शिवालक और हिमालय में शहद का उद्योग भी बहुत तरक्की कर सकता है। इन पहाड़ियों से सैकड़ों और हजारों मन शहद इकट्ठा किया जा सकता है, और वहां के निवासियों को इस से बहुत ही ज्यादा लाभ हो सकता है और लोगों को अच्छा शहद भी मिल सकता है। मैं एक ऐसी जगह काम करता हूं जहां १००-१५० मन शहद की हर साल आवश्यकता रहती है और यथार्थ में अच्छा शहद नहीं मिल पाता तो उसके लिए भी वहां से शहद प्राप्त हो सकता है।

एक बात मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में भी कहूंगा। उस क्षेत्र में केवल एक चार मील पक्की सड़क है, जो रुड़की से आती है। इस क्षेत्र में ३-४ नदियां बहती हैं, उनको पार

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

करने का कोई साधन नहीं है, तथा लुक्सर से हरद्वार तक एक पक्की सड़क होने की वहां बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अगली सड़कों की योजना में उसको भी रक्खें। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जब वे और योजना बनायें, तो इस ज्वालापुर के परगने को न भुलायें, क्योंकि वह बहुत ही पिछड़ा हुआ स्थान है। वहां से वे पहले चुन कर भी आये थे और आगे भी वह उनकी आकांक्षाओं का केन्द्र बन सकता है।

श्री गोवर्द्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा) —उपाध्यक्ष महोदय, नियोजन विभाग द्वारा अपने प्रदेश में विकास कार्यों का नियोजन करके, प्रदेश को जिस प्रकार अनुप्राणित किया जा रहा, है, उसके लिए विभाग बधाई का पात्र है। मैं इस विभाग के कार्यों के सम्बन्ध में अधिक कुछ न कह करके केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश का जो हिस्सा पिछड़ा हुआ है, या अविकसित है, उसे देख कर विभाग को विकास कार्यों की योजना बनानी चाहिए। प्रदेश में बहुत से हिस्से ऐसे हैं, जो बहुत काल से पिछड़े हुए हैं, उपेक्षित हैं और आज भी बदकिस्मती से कई जिले और जिलों के कई हिस्से ऐसे हैं, जिन्हें नियोजन विभाग से अभी तक फायदा नहीं पहुंच पाया है। इसलिए मैं विभाग से निवेदन करूंगा कि प्रदेश की और जिलों की योजना बनाते समय उन हिस्सों का खयाल किया जाय जो आज तक उपेक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं और जिनका विकास अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे पंचवर्षीय योजना बने या वर्ष पर योजना बने, सरकारी अफसरों के सामने इस प्रकार के आंकड़े रहने चाहिए कि जिले के किस भाग में सब से ज्यादा विकास कार्य अभी तक हुआ है, और जिले का कौन सा हिस्सा ऐसा है, जो अभी तक पिछड़ा हुआ है। चाहे सिंचाई के साधन हों, चाहे यातायात के साधन हों, चाहे औद्योगिक साधन हों, जो सब से ज्यादा पिछड़े हुए भाग हैं, उनको तरजीह दी जानी चाहिए। उनका ध्यान योजना बनाते समय रहना चाहिए ताकि वे अब भी छूटे हुए न रह जायं। जिस तरह से हमारे समाज में हरिजन पिछड़े हुए हैं, उसी तरह प्रदेश के कुछ हिस्से भी पिछड़े हुए हैं, उनको उठाने की आवश्यकता है। विभाग जब विकास योजना बनावे, तो इस बात का प्रयास होना चाहिए कि वह योजना सर्वाङ्गीण हो, नहीं तो मैं कहूंगा कि यह एकांगी हो जायगा।

जहां तक श्रमदान की बात है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि एक निश्चित योजना के आधार पर श्रमदान किया जाना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं कि जिन हिस्सों में श्रमदान कार्य हुआ, उन्हीं हिस्सों को योजना में जोड़ दिया जाता है। होना यह चाहिए कि जिले की एक पूर्व निश्चित योजना बनायी जाय और उसी योजना के पूर्ण करने में श्रमदान लगना चाहिए। जिले की बहबूदी के लिए जिन सड़कों का बनना जरूरी हो, जिले के विकास के लिए जिन पुलों का बनना जरूरी हो, जिले की उन्नति के लिए जिन पाठशालाओं का बनना जरूरी हो, उन्हें पहले निर्धारित कर लिया जाय और फिर उसी के अनुसार श्रमधन लिया जाय। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जिस हिस्से की जनता ज्यादा उत्साहित होती है, वह अपना श्रमधन लगाती है। और वहां के जिला नियोजन अधिकारी और जिला नियोजन विभाग उस कार्य को अपनी योजना में जोड़ लेते हैं।

जहां तक अल्मोड़े का सवाल है, यातायात के साधनों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जिला अल्मोड़ा पूरब और पश्चिम दो भागों में बंटा हुआ है। नियोजन विभाग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिला पूरब और पश्चिम दो भागों में न बंटा रहे, उनको एक साथ जोड़ दिया जाय। अल्मोड़ा, रामेश्वर, बागेश्वर, अस्कोट तथा लोहाघाट अल्मोड़ा, कुशागढ़ मार्ग के निर्माण का प्रश्न भी योजना के अन्दर आना चाहिए। मार्ग निर्माण कार्यों की योजना में इन मार्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जहां तक प्लानिंग कमेटी की बैठक का प्रश्न है, और जिलों में क्या होता है, वह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक अल्मोड़ा का प्रश्न है, कमेटी की बैठक की सूचना तो अक्सर मिलती

है, लेकिन उस बैठक में किस विषय पर विचार होगा, यह एजेंडे में नहीं रहता। मैं इस बात को जरूरी समझता हूं कि एजेंडे के जरिये मेम्बरों को इन विषयों को पहले से बतला दिया जाय, जिन पर विचार होगा, ताकि वे पहले से सोच विचार कर उन प्रश्नों पर अपनी राय कमेटी में प्रस्तुत कर सकें। और सारे जिले के विकास पर कमेटी के सदस्य अपने विचार प्रकट कर, जिले की एक सुनियोजित योजना बना सकें।

जहां तक श्रमदान का सवाल है, श्रमदान के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि जिन गूलों का निर्माण तथा सड़कों का निर्माण श्रमदान से हुआ है, उसमें अक्सर सरकार की ओर से जो अनुदान मिलता है, उसमें देर होती है। बहुत से स्थानों में जहां पिछले साल कार्य प्रारम्भ किया गया, सीमेंट न मिलने के कारण डिग्गियां नहीं बन सकीं। जहां पर पुल बनने थे, लोहा न मिलने के कारण पुल अधूरे रह गये। इसलिए ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जिस कार्य में सरकार की ओर से श्रमदान कराया जाता है, उस में जो विभाग से अनुदान मिलना चाहिए वह उस समय प्राप्त हो सके और उसकी वजह से दूसरे हिस्से के लोगों को भी प्रेरणा मिल सकेगी। समय पर सीमेंट या लोहा न मिलने से काम अधूरा रह गया और काम के अधूरा रह जाने से लोगों में जो उत्साह मौजूद है, उस से भी फायदा नहीं उठा सकते। इस लिए मैं उपमन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां भी श्रमदान कार्य में सरकार की ओर से जो भी सहायता मिलने वाली है, वह वक्त पर दी जाय ताकि उस से वह भी फायदा उठा सके और दूसरे लोग भी उस से प्रेरित हो कर श्रमदान करने के लिए उत्साहित हों।

इसके अतिरिक्त मैं उपमन्त्री जी से यह निवेदन कर दूं कि पर्वतीय जिलों में नियोजन में यातायात साधनों को प्राथमिकता देनी आवश्यक है। जब तक उसका विकास नहीं होता, तब तक न वहां उद्योगों का विकास हो सकता है, और न कृषि की ही उन्नति हो सकती है और न फलोद्यान ही विकसित हो सकते हैं। इसलिए पर्वती जिलों में विशेष रूप में यातायात के साधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया स्वीकृत किया जाना चाहिए, ताकि उनके बन जाने पर जिले के एक हिस्से से दूसरे में लोग आसानी से पहुंच सकें और एक हिस्से की पैदावार से दूसरे हिस्से के लोग फायदा उठा सकें।

श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुदान जो हमारे भवन में प्रस्तुत है उसके लिये मुख्य मंत्री जी और उपमन्त्री जी को बधाई देता हूं। श्रमदान के कार्य को जिस प्रकार हमारे प्रदेश में जनता ने अपनाया है और इसमें जो प्रदेश की उन्नति हुई है वह तो यहां विधान सभा में सभी लोग जानते हैं और मैं समझता हूं कि जितना इस योजना को जनता ने अपनाया है उस तरह से जनता ने पहले किसी योजना को नहीं अपनाया। हर गांव में कच्चे रास्तों को, कच्ची सड़कों को लोगों ने ठीक किया है जब कि पहले हालत यह थी कि अगर किसी रास्ते में गड्ढा हो गया तो लोग यह समझते थे कि यह ड्यूटी सरकार की है और यह उनकी ड्यूटी नहीं है लेकिन अगर मैं आज यह कहूं कि हमारे प्रदेश में आज फावड़ा जाग उठा है तो यह कुछ बेजा न होगा। अभी २४ या २५ जनवरी को माननीय ठाकुर फूलसिंह जी हमारे जिले सहारनपुर में भूदान यज्ञ के सिलसिले में पैदल दौरा किया था। मुझे भी उस जत्थे में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि २६ जनवरी से प्लानिंग का काम होता है लेकिन उसके पहले ही से लोग कामों पर जुट जाते थे और शायद ही कोई ऐसा गांव बचा हो सहारनपुर जिले में जिसमें एक मील, दो मील या चार मील तक लोगों ने सड़क न बनाई हो और मैं अपनी ही कांस्टीटुयेंसी की बात कहता हूं। उसमें तो काफी काम हुआ है। जहां तक गूलें बनाने या गड्ढे खोदने की बात है वह तो हुआ ही, एक १२ फीट चौड़ी और ७ मील लम्बी सड़क सांगेखेड़ा से सलेमपुर तक जाती है वह लोगों ने अपने श्रमदान से बनायी है और उसमें सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और वह सड़क ऐसी जगह गई है जहां ४

[श्री दाताराम]

फुट तक ऊंची मिट्टी डाली गयी है । मेरी तहसील नुकुड़ में दो नदियों के पुल बनाये जा रहे हैं । एक काठा नदी का ग्राम सांगेठेड़े में और दूसरा बूढ़ी जमुना नदी का ग्राम टावर के मुकाम पर बन रहे हैं । इन दोनों पुलों को श्रमदान से बनाया जा रहा है । मुझे खेद है जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक तिहाई रुपया योजनाओं को देते हैं लेकिन एक चौथाई भी नहीं दिया । जबकि तखमीना ४० हजार रुपये का है सिर्फ एक चौथाई रुपया प्लानिंग कमेटी ने देने का वादा किया है । उसमें लोग अपनी तरफ से मिट्टी डाल रहे हैं और उन्होंने पुल बनाने के लिये चन्दा भी जमा किया और अब इस वक्त में वह बनाये जा रहे हैं । इन सब बातों के होते हुये जिन लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ी है । आप के प्लानिंग का काम ऐसा है जैसे कि छप्पर उठाने का काम होता है । अगर एक छप्पर को १० आदमी ऊपर उठावें और एक आदमी नीचे से खींचे तो वह छप्पर कभी नहीं उठ सकता । उसी तरह से हमने देखा है कि इस काम में कुछ लोग अड़चनें डालते हैं । हमारे यहाँ यह तय हुआ प्लानिंग ट्यूबवेल कमेटी की तरफ से कि पानी जाने की जो नालियाँ हैं वह श्रमदान से बनेंगी और उसके लिये जो रुपया है वह ग्राम सभाओं को दे दिया जायगा जिससे वह अपने यहाँ पंचायतघर या फर्श वगैरह बना सकें । इसपर वहाँ जो एक ठेकेदार साहब थे जिनको इसका ठेका मिला था उन्होंने काश्तकारों को भड़काया कि तुम क्यों इसमें बेगार का काम करते हो । इसका ठेका तो मेरे पास है । इस तरह से उन्होंने इसमें अड़चन लगाई । जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने चिट्ठी लिखी और जा करके गाँव वालों को समझाया और तब जा करके कहीं ४,५ मील लम्बी नालियाँ बन पाई हैं ।

इसी तरह से हमारे सहारनपुर के जिले में प्लानिंग कमेटी में यह तय हुआ कि सब लेखपाल १० जनवरी को अपने हल्कों में चले जावें इसपर एस० डी० ओ० साहब ने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है जाने की क्योंकि हेडक्वाटर पर कागजात तैयार हो रहे हैं । तो मैं नहीं समझता कि जब इस तरह से सरकारी अधिकारी ही अड़चन डालते हैं तो फिर किस तरह से काम चल सकता है । बाद में दो तीन रोज पहले पटवारी वहाँ गये और वह काम अधूरा ही रह गया । इस तरह के बातें होती हैं ।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो नहरी इलाके हैं वहाँ जो खूले वगैरह निकलती हैं वह रास्ता खराब करती रहती हैं और गढ़े हो जाते हैं । वहाँ कीचड़ हो जाता है । इसलिये गाड़ी वगैरह नहीं गुजर सकतीं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि नहर का कानून ऐसा है कि अगर कोई पुलिया वगैरह बनानी होती है तो वह काश्तकारों के जिम्मे कर दी जाती है और उसकी नोटिस दे दी जाती है कि तुम १५ दिन, एक महीने या डेढ़ महीने में बनाओ । अगर वह नहीं बना सकते फिर बाद में सरकार अपनी तरफ से बनाती है । मैं समझता हूं कि इसपर फौरन कार्यवाही हो सकती है. इसमें कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है ।

दूसरी बात मुझे यह और कहनी है कि काश्तकारों ने जो रास्ते तोड़ कर अपने खेतों में शामिल कर लिये हैं उसके लिये चूंकि अब फसल कटने वाली है इसलिये यहाँ से हुक्म चला जाना चाहिये कि जिन काश्तकारों ने रास्ते तोड़ लिये हैं वह उन्हें फौरन छोड़ दें और लेखपाल उसकी निशानदेही करदें । मैं समझता हूं कि इसमें किसी तरह की अड़चन नहीं होगी ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं वह यह है कि जो एक कमेटी बनाई गई है जो कि सूबे का दौरा करेगी और देखेगी कि किस जिले में अच्छा काम हुआ है और वहाँ इनाम दिया जायगा, मेरे ख्याल में उसके अलावा एक और कमेटी बननी चाहिये जो कि वह देखे कि कहाँ पर काम नहीं किया गया है । मैंने तो ऐसा देखा है कि बहुत से गावों में न वहाँ पर लेखपाल था, न पंचायत सेक्रेटरी थे और न कोई आफिसर था बल्कि वहाँ खुद लोग काम करने लगे थे । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय मदन मोहन उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे विचार से समय की माँग यह है कि राज्य नियोजन विभाग जहाँ एक ओर चतुर्मुखी विकास योजनाओं की ओर अग्रसर हो वहाँ दूसरी तरफ बेकारी के खिलाफ़ युद्ध छेड़ दें। मैं समझता हूं कि जहाँ वर्तमान बजट टिप्पणियों में बेकारी का वर्णन किया गया है कि इसका हम अंत करेंगे, वहाँ कार्यालय में बेकारी के प्रति सहिष्णुता का भाव दिखलाया गया है, और यह दृढ़ निश्चित संकल्प नहीं है कि हम आने वाले सालों के अन्दर, इस साल से ऐसी कार्यवाही बेकारी के विरुद्ध छेड़ दें जिस से बेकारी समूल नष्ट हो जाय। माननीय गुलजारी लाल नन्दा ने यह बतलाया था कि हम वर्क जाब कैम्प्स ज़िलों में खोलेंगे जहाँ शिक्षित, अर्द्ध शिक्षित, और देहाती आ करके बतलायेंगे कि हम बेकार हैं और फिर उनकी रुचि के अनुसार उनको काम पर भेजा जायगा। आवश्यकता इस बात की थी कि हमारी राज्य सरकार का नियोजन विभाग बहादुरी के साथ यह कहता कि इतने ज़िलों में हम कैम्प्स खोलने जा रहे हैं ताकि शिक्षितों, अर्द्ध शिक्षितों या देहातियों की बेकारी का जो प्रश्न है वह सुलझ सके। जितनी अलग अलग विभागों में अलग अलग इस सम्बन्ध में बेकारी-विरोधी योजनाएँ चल रहीं हैं, उन सबको नियोजन विभाग के अधीन चलना चाहिये और एक ज़िम्मेदार अधिकारी के सुपुर्द उनको कर देना चाहिये।

जहाँतक कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन ब्लाक्स का सवाल है, मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से फाइव ईयर प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट सितम्बर सन् ५३ में छापी गयी है। इसमें कहा गया है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट में सन् १९५३-५४ में १ करोड़ ४८ लाख रुपया खर्च किया जायगा और सन् १९५४-५५ में में भी इतना ही १ करोड़ ४८ लाख खर्च किया जायगा। यह प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दी गयी लेकिन अगर बजट को देखा जाय तो ज्ञात होगा कि १९५३-५४ में केवल १ करोड़ १५ लाख रुपया कुल खर्च किया गया और इस साल के बजट में भी ७८ लाख की कमी कर दी गयी है और केवल ७० लाख रुपया कम्युनिटी प्रोजेक्ट में रखा गया है। सरकार ने शायद इस डर से कि हमें टैक्स लगाना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, एक अन्डर फाइनेंसिंग की सी पालिसी अख्तियार की है। ऐसी दशा में या तो यह प्रोग्रेस रिपोर्ट ग़लत है या यह सरकार को मानना पड़ेगा कि जहाँ उसने यह दिखलाया है कि हम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और ब्लाक्स खोल रहे हैं वहाँ हम आवश्यकता से कम रुपया दे रहे हैं। इस वर्ष के मेमोरंडम में साफ तरीके से मान लिया गया है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की नान रेकरिंग ग्रांट कम कर दी गयी है। इस साल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के प्रशासन के सम्बन्ध में सात लाख की वृद्धि अवश्य की गयी है, लेकिन पशुपालन में १ लाख ५३ हज़ार की कमी की गयी है, नागरिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में २६ लाख रुपये की कमी की गयी है, शिक्षा के सम्बन्ध में ७ लाख रुपये की कमी की गयी है, और हाउसिंग के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है जो कि फाइव इयर प्लान में और कम्युनिटी प्रोजेक्ट में पहले रखा गया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के नान रिकरिंग आइटम्स को इस साल कम कर दिया गया है। रिकरिंग ग्रांट के खर्च की ज़िम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट थी और नान रिकरिंग ग्रांट के खर्चे की ज़िम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उसी को कम कर दिया गया है। इस लिये यह कहना कि हम प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे हैं और ब्लाक्स बढ़ा रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स को ले लीजिये वहाँ कहीं कहीं एक भी विलेज लेविल वर्कर का अभी तक पता नहीं है। वहाँ जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वह यह है कि वहाँ वही कर्मचारी रहेंगे जो वर्तमान कर्मचारी हैं। जैसे जो पहले कहीं विलेज स्टाकमेन हैं उनको ही इन ब्लाक्स में भेज दिया जायगा और इसका नतीजा यह होगा कि जहाँ पहले से केन्द्रों में काम कर रहे होंगे, वहाँ काम ठप हो जायगा। जहाँ-जहाँ ब्लाक्स खुले हैं वहाँ के अधिकारियों को यह परेशानी है कि हम कहाँ से सरकारी अफसर भेजें। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की कमी कितनी है, पाँच साल के अन्दर इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि केवल १,७१३ कार्यकर्ता ट्रेन्ड किये गये हैं। जब १७१३

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कार्यकर्ता ५१ जिले के लिये हैं और ७५ जिलों के कार्यकर्ता 'ट्रेन्ड' हुये हैं यानी एक जिले में पौन या सवा कार्यकर्ता पड़ता है । इसके अलावा ८७१४ अदालती पंचायतें हैं जिनके लिये ११५७ कार्यकर्ता ट्रेन्ड हुये हैं, यानी ८ अदालती पंचायतों में एक पड़ता है । इसका मतलब यह है कि कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग का काम और तेजी से होना चाहिये और ज्यादा कैम्प्स खोलने चाहिये और इसपर ज्यादा खर्चा करना चाहिये । लेकिन बजाय इसके कि खर्चा इसमें ज्यादा हो मैं देखता हूं कि इसमें २ लाख १३ हजार रुपये कमी की गई ।

दूसरी बात यह है कि ब्लाक्स जहां भी खुलें वे पिछड़ी हुई जगहों में खुलें, जहां वास्तव में विकास की आवश्यकता है । प्लानिंग कमेटी जहां कहीं सिफ़ारिश भी करती है तो मैंने दो एक केसेज में देखा कि ऊपर से उसका रिजेक्शन हो जाता है । ऐसी जगहों में ब्लाक्स रखे जाते हैं जहां मोटर सड़कें हों और सुविधायें हों ताकि यह दिखाया जाय कि नतीजा अच्छा है । तो ऐसा नहीं होना चाहिये । जहां पहले से सहूलियतें हों ऐसे इलाकों में ब्लाक्स खोलने चाहिये । इसके अलावा भू-दान की तरफ भी प्लानिंग डिपार्टमेंट का ध्यान होना चाहिये । उसके जो कार्यकर्ता हैं वे हर कमेटी में निमंत्रित हों । मैंने देखा कि अभी इस ओर प्लानिंग कमेटीज का कोई रुझान नहीं है । साथ ही साथ लोक सेवा की संस्थायें हैं, जैसे भारत सेवक समाज, मैं समझता हूं पंच वर्षीय योजना की जो मंशा थी वह बिल्कुल बेकार सिद्ध हुई है और इस प्रान्त में भारत सेवक समाज तो केवल नाम मात्र के लिये हैं ।

इसके अलावा फ़ैमिली प्लानिंग की तरफ़ मैंने बार-बार जोर दिया है कि अगर हम फ़ैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारी सारी प्लानिंग बेकार होने वाली है । तो जहां हमारे ट्रेनिंग कैम्प होते हैं वहां फ़ैमिली प्लानिंग की भी शिक्षा आदि प्रचार होना चाहिये । इसी प्रकार क्राप प्लानिंग का प्रश्न भी हमारे सामने है । अन्त में यही कहूंगा कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग जरूर दी जाय ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---उपाध्यक्ष महोदय, आज यह प्लानिंग का अनुदान जो हमारे सामने है हम यह देखते हैं कि हमारे प्रदेश की पंचवर्षीय योजना के अनुसार ही हमारे प्रदेश में प्लानिंग होने के लिये जा रही है, प्रदेश की खुशहाली इसी के ऊपर निर्भर है । मैं समझता हूं प्लानिंग के अन्दर जब प्रदेश की आम जनता का आदमी इस बात की आशा लेकर कि हमारा प्रदेश फलेगा-फूलेगा, काम करने के लिये हाथ में फावड़ा लेकर जाता है और सड़कों का, नाले व नालियों का, खरन्जों का, कुएं का और दूसरे-दूसरे कामों को पूरा करता है तो एक उत्साह बढ़ता है और आगे आने वाली सन्तति के अन्दर वह उत्साह बढ़ जायगा जिस भविष्य के लिये हम बहुत आशा कर रहे हैं । आज हम प्लानिंग के काम को जब बजट के अन्दर देखते हैं तो इस अनुदान के अन्दर चाहे थोड़ा सा रुपया हो परन्तु सारे विभागों के अन्दर इस में कुछ न कुछ रुपया रखा गया है और विकास के कामों के लिये इस साल के अन्दर सबसे बड़ी रक़म, लगभग ६० करोड़ रुपये के दी गयी है । यह प्रदेश की खुशहाली का बड़ा अच्छा लक्षण है । परन्तु इतना कहना जरूर पड़ेगा कि बहुत बड़ा विस्तार जो इस योजना के अन्दर किया गया है उसमें बहुत बड़ी तदाद आदमियों की काम करने के लिये रखी गयी है । वे किस ढंग से काम कर सकेंगे, उनको ट्रेनिंग किस तरीके से दी जायगी, इस के लिये मेरी तो एक राय थी कि कुछ ऐसे ट्रेन्ड आदमी थे जिनको काम करने के लिये अगर उत्साहित किया जाता तो काम इससे अच्छा हो जाता । जिन आदमियों ने राजनीतिक लड़ाई में विजय हासिल की उनके दिलों में एक उत्साह था । आज भी काम करने के लिये वे उत्साह रखते हैं मगर उनको नजरअन्दाज किया गया है, और चुनाव समितियों में में वे ही छांटे गये हैं जो हैट, कोट, टाई और पतलून पहन कर वहां जाते हैं जो सिवाय फोटो खिचवाने के और कोई दूसरा काम प्लानिंग का कर सकते हैं, मुझे इसकी आशा नहीं है । मैं समझता हूं कि आज उन आदमियों को जिन्होंने राजनीतिक लड़ाई में लड़ने के लिये आगे क़दम बढ़ाया था और हमारे नेताओं के आवाहन पर अपनी स्कूल व कालिजों की किताबों में आग लगा दी थी और अपने घरों को छोड़कर जेलखाने की चहार दिवारी में जा पड़े थे उन्होंने

सीखा था कि देश का प्लानिंग कैसा होता है, परन्तु आज वह आर्थिक आजादी और सामाजिक आजादी में निकम्मे करार दे दिये गये हैं । आज वह भटकते हैं, आज वह तड़पते हैं, उनके दिल में लगन है लेकिन उनको काम करने का मौक़ा नहीं दिया जाता है । अगर उनको मौका दिया जाय तो वह देश को बहुत आगे ले जाने में अग्रसर हो सकते हैं ।

मैं समझता हूं कि जो चुनाव समिति बनाई जाती है उनका मियार यह है कि मेरा यकीन यह है कि अगर हमारे मन्त्री महोदय भी चुनाव समिति के सामने जायं तो शायद वह भी अयोग्य करार दे दिये जायं और एक भी आदमी आजादी का सिपाही नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि उनके छांटने का तरीका है । इस पहलू पर अवश्य गौर किया जाय और पुराने कार्यकर्ता जिनके दिल में लगन है और उत्साह और जिनको काम करने की प्रेरणा है उनको काम करने का मौका दिया जायगा तो आप देखेंगे कि प्लानिंग के अंदर कैसा सस्ता, सुंदर और शीघ्र काम हो सकता है ।

मुझे जाती तजुर्बा है और मैं समझता हूं कि साठ करोड़ की जो बड़ी भारी रकम काम करने के लिये इस सूबे में रखी गई है । उसको अगर गौर से देखा जाय और ठीक से हिसाब लगाया जाय तो मेरा यकीन है कि २५ प्रतिशत रुपया इसमें से आसानी से बचाया जा सकता है, और आज हमारे बजट के अंदर जो ४ करोड़ रुपये का घाटा है उसको ११ करोड़ के नफे में बदला जा सकता है । यों तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी बचत दिखाई है परन्तु मैं जानता हूं कि इंजीनियरों और दूसरे आदमियों का ५ साल का हिसाब लिया जाय और देखा जाय कि कहाँ-कहाँ और कितनी-कितनी रकम है तो उनको वह हिसाब मिल जायगा जिससे इसमें से रुपया बचाया जा सकता है और इतनी बड़ी रकम में से २५ प्रतिशत रुपया बचाना कोई मुश्किल बात नहीं है । मैं समझता हूं कि इस तरह से ४ करोड़ का घाटा ११ करोड़ के नफे में बदला जा सकता है । इस तरीके से मैं समझता हूं कि देश के बच्चे-बच्चे में उत्साह होगा और हर मर्द-औरत स्कीम के साथ होगा और खुश हाली भी साथ साथ आयेगी ।

अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जिस जिले से मैं आया हूं वहाँ मैं जानता हूं कि काम करने का ढंग क्या है और मैंने काम कराया भी है और इस तरीके पर २० हजार रुपये का पहिला इनाम भी मेरे ही जिले को अच्छा काम करने के संबंध में मिला भी है । मैं जानता हूं कि अफिसर्स किस तरीके से काम करते हैं । वह काम करते हैं और काफी करते हैं और उनमें उत्साह है, लगन भी है, क्योंकि वह भी तो इसी देश के बालक हैं और वह भी अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं परन्तु उनकी दिक्कतें हैं, उनकी वेश भूषा, चलन व्यवहार और रहन-सहन का तरीका गाँव वालों के साथ मेल नहीं खाता है मैं जानता हूं । और आशा करता हूं कि अगर इस तरीके से उनके हृदय में परिवर्तन लाया जाय तो बहुत ही अच्छा होगा और वह गांव वालों में जाकर काम करेंगे । इन मिट्टी के काम करने के लिये अपने को भूल जाना पड़ेगा और अपने को मिट्टी सा बन जाना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी ।

*श्री गोविन्दवल्लभ पंत—उपाध्यक्ष महोदय, नारायण दत्त जी ने जो कुछ नियोजन विभाग के संबंध में टिप्पणी में कहा उससे मैं वस्तुतः सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके पर उन्होंने इशारा दिया उससे इस नियोजन विभाग का कार्य सभी लोग मिलजुल कर सकेंगे। यह खेद की बात है कि कुछ जगहों में जो रुपया दिया गया था वह खर्च नहीं हो सका । यहां उपाध्याय जी ने पहले इसका जिक्र किया था और मैंने तब अल्मोड़ा को हिदायत भेजने को कहा था और गालिबन वह भेजी गई । आपका भी यह यत्न होना चाहिये कि वह कार्य किया जाय। मगर उनकी बातों से मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हुआ है यह इस नियोजन विभाग में हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है । जो थोड़ा सा रुपया हम दे सकते हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है अगर पहले से उसको खर्च करने की चिन्ता की जाय क्योंकि जो गांव

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दवल्लभ पंत]

वाले उससे तीन गुना या चार गुना अपना लगाकर खर्च करने को तैयार हैं उनको अगर थोड़ी सी मदद दे दी जाय और इस तरीके पर शुरू साल में ही कोई स्कीम बना ली जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा सहूलियत होगी। तो यह साल माली, जहां तक कि फाईनेंशियल इयर है वह तो खत्म होने जा रहा है। अब अगले साल के लिए मैं चाहता हूं कि प्लानिंग कमेटियां अपने-अपने जिले में पूरा पूरा प्रोग्राम बना लें श्रमदान का भी और और तरह का भी और उनको औसतन करीब-करीब १ लाख रुपया तो मिल ही रहा है। मुझे आशा है कि कुछ रुपया और गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी मिलेगा। यह तो हमने अपने बजट में रखा है और उसके मिलने पर हम कुछ और भी रुपया इस योजना के काम के लिये दे सकेंगे जिससे वह और भी अपने काम को पूरा कर सकेंगे। परन्तु इस काम को सिलसिलेवार करना चाहिये। प्लानिंग कमेटियों में वस्तुतः जो हमारे इस सदन के सदस्य हैं वही बहुमत में होंगे और उनका वैसे भी नैतिक प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर कोई प्लानिंग कमेटी ठीक तरह से काम नहीं करती तो उसकी कुछ जिम्मेदारी हम सब पर आ जाती है। इसलिए हम सबको इस बात का उद्योग करना चाहिये कि वहां ठीक तरह से काम हो जाय और जैसा यहां कहा गया अगर हर प्लानिंग कमेटी पहले एक तारीख महवार मुकर्रर कर ले कि फलां दिन हमारी मीटिंग हुआ करेगी, मसलन १० तारीख को या हर महीने के आखिरी शनिवार को या और इसी तरह का कोई दिन मुकर्रर कर ले तो अच्छा है। गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत इस किस्म की भेज दी गई है कि कोई तारीख मुकर्रर रहे ताकि पहले से हर एक को मालूम रहे कि उस दिन हमें यह काम करना है और जब वह अपना कार्यक्रम बनाये तो उसको ध्यान में रखें कि इस दिन यहां यह मीटिंग है। गोवर्धन जी ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा भी जाना चाहिये। ठीक है, जाना चाहिए। अगर न जाता हो तो सदस्यों को प्लानिंग कमेटी में प्रस्ताव रख कर देना चाहिए कि वह एजेंडा जितनी जल्द हो सके भेज दिया करें। कोई एजेंडे में बंधने की तो बात बहुत नहीं है और भी सवाल अगर कोई उठाये जायं तो उनको भी लेना चाहिए। पर ज्यादा से ज्यादा एजेंडा जो मालूम हो सके वह जिस तारीख को मीटिंग होने को हो जिसकी की तारीख अब पहले से सबको मालूम हो जायगी क्योंकि वह पहले से ही मुकर्रर रहेगी, तो उसके पहले उसका एजेंडा भेज देना चाहिए ताकि सब लोग तैयार हो कर आवें और ज्यादा से ज्यादा काम वहां हों।

कुछ टूरिस्ट ट्रैफिक की बात कही गई। उसके लिए अलावा उसके जो उन्होंने देखा है और भी तरीके रखे गये हैं। कुछ तो डिस्ट्रिक बोर्ड के बंगलों को लेने का उद्योग किया गया है ताकि उनको ठीक तरीके पर रखा जाय और उन से टूरिस्ट को कुछ फायदा पहुंचे। इसके अलावा गंगोत्री जमुनोत्री की सड़क को भी पी० डब्ल्यू० डी० ने ले लिया है। टूरिस्ट में पिलग्रिम भी शामिल हैं क्योंकि एक बहुत बड़े अंश में जो इस तरह के पिलग्रिम हुआ करते हैं, उनसे भी लोगों को काफी फायदा पहुंचता है। मगर वह बहुत ज्यादा शोरगुल कर के नहीं आते। टूरिस्ट ट्रैफिक हमारे मुल्क का पहले जमाने में जो रहा है पिलग्रिम्स ट्रैफिक के रूप में बहुत शान्त और साधारण तरीके पर चलता रहा है। अब वह ढंग जो आज है उससे भी लाभ हो सकता है। मगर इसके लिए कोई खास तरकीब प्लानिंग कमेटी भेजे कि हमारा यह प्लान है और हम चाहते हैं कि इस तरीके पर यह किया जाय तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उस पर गौर करने को तैयार रहेगी। बशर्ते कि कोई खास प्लान उसका आये। तो उसको देखा जा सकेगा।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स जो दो अक्तूबर और २६ जनवरी को खोले गये उनके लिए कहा गया वह ठीक काम नहीं कर रहे हैं। २ अक्तूबर और २६ जनवरी तो शुभ दिन समझ के उनका श्रीगणेश किया गया था। मगर एकदम से ट्रेंड स्टाफ मिल जाय जिससे वह ठीक काम करें, उसके लिए वह सम्भव नहीं था। एक बात हुई। कुछ लोगों में जानकारी हुई उस दिन को करने से उनमें भावना हुई कि अब हमारे यहां नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स बने हैं और उनमें उसके

लिए कुछ तैयारी होने लगी। मैंने यहा कहा है कि जब तक ट्रेंड आदमी न हो जायं तब तक जो कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स ब्लाक्स हैं या जो जिलों में और ऐडवान्स ब्लाक्स हैं उनमें एक एक, दो दो आदमी नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स में भेज दें ताकि वहां कुछ काम चलता रहे और जैसे ही ट्रेंड स्टाफ मिल जायगा वैसे ही नेशनल एक्सटेंशन का काम प्रोग्राम के मुताबिक चलने लगेगा। जो बुनियादी बात है वह जनता में उस कांस्ट्रक्टिव स्प्रिट को पैदा करना है। उसके लिए भी उद्योग होना जरूरी है।

कुछ नारायणदत्त जी ने कहा कि खर्च में कमी की गई है। वह तो नानरेकरिंग एक्सपेंडिचर की कमी है। वह इसलिए कि मकानात वगैरह बन गये जिनमें खर्चा करना था। हर साल हर जगह मकान बनाने की जरूरत तो नहीं होती।

दूसरे जो लोन्स का आइटम है वह दूसरी मद में है। वह यहां पर नहीं रखी गयी है। इसलिए उसमें कोई खास कमी नहीं है।

जो अनएम्प्लायमेंट के लिए कहा गया वह एक लाख तो वैसे ही एक छोटी सी रकम है। अनएम्प्लायमेंट के लिए हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को स्कीम्स भेजी है, करीब ४२ करोड़ की और उनसे कहा है कि हमारी उन स्कीमों का ऐप्रूव करें और जितना रुपया हमको दे सकते हों दें। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी कुछ स्टेट्स के लिए अनएम्प्लायमेंट के लिए क्या दिया है इसका जवाब दिया था। इस पर हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को तार भेजा था कि इसमें हमारी स्टेट का कोई जिक्र नहीं है। तो उन्होंने तार दिया कि हम देख रहे हैं। जिन स्टेट्स का हमने फैसला कर दिया उनका नाम इसमें दिया है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या-क्या स्कीम्स हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—स्कीम्स बहुत सी हैं। कुछ इंडस्ट्री की हैं, कुछ हाउस बिल्डिंग की हैं कुछ एजूकेशन की हैं, कुछ पढ़े लिखों को भूमि पर बसाने की हैं। कई प्रकार की स्कीमें हैं। हम समझते हैं कि उन स्कीमों में से अगर थोड़ी भी काम में आ जायं तो हम काफी लोगों को काम दे सकते हैं। हमारे इस बजट में भी इसके अलावा और भी स्कीमें मौजूद हैं। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में कई नयी स्कीमें हैं। खासकर अनएप्लायमेंट की गरज से ही बनायी गयी हैं।

अनएम्प्लायमेंट को साल्व करने के दो तीन तरीके रखे गये हैं। एक तो एजूकेशन का तरीका बदला जाय। उसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा है दो तीन हजार हमारे जूनियर हाई स्कूल्स हैं उन सब में ऐग्रीकल्चर या क्रैफ्ट के स्पेशलिस्ट रखने का इरादा है ताकि वहां एग्रीकल्चर की खास ट्रेनिंग दी जाय और वह एक कम्युनिटी सेंटर और एक्सटेंशन सेंटर भी हो ताकि आइन्दा जब लड़के निकलें वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दस लाख की रकम इंडस्ट्रीज में भी अनएम्प्लायमेंट के लिए रखी गयी है और उनमें कई मदें ऐसी हैं जो कि सिर्फ इसी गरज से रक्खी गयी हैं।

जिन्होंने न्यू आइटम आफ एक्सपेंडीचर को देखा है तो उसमें इंडस्ट्रीज की ही मद में ये मदें देखने को मिलेंगी। उसमें कोशिश यह की गयी है कि टेक्निकल एजूकेशन को सुधारा जाय और फैलाया जाय। इसके लिये हारकोर्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिये कई लाख रुपये रक्खे गये हैं और जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सुधारने और फैलाने के लिये काफी रकमें रक्खी गयी हैं। काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये भी काफी रुपया रक्खा गया है। हैंडलूम के लिये एक खासी अच्छी रकम रक्खी गयी है। इन सब चीजों की यही गरज है कि अनएम्प्लायमेंट में रिलीफ हो। एजूकेशन वोकेशनल की जाय और जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाय, उनका एक्सटेंशन किया जाय और जो पढ़े लिखे बेकार आदमी हैं उनके लिये नई ओपिनिंग्स हों, नयी इंडस्टीज खोली जायं जिससे वे ज्यादा से ज्यादा काम में लग सकें, इन सब बातों के लिये कोशिश की गयी है और दो तीन

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश की गयी है और इसमें जो एक लाख रुपया रक्खा गया है वह केवल लैन्ड सेटिलमेंट के लिये इस जगह पर रक्खा गया है।

पहाड़ों में जो सड़कों के बारे में कहा गया मैं समझता हूं कि वह जरूर होना चाहिये। एक बात यह कही गयी कि जितनी ऐसी कच्ची सड़कें श्रमदान से एक साल में बनें उनको दूसरे साल मेटिल कर दिया जाय। सदन उतना रुपया दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ी रकम होगी लेकिन कुछ हद तक एक दूसरे तरीके पर यह हो सकता है जो रुपया गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किया जाता है इरीगेशन के लिये, बिल्डिंग्स के लिये, रोड्स के लिये या दूसरे वर्क्स के लिये, या अर्थ वर्क के लिये अगर उसमें लोग श्रमदान दें और उस रुपये को श्रमदान के जरिये खींच कर सड़कों पर लगाया जाय तो बहुत अच्छा होगा। इस साल हमने ऐसा किया और उसमें कामयाबी भी हुई। जहां तक प्लानिंग का काम है यह जो आपके सामने बजट रक्खा हुआ है यह तो एक सिम्बालिक चीज है। आज सारा काम प्लानिंग का और रिकांस्ट्रक्शन का है, लेकिन बजट के परपज के लिये अलग-अलग हेड्स में जब चीजें आती हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस प्लानिंग के काम में सभी लोग इस तरह से दिलचस्पी लेंगे ताकि हमारी सब स्कीम्स कामयाब हों और साल के आखिर में हम आगे बढ़ सके हैं, ऐसा सब लोग महसूस करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बगैर प्लानिंग के कोई काम नहीं हो सकता और प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। यह भी ठीक है कि जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा कि प्लानिंग में रुपया बहुत कम खर्च होता है उसे ज्यादा बढ़ाया जाय। लेकिन मैं दीनदयालु शर्मा जी की उस बात से इत्तिफाक नहीं करता जिसमें उन्होंने कहा कि पोलिटिकल वर्कर्स को इस काम में लगाया जाना चाहिये। मेरा तजुर्बा यह बतलाता है कि वह ज्यादा अच्छे साबित नहीं होंगे। पोलिटिकल वर्कर्स सरकारी महकमें में काम नहीं कर सकते। उनको इंडस्ट्रीज के लिये रुपया दिया जाय या और किस्म से सहायता दी जाय इसमें तो मैं उनके साथ हूं लेकिन जहां तक डेवलपमेंट का काम है उसमें उनको न रक्खा जाय। क्योंकि पोलिटिकल सफरर्स रात दिन मिनिस्टरों के पास आते जाते रहते हैं और उसका डिसिप्लिन पर बड़ा असर पड़ता है। अल्मोड़ा का बदकिस्मती डि० पी० ओ० एक पोलिटिकल सफरर ही है। अगर कोई और होता तो कभी वैसा काम न करता। उसमें प्लानिंग कमेटी को बिल्कुल फार्स बना रक्खा है और उसकी हिम्मत हो गयी है कि प्लानिंग कमेटी के प्रस्तावों को ठुकरा दें। इसलिये मैं इस मामले में उनके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं खास कर इस प्लानिंग में कि पोलिटिकल वर्कर्स को रक्खा जाये। अब अध्यक्ष महोदय, दीनदयालु शास्त्री जी ने यह कहा कि यह जो चार्ट है यह प्रारंभिक रिपोर्ट लिखी गयी है और इसकी छानबीन हो रही है। जब इसमें हमारा नाम ही नहीं है तो फिर छानबीन कहां से होगी। मुझे इस बात का दुख है कि सरकारी अफसरों की भी ऐसी मनोवृत्ति हो गयी है कि वह मंत्रियों को खुश करने में लगे रहते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस चार्ट की जांच करने के लिये यहां के ३,४ सदस्यों की एक कमेटी बिठायी जाय जो इसकी जांच करे। तो यह गलत न साबित हो जाय तो आप जो चाहे सो कहियेगा। सब से पहले मंत्री जी का जो डिविजन है मेरठ उसको रखा गया है। फिर सहारनपुर को रखा गया है। इन दोनों को इनाम मिल गया है तो इनसे मुकाबिला कैसे हो सकता है। हमारे यहां का २७ हजार का काम है और यहां पर १० लाख का काम है और मेरठ में १८ लाख का काम हुआ है। सब से ज्यादा काम हमारे यहां हुआ है आप मेरे साथ चलें और देखें कि कितना काम वहां पर हुआ है और जगह तो मिट्टी की टोकरी उठायी जाती है लेकिन हमारे यहां रोक कटिंग होती है जो बहुत मुश्किल है। आपने जो रिटायर इंजीनियर की एक कमेटी बिठायी थी उस कमेटी पर हमारा बिलकुल

विश्वास नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि यह काम कम्पीटिशन की शक्ल पर हो जाय और हर एक मेम्बर अपने जिले में अच्छा काम करने का प्रयत्न करे तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि साल भर में विकास काम अच्छा हो सकता है। यहां पर तो मंत्री जी एक तसवीर खड़े होकर पेश कर देते हैं और उनका काम तसवीर दिखाने का है कि इतना काम हुआ लेकिन हमारे यहां जो काम किया गया है वह सब ने मिलकर किया है मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां हर एक गांव में हर एक आदमी ने काम किया है और एक आदमी भी ऐसा नहीं रहा जिसने न किया हो या जिसने काम नहीं किया उसने रुपया न दिया हो और औरतें तक हमारे यहां काम करने के लिये आयीं। हमारे यहां के काम का मुकाबिला न मेरठ कर सकता है और न सहारनपुर कर सकता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि सरकारी अफसरों ने गल्ती नहीं की। मिनिस्टर साहब को खुश करने के लिये ऐसा किया गया मेरठ का नाम पहले रख दिया।

इंडस्ट्री की जो बात कही गयी मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि काटेज इंडस्ट्री के बारे में यदि कुछ काम किया जायगा तो उससे अवश्य बेकारी दूर होगी।

तीसरी बात यह है कि जहां तक डेढ़ का सवाल है उसके लिये यह बताया गया कि डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां से हुकुम चला गया कि एक दिन डेट फिक्स हो जाय और फिर उसी दिन मीटिंग हुआ करे। हमारे यहां तो ५ तारीख निश्चित है तो उस दिन हरएक महीने में मीटिंग होती है। जब उसमें कोई इन्टरेस्ट नहीं लेता है तो प्लानिंग की शिकायत कैसे। मैं चाहता था कि जितना रुपया जिस जिले को दिया जाय अगर वह वहां के लोगों की मर्जी के मुताबिक खर्च किया जाय तो उससे जनता का बहुत लाभ होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिस स्प्रिट में यह काम हो रहा है हमारी तरफ से यह न समझा जाय कि विरोध हो रहा है लेकिन अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसको जरूर कहा जायगा। विकास के काम में जो रोड़ा अटकायेगा जैसे कि वह अल्मोड़ा वाले अटका रहे हैं तो हम उसको जरूर तोड़ेंगे। इस शब्दों के साथ मैं इस कटमोशन को वापस लेता हूं।

(भवन की अनुमति से कटमोशन वापस लिया गया।)

श्री दीनदयालु शास्त्री--पिछले साल सहारनपुर और अल्मोड़ा को बराबर का इनाम मिला है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जी नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--योजना और एकीकरण (लेखा शीर्षक ६३ क-युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय तथा ६३-ख-सामूहिक योजनाएं) के अन्तर्गत २,४४,९३,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६-लेखा शीर्षक ४२-सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)--अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६-लेखा शीर्षक ४२-सहकारिता, के अन्तर्गत ६२,२०,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं यह मानता हूं कि सहकारिता के जरिये ही देश की आर्थिक उन्नति हो सकती है। मैं यह भी मानता हूं कि सहकारिता के जरिये कोई ऐसा आर्थिक काम या व्यवसाय का काम नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। मैं बराबर कहता रहा हूं और इस पर बराबर कार्य भी करता रहा हूं और मुझे यकीन है कि अगर हमने सहकारिता को पूरे तौर से सबने मिलकर संभालने की कोशिश की तो हम अपने देश के आर्थिक ढांचे को काफी मजबूत और शक्ति-

[श्री मंगलाप्रसाद]

शाली बना सकते हैं। हमारे रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज जो अभी कैनाडा, इंग्लैन्ड डेनमार्क गये थे, उन्होंने भी कुछ आंकड़े मुझे दिये। उससे भी मैंने यह तय किया कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम सहकारिता के जरिये नहीं कर सकते। कुछ आंकड़े मैं सुनाता हूं जिससे समझने में आसानी होगा। कैनाडा में २८ फीसदी डेयरीका सामान देश भर में सहकारिता के जरिये से क्रयविक्रय होता है। २० फीसदी लाइव स्टाक, ६० फीसदी फीश, ९० फीसदी वूल, ६० फीसदी ग्रेन ९५ फीसदी टुबेकों। इसी तरह से बहुत सी चीजें दी हुयी हैं जो ६० से ९० फीसदी तक कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा हैंडिल होती हैं। इसी प्रकार डेनमार्क के फीगर्स लें तो मालूम होगा कि वहां की कुल तरक्की कोआपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर निर्भर है और वहां करीब २/३ जरूरी सामान का कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये लेन देन होता है। इसके अलावा इसराइल जहां अभी हाल में उन्नति शुरू हुयी है, वहां पर सहकारिता से काफी तरक्की की है और वहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग इतना कामयाब हुआ है कि शायद दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं हुआ। वहां पर भी सभी सामान, कन्ज्यूमर गुड्स और जो सामान वे पैदा करते हैं, उस सबका लेनदेन, खरीद-फरोख्त कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये होता है। इससे मेरी राय और बहुत मजबूत हुई। यहां अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि अब जो अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं वह ज्यादा जरूरी है और उससे देश की ज्यादा तरक्की हो सकती है। मैं एक अपनी राय इसके खिलाफ रखता हूं। देश की तरक्की तभी हो सकती है जबकि सामूहिक तरीके से सब लोग मिल कर काम करें, धन का सब लोगों में बराबर बटवारा हो और हमारी खरीदने की शक्ति बढ़े। एक बात और बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की इंडस्ट्रियल तरक्की करना चाहते हैं। इसके ढांचे को हम बदलना चाहते हैं। इसकी तरक्की के लिये हम ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं जिसमें भांति भांति की इंडस्ट्रीज चला सकें। जगह-जगह पर हम देश के लोगों को इन कामों में लगाना चाहते हैं ताकि अनएम्प्लायमेन्ट दूर हो। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें एक न एक ढांचा उसका देश भर में अवश्य बनाना होगा और वह ढांचा कोआपरेटिव मूवमेंट के जरिये से बन सकता है। इसके लिये हमें आवश्यकता है कि हम गांव गांव में कोआपरेटिव सोसाइटीज को खोलें। इस सम्बन्ध में हम काफी जोरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दो तीन महीने हुये हमने इसके लिये ड्राइव भी शुरू किया है। उस ड्राइव का नतीजा मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमारी मेम्बरशिप जो पहले ९,३०९७५ थी बढ़ कर १०७३९५७ हो गयी है। यानी दस प्रतिशत उसमें तरक्की हुई है। प्राइमरी सोसाइटीज जब कि पहले २७८२१ थीं तीन चार महीने में २७०० और बढ़ गयी हैं यानी १० प्रतिशत की वृद्धि इसमें हो गयी है। हमने शेयर कैपिटल भी बढ़ाने की कोशिश की है। वह पहले १,६३,७४००० रुपया थी जो अब १,३५,००००० रु० और बढ़ गयी है यानी इसमें ९ प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और ६० लाख रुपया हमारे बैंकों को डिपाजिट हुआ है। मैंने वायदा किया था कि मैं इस तरफ ध्यान दूंगा। अभी हमारा साल जून में समाप्त होता है और असली काम का वक्त भी अभी आ रहा है और हमें आशा है कि इस बीच में देहातों से हमारा डिपाजिट और ज्यादा कलेक्ट कर लेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन ३-४ महीनों में हम अपनी फिगर्स को ३-४ गुना कर देंगे। आजकल हमारे गांवों में जो थोड़ा बहुत पैसा है वह जमा नहीं होता है, लोग उसको अपने पास ही रखते हैं या तो वह पड़ा ही रह जाता है या चोरी हो जाती है। इसलिये गांवों में हम एक नया उत्साह और नयी भावना उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे लोग अपना पैसा बैंकों में रखने लग जायं या किसी ऐसी जगह रखें कि वह रुपया काम आ सके। अगर हम ऐसा कर सके तो मैं समझता हूं कि हमारे पास दो तीन वर्षों के अन्दर पैसे की कमी नहीं रह जायगी और १०/२० करोड़ रुपया हम गांवों से इकट्ठा कर लेंगे और वह कोआपरेटिव बैंक में जमा हो जायगा तथा उससे बड़े बड़े काम हो सकेंगे। इस काम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि हम इसमें कामयाब हो जायेंगे क्योंकि इसमें हमें हर पार्टी का सहयोग मिलने की आशा करते हैं। प्रेस से इस काम में बहुत सहायता मिल रही है तथा भविष्य में भी मैं आशा करता हूं कि वे अपने सहयोग को कायम रखेंगे।

अगर ऐसा हुआ तो काफी तरक्की इस ओर कर सकते हैं। समय कम है और डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। यद्यपि इसका बजट बहुत छोटा ही है परन्तु हमारा कारबार २४-२५ करोड़ रुपये के करीब का होता है और उसके कहने में समय तो लगता ही है। मैं आपसे यह कह रहा था कि मैंने जितनी बातें पिछले साल बतायी उसमें से करीब करीब सब में तरक्की हुयी है। पारसाल २०० के करीब भट्ठे खोले गये थे और इस साल जनवरी के आखिर तक ५१० भट्ठे चालू हैं। लेकिन इस साल के अन्दर एक हजार करोड़ ईंटें बनायी जा रही हैं जो कि काफी तादाद में बन भी चुकी हैं। जनवरी तक करीब १ हजार करोड़ ईंट बना लेंगे। इसके अलावा बीज भंडारों में भी तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास करीब करीब १५ लाख मन से ज्यादा गल्ला है बीज भंडारों में जिसको कि हम वितरण करते हैं। हमारे पास पिछले साल ३ लाख मन के करीब ए क्लास सीड्स थे लेकिन इस साल ७ लाख मन से अधिक ए क्लास सीड्स हैं और आशा है कि हमारे पास जो १५ लाख मन गल्ला है वह सभी ए क्लास सीड्स इस साल हो जायगा।

इसी तरह से हम अपने भट्ठों की तरक्की करना चाहते हैं। अगर हमें कोयला मिलता रहा तो इस साल करीब ७ सौ के पूरा कर लेंगे। हमारे कोआपरेटिव ऐक्ट में भी काफी तब्दीली की जरूरत है। सन् १९१२ में कोआपरेटिव ऐक्ट बना और तब से अब तक काफी समय हो गया है और कोआपरेटिव मूवमेंट और उसके काम करने में हमें काफी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिये इस ऐक्ट में तब्दीली जरूरी है। इस ऐक्ट को हम बहुत थोड़े दिनों अन्दर ही बदलने जा रहे हैं और उसके लिये बिल तैयार भी हो गया है और अगर अप्रैल में सेशन हुआ तो वह आपके सामने आ जायगा और वह सेलेक्ट कमेटी में जायगा और फिर आप लोगों की राय से एक ऐसी शक्ल बनायी जायगी जिससे कि हमारी जो दिक्कतें रही हैं जो प्रगति में रुकावटें होती रही हैं वे दूर हो जायं और हम काफी तेजी से आगे बढ़ सकें। अभी तक कोआपरेटिव के कई अंग हैं जो अलग अलग हैं। कहीं पर कोआपरेटिव यूनियन है तो कहीं पर इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी है, इस तरह से कई अलग अलग डिपार्टमेंट के जरिये काम कर रही हैं जिन सबको मिला कर हम मल्टीपरपज सोसाइटी चलाना चाहते हैं ताकि सब एक जगह हो जायं। क्योंकि वह सब अभी अलग अलग चल रही हैं उसको दूर करने के लिये हमने अपने यहां एक एपेक्स बाडी बनायी है। उसने अभी अपना काम करना शुरू तो नहीं किया है लेकिन रूल्स रेगुलेशंस सभी बन चुके हैं और आयन्दा साल से वह काम करने लगेगी। अब तक एक दूसरे में जो उलझन होती थी वह दूर हो जायगी और एक पूरी शक्ल हमको देखने को मिलेगी। मैं समझता हूं कि अगर आपका सहयोग रहा और आप में जो अच्छे से अच्छे लोग हैं जो अब तक इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेते रहे हैं, वे इसमें हिस्सा लेने लगेंगे और आप इस बात का ज्यादा ख्याल करेंगे कि पैसे आदि में कहीं कहीं खराबी हो जाती है, एकाउंटिंग ठीक नहीं रहता और कहीं कहीं इमबेजिलमेंट भी दिखलायी पड़ता है। जहां पैसा होता है वहां तो यह हो ही जाया करता है। इसलिये आपको इस बात का खास ख्याल रखना है जिसमें हम इस काम को आयन्दा पूरा कर सकें। आडिटिंग का आर्गनाइजेशन भी हमने कर लिया है, उसमें भी कई सेक्शन हैं। आडिटिंग के ५ रिजनल सेंटर अलग अलग हैं। वे अपने काम को जोरों से कर रहे हैं और आशा है कि जितनी सोसाइटीज हैं उनके हिसाब किताब की देखभाल अच्छी तरह से होने लगेगी। जहां पर एकाउन्ट आदि रखने का काम होता है खास कर ऐसे मुहकमे में जहां रुपया होता है जहां व्यवसाय होता है, जहां रोजगार होता है वहां अगर उनके हिसाब किताब की देखभाल में जरा सख्ती हुयी तो नतीजा उसका हमेशा अच्छा होता है। मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मुझे आशा है कि इस काम में हमें आपकी पूरी इमदाद मिलेगी।

राजा बीरेंद्रशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय, क्योंकि इस अनुदान पर इधर के बहुत से लोग बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सदन के नेता और विरोधी दल के नेता मिल कर मेरे सामने कोई बात कह दें तो मैं प्रस्ताव पेश कर दूंगा।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—सवाल यह है कि ऐसा हो भी सकता है ?

श्री अध्यक्ष—हो तो सकता है।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—मेरे ख्याल से तो यह आज नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो मुझे कोई उज्र नहीं है। और इसके अलावा १५९ भी है—

"In addition to the powers exercisable by the Speaker under these rules, he may exercise all powers necessary for the purpose of the timely completion of all financial business and may, in particular, allot time for the disposal of various kinds of such business and when the time is so allotted, he shall at the appointed hour put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which the time has been allotted."

तो इसके माने यह हैं कि जिस दिन के लिये जो ग्रूप बन गया है उसके उस दिन के ऐप्वाइंटेड टाइम पर अनुदानों के सेक्शन और सेक्शन्स हाउस की मंजूरी के लिये रख दिये जायेंगे। अब यूजुअल आवर असेम्बली का जो ऐप्वाइंटमेंट टाइम है उस पर सारे अनुदानों को खत्म हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—लेकिन उसके फिक्स होने के बाद जो ऐप्वाइंटेड टाइम होगा उस पर सारे अनुदान हो जायेंगे।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—वह तो फिक्सड हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन १५३ (२) तो और भी कहता है। वह यह है :—

"The demands for grants shall be presented in such order and then discussion shall continue for such time within the period allotted under sub-rule (1) as the Leader of the House, in consultation with the Leader of the Opposition, may determine."

तो पहला तो हुआ डे वह तो आज का डे है। वह तो होगा ही। वह निश्चित हो चुका है। लेकिन जहां तक समय का ताल्लुक है उसके लिये अगर लीडर आफ दि हाउस लीडर आफ दि आपोजीशन से बातें करके तय करके बता दें कि और समय अलाट कर दिया जाय तो वह मैं अलाट कर दूंगा।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—लेकिन १५९ में है "he shall at the appointed hourput every question .....in connection with the stage or stages for which the time has been allotted."

तो इसमें मेरे राजी होने के बाद भी काम चल जाता है आप समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अगर आप उसके लिये राजी हों समय को शिफ्ट करने के लिये।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—मैं राजी हो सकता हूं मगर मैं राजी होऊं तो भी क्या इस १५९ के मातहत "ऐप्वाइंटेड" टाइम जो यूजुअल टाइम है उसमें चेंज हो सकता है। मेरी रजामन्दी का प्रश्न जहां तक है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इसको इंटरप्रेट तो आपको करना है कि क्या ऐप्वाइंटेड टाइम जो है अब बढ़ सकता है।

श्री अध्यक्ष——तो उसका इंटरप्रिटेशन तो मैंने पहले भी किया है कि लास्ट डे में कुछ कर नहीं सकते। डे तो वही रहेगा लेकिन टाइम के लिये ऐलाटमेंट है जो ऐप्वाइंटेड आवर है उसको अगर सदन शिफ्ट कर दे तो जो शिफ्ट करके सदन टाइम ऐप्वाइंट करेगा उसको मैं अप्वाइंटेड टाइम निश्चित कर दूंगा।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत——अगर आप राजी हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह——श्रीमन्, १ घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष——अगर नेता सदन राजी हो जायं।

श्री गोविन्दवल्लभ पंत——मैं किसी बात में नाराज नहीं हूं। लेकिन सबेरे एक सजेशन आया था कि आध घंटे बढ़ाया जाय। इसलिये ठीक यही होगा कि आध घंटे बढ़ा दिया जाय क्योंकि अब सभी थक गये हैं।

श्री अध्यक्ष——ठीक है तो, अब प्रश्न यह है कि आज के कार्यक्रम के लिये आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय——माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है उसमें मैं आपकी आज्ञा से एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

मैं यह सोच रहा था जब माननीय मंत्री जी भाषण दे रहे थे, कि हम लोगों से कहने के बजाय अगर वह स्वयं विचार करते तो हमारे कोआपरेशन की हालत यह न होती जो आज इस प्रदेश के अन्दर है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे रजिस्ट्रार साहब जैसा कि अभी अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह कैनाडा और अमेरिका से हो करके आये हैं और वह सहकारिता के ऊपर नई रोशनी डालकर के हमारे प्रांत के सहकारिता के मूवमेंट को आगे बढ़ायेंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि सहकारिता एक ऐसी चीज है जिसे प्लानिंग कमीशन ने भी लिखा है कि सहकारिता के आधार पर ही हमारे देश की उन्नति हो सकती है लेकिन फिर भी इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मैं इसके आंकड़ों पर जा करके समय नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि हम देखना यह चाहते हैं कि आज रिजल्ट क्या है, आज सहकारिता की हालत क्या है। जो सहकारी सोसाइटियां कंट्रोल के जमाने में बनी थीं, कंट्रोल खत्म होते ही आज उनकी क्या हालत हो गयी है। क्या इसकी ओर भी माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया ? क्या सहकारिता के आधार पर गांवों में जो पंचायतें बनी हैं उनके सहयोग से माननीय मंत्री जी ने इस बात की कोशिश की कि वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज बना करके वहां के ग्रामोद्योगों को उत्साहित किया जाय ? अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिनकी वजह से क्षेत्रों में काम करने की हिम्मत नहीं होती। सरकार ने अफसरों का तांता लगा दिया है। यह सुपरवाइजर वगैरह जो कोआपरेटिव सोसाइटीज के होते हैं वह कोई काम नहीं करने देते हैं और रोज बीच में कोई न कोई रोड़ा अटकाते रहते हैं।

मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं। हमारे माननीय कमलापति त्रिपाठी जी इस साल पहाड़ पर गये थे। एक कोआपरेटिव सोसाइटी ने माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिये फाटक बनाया १०, ५ रुपये में बनाया और फूल की माला वगैरह का इन्तजाम किया। वहां मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ कि १२, १३ रुपये जो यहां पर खर्च हुये हैं वह कोआपरेटिव सोसायटी की तरफ से दे दिये जायं। तीसरी चौथे दिन वहां एक सुपरवाइर साहब पहुंच गये। उन्होंने

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

उस प्रस्ताव के ऊपर यह नोट लगाया कि यह सोसायटी कोई खैराती संस्था नहीं है कि दरवाजे और फाटक बनावे। मैं रजिस्टर ले आया हूं। अगर माननीय मंत्री जी देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूं। मैंने भी उस पर नोट लगाया है। इस तरह से मैं जब देखता हूं कि एक सुपरवाइजर की यह हिम्मत है कि वह मिनिस्टर पर भी नोट लगा सकता है तो फिर आप भी अन्दाजा लगा सकते हैं कि इन अफसरों से क्या आशा की जा सकती है। वह सोसाइटियों को पनपने नहीं देते हैं। जो सोसाइटियां रजिस्टर्ड नहीं हैं उनमें तो गबन नहीं है लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं उनमें सब में गबन होता है। मेरे यहां कुमायूं में कोआपरेटिव फेडरेशन है, न मालूम कितनी जगह उन्होंने गबन कर दिया और उनके रुपये का कुछ पता नहीं। फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कई जगह से रुपया रानीखेत में बिल्डिंग खरीदने के लिये उधार लिया है। उनके सुपरवाइजर यह काम करते हैं कि गांवों में जाकर जबर्दस्ती ए० सी० एफ० के लिये शेअर खरीदवाते हैं। वहां जो आफिसर रक्खे गये हैं, सेक्रेटरी साहब उनको ५ सौ रुपया तनख्वाह मिलती है। मैं समझता हूं कि इतनी तनख्वाह देने पर सोसायटी का सारा रुपया नष्ट हो जायगा। इसी तरह से और भी जगहों पर ऐसी बातें हो रही हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह कोआपरेटिव के ऊपर आज स्पेशल अटेंशन दें अगर सहकारिता के आधार पर इस देश को आगे उठाना है। हमारी कांग्रेस का कोआपरेटिव कामनवेल्थ का उद्देश्य भी है। इसलिये मुझे बड़ा दुख है कि जहां इतनी सहकारिता की बात हो वहां पर माननीय मंत्री जी इसकी ओर ध्यान न दें। मैं चाहता हूं कि जो सोसाइटियां बेकार पड़ी हुयी हैं उनको काम दिया जाय। हमारे यहां सोसाइटियों के पास दो लाख रुपया बेकार पड़ा हुआ है उससे सिर्फ वह नमक बेच रहे हैं। उनके सेक्रेटरी नमक बेच रहे हैं और सारा सोसाइटी का कैपिटल इसी तरह से खर्च होता है। इसलिये हम चाहते हैं कि प्रांत के अन्दर उन्हें काम में लगाया जाय। हम एक तरफ यह कहते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को मदद देनी चाहिये, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम उनसे काम नहीं लेंगे तो जो सहकारिता का मूवमेंट चल रहा है वह खत्म हो जायगा। जो पहले गलतियां हुयीं उनपर हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन आगे के लिये हमें यह देखना है कि जो हमारा प्लानिंग का काम है वह सहकारिता पर बेस करता है और जब तक हम कोई ठीक कदम नहीं उठायेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस ओर अवश्य कदम बढ़ायेंगे। मैं यह नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी ने कोशिश नहीं की है, उन्होंने कोशिश की है लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बहुत तरह की सोसाइटीज हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि मल्टी परपज सोसाइटीज हैं, क्रेडिट सोसाइटीज हैं और भी बहुत सी सोसाइटीज हैं। क्रेडिट सोसाइटीज तो बहुत दिनों से यहां चल रही हैं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि बैंक्स गांवों में भी होने चाहिये, केवल शहरों में बैंक्स के रहने से बहुत लाभ नहीं है।

माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहूंगा कि आज जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ है अगर उसके बजाय कोआपरेटिव स्टाफ से काम लिया जाय तो वह ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि वे अवश्य इस चीज को करें।

दूसरी बात यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज जो ब्याज पर रुपया देती हैं उनका ब्याज बहुत ज्यादा है। अगर और प्रांतों को देखा जाय तो ब्याज की दर इस प्रकार है कि बम्बई में सवा छः परसेंट पंजाब में ६ परसेंट, ट्रावनकोर कोचीन में ८ परसेंट और यू०पी० में हम आज ९ से १२ परसेंट तक रुपया देते हैं। हमारे यहां इस सम्बन्ध में ऐग्रीकल्चरल फाइनेंस सब कमेटी बैठी, कोआपरेटिव प्लानिंग सब कमेटी बैठी, और एक ऐग्रीकल्चरल क्रेडिट आर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी और इन सबने यही रिकमेंड किया कि जो लांग टर्म लोन्स हों उनपर चार परसेंट ब्याज लिया जाय और जो शार्ट टर्म लोन्स हों उनपर सवा छः परसेंट लिया जाय। लेकिन

इस पर हमारी सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। तो सहकारिता के सम्बन्ध में जितना हम ध्यान दे रहे हैं वह बहुत कम है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि प्रांविशियल स्फियर पर यहां से और सरकारी अफसरों के लिए थोड़ी देर के लिए यदि आप कोई आदेश भेजें, तो कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज जनता की होनी चाहिए। उनमें अधिक सरकारी हस्तक्षेप उचित नहीं है। जहाँ कहीं कोआपरेटिव के इन्स्पेक्टर किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में गये, और वहाँ उन्होंने देखा कि कोई दूसरा आदमी इन्टरेस्टेड है, बस उन्होंने कह दिया कि इसमें यह नियम विरुद्ध है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। इसलिए सोसाइटियों के रेजिस्ट्रेशन कराने में पालिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर सहकारिता में हमने पार्टीबाजी की तो फिर सहकारिता का मूवमेंट चल नहीं सकता है। इस बात में मैं माननीय मन्त्री जी से सहमत हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटियों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए और मैं समझता हूं कि अगर हम ऐसा करेंगे, तो सहकारिता का मूवमेंट हमारे देश में नहीं चल सकता है। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है, उसकी ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान देंगे। हमारा सहयोग उनके साथ है और वे जहां कहें, हम जाने के लिए तैयार हैं। जनता में आज उत्साह है। जो एजुकेटेड हैं, अनएम्प्लाएड लोग हैं, उनकी सोसाइटियां बनायी जा सकती हैं और उनसे काम लिया जा सकता है। यह एक बड़ा स्कोप हमारे पास है, जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए और जैसा हमारे माननीय मन्त्री जी ने बतलाया, हमें आशा है कि हम रजिस्ट्रार साहब के अमेरिका के तजुर्बे से कुछ लाभ उठायेंगे और अगले साल के बजट में जो आज शिकायतें हैं, वह दूर हो जायेंगी।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं उपाध्याय जी से इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर ने यह नोट लिख दिया कि यह फिजूलखर्ची सोसाइटी ने की है। मैं तो यह समझता हूं कि वह सुपरवाइजर जो है, वह बड़ा योग्य है, और यह उसका फर्ज है कि वह सोसाइटी को फुजूलखर्ची से रोके। अगर इस तरह से सोसाइटीज मिनिस्टर्स या अन्य लोगों पर खर्च करने लगें, तो दीवाला निकल जायगा। तो बजाय इसके कि उस सुपरवाइजर की शिकायत की जाय, मैं तो उसकी तारीफ करता हूं कि उसको प्रोमोशन मिलना चाहिए। इसके साथ मैं एक यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव विभाग के बारे में सन् १९१२ से ऐक्ट लागू है, और अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है, वह यह सब माननीय सदस्य जानते हैं। यह विभाग एक आर्नमेंटल डिपार्टमेंट है और इसका पोर्टफोलियो भी एक आर्नमेंटल रिवार्ड की तरह उपमन्त्री जी को दिया गया है, जिसमें बावजूद इसके कि सरकार का पूर्ण सहयोग हो, जनता भी इसमें सहयोग देना चाहती है, और फिर भी जितनी प्रगति होनी चाहिए, थी, वह नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि यह मूवमेंट सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं चलाया गया। पहले इसको ऋण समिति के तौर पर चलाया गया, उसमें जब कामयाबी नहीं हुई, तो मल्टी परपज सोसाइटी की तरफ हम आ रहे हैं और मल्टी परपज के बाद फार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पूंजी की है और बिजनेसमैन से कम्पिटीशन की है। इस बारे में मन्त्री जी को मुझे यह सुझाव देना है कि कम से कम इस प्रदेश में अभी तक बेटर लिविंग सोसाइटीज की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। बजाय इसके कि और सोसाइटियां खोली जाय और गांवों में बेटर लिविंग सोसाइटीज की स्थापना हो, तो शायद उसमें हम अधिक कामयाब हो सकते हैं क्योंकि उसमें पूंजी की जरूरत नहीं है और अगर हम बेटर लिविंग सोसायटीज की स्थापना करके समाज का फिजूलखर्ची मुकदमेबाजी, मादक वस्तुओं के सेवन करने से रोकना और सफाई पर ध्यान दिला सकें, तो निश्चय हम समाज का आर्थिक और नैतिक स्तर ऊंचा कर सकते हैं। इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा और पंजाब में इस ओर काफी प्रगति हुई है कि इस प्रदेश में भी हमको बेटर लिविंग सोसाइटीज की ओर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त जो सोसाइटीज हैं, वे आर्थिक संकट में

[श्री जयेन्द्र सिंह, विष्ट]

हैं। अध्यक्ष महोदय, कन्ट्रोल के जमाने में भी सोसाइटीज पनप नहीं पायी है, हालांकि कन्ट्रोल्ड आर्टिकिल्स का लाइसेंस सोसाइटीज को दिया जाता था, और इसका कारण यह है कि सप्लाई विभाग और कोआपरेटिव विभाग में कभी कोआपरेशन नहीं रहा। सरकार की नीति यह रही है कि सप्लाई विभाग के अन्डर कोआपरेटिव विभाग रहा। सप्लाई विभाग में करप्शन तो होता ही है, इसलिए सप्लाई आफिसर लोग कोआपरेटिव विभाग के साथ मौतिया बर्ताव करते थे। मैं यह चाहता हूं कि अगर फिर कभी कन्ट्रोल का जमाना आये, तो सप्लाई विभाग को कोआपरेटिव विभाग के अन्डर रखा जाय।

इसके अलावा गाँवों में सुपरवाइजरों की संख्या बहुत कम है। एक सुपरवाइजर के पास बहुत बड़ा दायरा होता है, जिसके कारण वह ठीक सुपरवाइज नहीं कर सकता है। मेरा सुझाव है कि अधिक संख्या में सुपरवाइजरों को रखना चाहिए। मेरी दूसरी अर्ज यह है कि पर्वतीय इलाकों में रजिस्ट्रेशन की लिमिट ५ हजार न रखी जाय, बल्कि वह [illegible] हजार कर दी जाय। इसके अतिरिक्त सोसाइटियों को दुकान के वास्ते अगर जमीन की जरूरत हो तो वह उनको मुफ्त दी जाय ताकि वे अपनी दुकानें वहाँ बना सकें।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)—मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सब से पहले, मैं सहकारी मिनिस्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश का बहुत ही आवश्यक अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। महोदय, जहाँ तक सहकारिता का प्रश्न है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश में इससे हमारी काफी तरक्की हुई है। सहकारिता के आधार पर, आज जब हम अपने पूर्वी जिलों को देखते हैं, तो वे ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। वह जमाना याद है हमको अध्यक्ष महोदय, जब कि देहाती कर्जा देने वाला देहात वालों से एक रुपये पर साल भर में १२ आने सूद वसूल करता था। आज किसानों के लिए यह सौभाग्य का विषय है, कि वह सवा छः परसेंट के लिहाज से कर्जा लेते हैं और काम चलाते हैं। यह सोसाइटीज पहले कर्जा देने वाली सोसाइटी के रूप में रहीं। लेकिन आज उनकी स्थिति दूसरी है। बीज वह देती है, व्यापार वह चलाती है, काश्तकारों का सामान वह अच्छे ढंग से बिकवाती है, यानी हर दिशा में तरक्की कर रही है, और काश्तकारों की रहनुमाई कर रही है, जिससे हमारे देहातों की हालत सुधरती जा रही है।

मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ गोरखपुर में जहाँ सीड स्टोर्स बनकर तैयार हो गये हैं, वहाँ से जनता बीज लेकर आसानी से खेती कर सकती है और अपना काम चलाती है। महोदय, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमारी कोआपरेटिव सोसाइटीज के जो रजिस्ट्रार श्री भारद्वाज जी हैं, जो अभी बाहर से लौटे हैं, उनके काम को मैं पहले से जानता हूं। यह बहुत ही तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, और मुझे आशा है कि हमारे प्रांत का भविष्य उनके द्वारा उज्वल होगा।

महोदय, जहाँ पर इतनी सहूलियतें हैं, वहाँ पर मैं दो तीन बातें सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारे पूर्वी जिलों में तीन साल लगातार सूखा पड़ा और जनता भूख के मारे तबाह थी, सब लोग कराह रहे थे। इस हालत में काश्तकारों का बीज बकाया में पड़ गया और वसूली नहीं हो पायी। आज जब वसूली हुई है, तो ६० फी सदी तथा ८० फीसदी पेनाल्टी लेकर वसूली की गयी है। इससे जनता बहुत दुखी हो रही है। मैं चाहूंगा कि जहाँ पर ऐसी बात है, वहाँ पर हमारे मिनिस्टर साहब ध्यान देंगे और पूर्वी जिलों की जनता को सहूलियत देने की कोशिश करेंगे।

महोदय, दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि गाँवों में जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके चुनाव जब चलते हैं, तो कामदार और सुपरवाइजर्स जाते हैं और वहाँ पर ठीक ढंग से काम न करके केवल कोरम पूरा करने के लिए रजिस्टर में सरपंच वगैरा लिख देते हैं। इसलिए उनकी गतिविधि पर नजर रखी जाय ताकि वह ठीक ढंग से काम करें और जनता सहकारिता के सिद्धान्त को समझ सकें और तरक्की कर सकें।

महोदय, इसके बाद मैं दूसरी चीज आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक बीज की वसूली और वितरण का सवाल है और जहां सीड स्टोर्स हैं वहां पर काश्तकार बीज लेने जाते हैं। यदि कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ पड़ती है, तो बीज देने से इन्कार कर देते हैं और वह काश्तकार तबाह हो कर चले जाते हैं और उनके लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता है, क्योंकि जब तक आगे के आफिसर्स से लिखा पढ़ी की जाय, बोने का मौसम समाप्त हो जाता है। नतीजा यह होता है कि किसी तरह से कर्जा लेकर घटिया किस्म का बीज खेत में डाल लेते हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि ऐसी सुन्दर कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिस से सब काश्तकार अच्छा बीज समय पर पा सकें।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐन्ड ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज के रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रेशन का बड़ा जटिल प्रश्न है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो जाते हैं, तो उन्हें ८, १० मर्तबा वापस आना पड़ता है। मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला था और कई मर्तबा मुझे भी वहां से वापस आना पड़ा। कोई सहूलियत नहीं है। इस लिए कि कोई निश्चित फार्म नहीं है, ताकि उसको भर कर रजिस्ट्रार के आफिस में भेज दिया जाय। मैं यह कहना चाहूंगा कि कम से कम निश्चित फार्म हो जायं, ताकि उसके हर आइटम को भरकर भेज दिया जाया करें, और इस तरह से रजिस्ट्रेशन की सहूलियत हो जाय।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन के समक्ष सहकारिता पर अनुदान आया है, उसके लिए मैं अपने सहकारिता मन्त्री जी को हार्दिक धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सब से प्रथम मुझे वह दिन याद आता है जब कि हम जेलों में यह सोचते थे कि हमारे देश का कल्याण, वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा हो सकता है। जिस देश में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हों, जिस देश में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हों, और आपस में एक दूसरे के प्रति घृणित विचार रखती हों, उस देश में वह कौन सी विधि हो सकती है, जिस विधि से हम सब मिल करके, एक हो करके उस देश का कल्याण कर सकते हैं। यह विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वह एक ही रास्ता है, और वह है सहकारिता। हमारे पूज्य बापू ने सर्वप्रथम सहकारिता का ही सबक हम लोगों को पढ़ाया और उसी के द्वारा, उसी सहकारिता के द्वारा हमारा देश स्वतन्त्र हुआ। जब सन् १९३७-३८ में हमारे यहां हमारी सरकार बनी, तो उस समय एक ग्राम सुधार योजना चली थी और उसके द्वारा सहकारिता का प्रचार किया गया था। हमें यह पूर्ण आशा हो गयी थी कि गरीब किसानों और मजदूरों का कल्याण अवश्य ही सहकारिता के द्वारा होगा। परन्तु दुर्भाग्यवश उस समय चूंकि विदेशी शासन था, हमको वह राजसत्ता छोड़नी पड़ी। फिर उस सहयोगिता को लेकर के हमने उन से युद्ध किया और उसी से हमारी विजय हुई। इसके पश्चात्, हमारे देश के नेताओं ने, सभी पार्टियों के नेताओं ने देश में फिर से राज्य स्थापित किया और यह जो आइडिया सहकारिता का था, उस आइडिया के द्वारा सहकारिता आन्दोलन फिर आरम्भ किया। पर मुझको एक बात खेद के साथ कहनी पड़ती है, और वह यह है कि इस सहकारिता द्वारा जो गिरे हुए लोग थे, जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, जो भूमिहीन थे जिनके पास कोई किसी प्रकार का साधन नहीं था उनके अन्दर सहकारिता के द्वारा सहकारी सोसाइटियां सबसे अधिक होनी चाहिए थीं, जिस में उनके लिए कर्जे की व्यवस्था होती, दस्तकारी की व्यवस्था होती और आपसी मेल जोल और संगठन की व्यवस्था होती, पर दुर्भाग्य की बात है कि जितनी भी सोसाइटियां बनीं, सब बड़े बड़े सेठ साहूकारों की बनी जिनका कि कभी भी कोई सम्बन्ध सहकारिता से नहीं रहा, आज वह सब उसके सभापति बने हुए हैं। ये कोआपरेटिव बैंक्स जितने हैं, उनमें सब लखपती उसके अन्दर मौजूद हैं, और वह गरीब किसान और मजदूर उस से बिलकुल दूर हैं, उनका उसमें कोई स्थान नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, अपने सहकारी मन्त्री जी से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह अधिक से अधिक जो सहकारिता का आन्दोलन चलायें, वह गरीब मजदूरों और किसानों में चलायें, ताकि वह अपनी उन्नति कर सकें, और उस सहकारिता से लाभ उठा

[श्री हरिसिंह]

सकें। आज न उनके अन्दर दस्तकारी है, न उनके अन्दर कोई कर्जा देने की सोसाइटी है। मुझे अपने जिले की याद आती है, कि स्वामी गंगा नन्द जी हैं। उन्होंने ५ सौ से अधिक अपने फंड कायम कर दिये हैं, जो कि उन्हीं के पैसे से चलते हैं। अपने पैसे से ही कर्जा देते हैं और सरकार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अभी जैसे-जैसे माननीय सदस्यों ने जो सुपरवाइजरों की बात कही, वह बिलकुल सही है। सुपरवाइजरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनसे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वह इसमें बाधक बनते हैं और सोसाइटियों को नहीं चलने देते। जितने हमारे उच्च अधिकारी हैं, वह सुन तो लेते हैं, लेकिन वह सुपरवाइजर तो पार्टी में फंसते हैं। तो मेरा यह कहना है कि हम सबको ऐसा आन्दोलन चलाना चाहिए कि जिससे हमारे देश का कल्याण हो और जो छोटे-छोटे लोग हैं, उन सब को उन सोसाइटीज द्वारा रोजगार मिले। जैसे अभी कोआपरेटिव सोसाइटीज या फेडरेशन द्वारा भट्ठों का काम चली है। मुझे जब उन मजदूरों से बात करने का मौका हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्हें फेडरेशन ने ठेका दे दिया है। आज वह स्वयं अपने को उसका मालिक समझते हैं। वह उसका जो लाभ होगा, वह स्वयं अपने लिये पैदा करेंगे। उनमें कमियाँ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कहीं-कहीं ऐसी गलतियाँ हुई हों, जिस से मजदूरों का अहित होता हो। लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गरीब लोग जो बेकार हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा सहकारिता का आन्दोलन बढ़ाया जाय और उनमें सोसाइटीज बना कर कर्जे की व्यवस्था और दस्तकारी की व्यवस्था की जाय।

†श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के सिद्धांत को इस सदन के सभी सदस्य पूरे तौर से मानते हैं। और सब को यह अभिलाषा भी है कि सहकारिता के आधार पर हमारे देश में जितना भी संघटन किया जा सके और जितना भी आर्थिक समस्याएं हल करने का साधन मिल सके, वह होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ उद्योग अब तक किया गया, उस से सहकारी समितियों की संख्या काफी बढ़ी थी। उसके सदस्य भी बहुत काफी हैं और अलावा इसके कि रुपया कर्ज कर देने वाली क्रेडिट सोसाइटीज हों, मल्टीपरपज सोसाइटीज भी काफी तादाद में हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि पाँच साल के भीतर हर गाँव में एक सहकारी समिति हो जाय। इस समय रुपया कर्ज देने की सहकारी समितियाँ और भी बहुत से काम कर रही हैं। उनके बहुत से बीज गोदाम हैं। मैं समझता हूं कि करीब एक हजार के उनके बीज गोदाम मौजूद हैं और बीज गोदामों के लिए अच्छे मकान भी उन्होंने बना लिये हैं। उनको बीज गोदामों से अब काफी मिकदार में बीज मिलने लगा है। इसके अलावा नलकूपों को को आपरेटिव सोसाइटी के जरिये बनाने का जो आयोजन हो रहा है, वह भी बहुत सफल हो रहा है। तीन सौ के करीब मैं समझता हूं कि नलकूप अब तक कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा बनाये गये हैं और और भी इस साल उम्मीद है कि कम से कम दो सौ या तीन सौ और बन जायेंगे। इस ढंग से जो सिंचाई का एक बड़ा प्रश्न है, वह जब इस तरह से सहकारी समितियों के द्वारा हल किया जाता है, तो उससे काफी लाभ हो सकता है और उसमें जनता का अपना हाथ होने से किसी स्टोट अहलकार पतरौल या दूसरे का कोई हाथ नहीं आता है, जिस से उनको कोई तंग नहीं कर सकता। यह उनकी विशेषता है। एग्रीकलचरल वर्कशाप भी कोआपरेटिव तरीके पर मेरठ में खोली गयी, जो कि काफी अच्छी है, और बहुत अच्छा कमा कर रही है। उसका भी ढांचा बड़ा काफी है। पांच साल से भट्ठों को कोआपरेटिव तरीके से खोलने का उद्योग किया गया और अब हमारे सारे प्रान्त में उसका काफी विस्तार हो रहा है, और उनके जरिए एक तो लोगों को कम कीमत में ईंट मिल जाती है, और दूसरे काम काफी मिल जाता है और अनइम्प्लायमेंट कम होता है। लोगों को मकान बनाने के लिए जब ईंटें हर जगह मिल जाती हैं, तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। उससे भी काफी लाभ हो रहा है, और हमारा इरादा उनको बढ़ाने का है, जिससे मजदूरों को काम करने का मौका मिले और उन्नति भी हो।

कुछ कलेक्टिव फार्म्स कोआपरेटिव बेसिस पर खास कर झांसी जिले में कायम किये गये हैं। कुछ कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स के बनाने का भी उद्योग किया गया है। मिल्क सोसाइटीज

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई बनी हुई हैं। उनके जरिये से भी काफी दूध मिल रहा है। इसका विस्तार हो रहा है और कार्यक्षेत्र भी बढ़ रहा है। परन्तु कोआपरेटिव के जरिये हमें बहुत से काम करने हैं। उनमें मन लगा कर काम करने की जरूरत है। एक तो अभी हमारी इन्डास्ट्रियल कोआपरेटिव्ज उतनी नहीं हैं कि जितनी कि होनी चाहिए। हैन्डलूम और बुनकरों की कुछ हैं। परन्तु और ज्यादा उनकी जरूरत है, ताकि ज्यादा सुसंगठित तरीके से कच्चा माल वे पा सकें और फिर उस माल को तैयार करने के लिए जो ज्यादा अच्छे औजार हैं, वे उनको मिल सकें और जो माल तैयार हो उसकी मार्केटिंग के लिए बगैर बीच के दालल के ठीक कीमत उनको मिल सके और वे माल बेच सकें। पढ़े लिखे आदमियों की बेकारी को अगर दूर करना है, तो इन कोआपरेटिव्ज की तरफ हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए। देहात में अब अलावा क्रेडिट के इन कोआपरेटिव्ज के जरिये ऐग्रीकलचर के लिए सीड स्टोर्स खोले गये हैं और जो हल वगैरह हैं उनका भी हर कोआपरेटिव में रक्खे जाने के लिए उद्योग होना चाहिए। कुछ इन्डस्ट्रीज को बनाने के लिये भी कोआपरेटिव्स को यत्न करना चाहिए। इस किस्म की इन्डस्ट्रीज जैसे लेदर का काम, पशुओं की लाशें हैं, उनसे चमड़ा निकालना, उनकी हड्डी का चूरा बना कर खाद के काम में लाना, उसका ब्लड मील बना कर मेन्योर बनाना, ये सब चीजें ऐसी हैं, जो हर जगह मिलती हैं और जिनके इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, उनके जरिये जो उनका गल्ला पैदा होता है, उसे ठीक कीमत पर बिकवा सकें, और आपस में कोआपरेशन के जरिये कुछ माल को रख सकें, ताकि बाद में उनको अच्छी कीमत मिल सके और उनको फौरी जरूरत के लिए कम कीमत पर माल फईन फईन न बेचना पड़े। यह भी बहुत उपयोगी बात है। जो लोग कोआपरेटिव सोसाइटीज में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वे इस ओर ध्यान दें।

हमारे यहां कोआपरेटिव सोसाइटीज ९ रुपये फी सैकड़ा की दर पर लोगों को रुपया देती हैं। मगर पहले का रेट १२ से १५ रुपया सैकड़ा था। पारसाल हमने उसे काट कर ९ कर दिया। लेकिन वह सोसाइटीज की बात है और जो फायदा होता है, वे उसे अपने मेम्बर्स को ही देती हैं। लेकिन जो रुपया कोआपरेटिव फेडरेशन या और तरीके पर मिलता है, वह ज्यादा परसेंट पर मिलता है। मैं भी समझता हूं कि इसकी कोशिश होनी चाहिए कि यह शरह सूद कम हो सके, तो उसे किया जाय पर उसके लिए हमारी इन कोआपरेटिव्ज को आगे बढ़ कर काम करना होगा, जिससे उनके पास पूंजी इकट्ठा रहे, वह डूबे नहीं, उनका रुपया वापस आ सके और उनको ज्यादा सूद न देना पड़े। तभी वह आगे बढ़ कर काम कर सकती हैं। कोआपरेटिव्ज के विस्तार के लिए कोई कमी नहीं है। हर काम में उनकी जरूरत है, और कोआपरेशन से ही हर काम को चलाया जाय। और खास कर जिस मुल्क में लोग ज्यादा गरीब हैं, गरीबों की सहायता कोआपरेशन के जरिये से ही हो सकती है। अमीरों की बात तो अलग रही।

जहां तक ज्वाइन्ट स्टाक सोसाइटीज की बात है, उससे इसका सम्बन्ध नहीं है और न इस अनुदान का ही उस से सम्बन्ध है। इसलिए अगर उसमें कोई दिक्कत हो, तो उसको दूर करना हमारे लिये मुश्किल बात है। परन्तु मैं समझता हूं कि हमारी कोआपरेटिव सोसाइटी का काम इस बात से बहुत चला कि उन्होंने काफी तादाद में कन्ट्रोल की हुई चीजों का व्यवहार किया और अब भी कुछ कपड़े का काम कर रही हैं। मगर यह कोई उनके लिए लाभप्रद बात नहीं है। उसके लिए तो कंज्यूमर सोसाइटी की अपनी सोसाइटी हो जो माल देकर अपना काम चलावे, वह एक चीज है। मगर ऐसा होना कि थोड़े दिन चलीं, फिर न रहीं और उसी आधार पर कोआपरेटिव सोसाइटी चली, तो वह बलशाली नहीं हो सकतीं। उसमें ऐसे पदार्थ लिये जाने चाहिए कि जो निरन्तर चल सकें। अब कन्ट्रोल की नीति बदल गयी और उनकी हालत हल्की हो गयी और भी बहुतों की हल्की हुई और समितियों को धक्का लगा। तो यह चीजें नहीं होनी चाहिए।

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

दूसरी बात जो मैं जरूरी समझता हूं वह यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में गबन होता है। जिम्मेदारी सोसाइटी की है। उनको इस तरह से काम करना चाहिए कि उनके रुपये का गबन न हो। जब वह गाफिल हो जाते हैं, तो गबन करके तोताचश्मी करते हों, या खुद ही किसी तरह से उसकी तरफ पीठ फेर लेते हों, और शिरकत कर लेते हों, तो फिर बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर हैं, वह सजग रहें, वह अपना काम ठीक तरह से करें। पहले जो आडिट होता था, वह कोआपरेटिव डिपार्टमेंट आडिट करता था अब आडिट विभाग अलग कर दिया गया है, ताकि आजाद तरीके पर आडिट हो। आडिट कोआपरेटिव के अन्डर में स्वतन्त्र रूप से नहीं होता था, इसलिए ऐसा करना जरूरी हुआ, ताकि जो नुक्स हैं, वह न रहें। अब आडिट का काम ठीक तरीके से होगा। इन सब बातों के होते हुए भी यह कोआपरेटिव का काम ठीक तरह से तभी चल सकता है जब कि जो वास्तव में मेम्बर हैं वही उसको चलायें। सरकारी कर्मचारियों के ठेलने से वह नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो कमजोर ही चलेगा, और वह लोग सही रास्ते पर उसको चलायेंगे।

इसलिए इस बात की जरूरत है कि इसका जो कोआपरेटिव मूवमेंट हो, वह एक सही तरीके पर स्वयं इन्डिपेंडेंट मूवमेंट होना चाहिए और मैं समझता हूं कि कुछ हद तक सही है कि सरकारी आहलकारों पर जो अपना भरोसा रखते हैं वह अच्छा है और उनकी मदद उनको मिलनी चाहिए। मगर फैसला उनका ही होना चाहिए और उनमें किसी की दस्तन्दाजी नहीं होनी चाहिए। सुपरवाइजरों का काम तो एक यह है कि वह सुपरवाइज करें, और अगर कोई बात गलत हो, तो उसकी रिपोर्ट दें, और ठीक हो, तो उसको बतलायें। मगर यह कि उनके काम के वही कर्ता-धर्ता हो जायें, यह तो कोआपरेशन को खत्म कर देने वाली बात है। कोआपरेशन को सपोर्ट किया जाय और उसके उत्साह को बढ़ाना चाहिए और कोआपरेटिव डिपार्टमेंट वालों को उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि उनका यह ख्याल न हो कि इस कोआपरेशन में अगर गैर सरकारी लोग हों, तो उनका प्रभाव ज्यादा होगा, तो शायद हमारी बात नहीं चलेगी। यह उनका गलत खयाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटी मिले, जो कि अपनी राय खुद कायम करे और कोई कमजोरी रखती हो तो वहां पर कोआपरेटिव डिपार्टमेंट भी काम करे और उस कमी को समझना चाहिए। इसलिए कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जितने भी आदमी हैं, उनकी कोशिश बराबर यह होनी चाहिए कि वह जो पूरा सीधे अपने पैरों पर खड़ा न हो सकता हो, उसको भी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनावें। इस आधार पर कोआपरेटिव सोसाइटीज अच्छी तरह से चल सकती हैं और उसके अन्दर कोई राजनैतिक गुंजाइश नहीं है। वहां सभी को मिल जुल कर काम करना है, इस तरीके से ताकि कोआपरेटिव्ज में शरीक होने वाले यह न समझें कि कोई फायदा नहीं हुआ और मायूस हों। यह ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे लोगों का भरोसा उठ जाता है। कोआपरेटिव का बड़ा भारी क्षेत्र है। गवर्नमेंट का जहां तक सम्बन्ध है, वह मदद देना चाहती है। मुझे हाल ही में बाहर वाले मुल्क के लोग मिले थे और उन्होंने यह कहा था कि तुम सबसिडी देकर कोआपरेटिव्ज को बिगाड़ते हो। कुछ भी इनको मत दो और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने दो। मगर हमारे यहां अभी इतनी अधिक कोआपरेटिव्ज की आमदनी नहीं है कि वह खासी रकम जो हम उसको दे रहे हैं, उसे बन्द कर सकें, तो चल सकें। मगर कार्य इस तरह से करना चाहिए कि सब एक साथ मिल कर सफलता प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर सोसाइटियां खड़ी हो सकें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी का भाषण सुन कर बड़ी तसल्ली हुई और जो मैं कहना चाहता था, वही उन्होंने कह दिया। हमें सरकार से कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रार्थना है कि वह सुपरवाइजर्स को हटा लें, यही बड़ी भारी सब्सिडी होगी। जैसा मैंने मिसाल बतायी, वह एक बलीक है। कोआपरेटिव

आफिसर यह कह देता है कि फलां फलां को छांटना और फेडरेशन के लिए शेयरों के रुप मंजूर करवा लेना। गांव के लोग सीधे सादे होते हैं, और सुपरवाइजरों के गुट के कारण सहकारिता नहीं चल पाती है। हमारे यहां पहाड़ों पर नामिनल रायल्टी पर सहकारिता को हर्व्स का काम दे दिया गया है और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने हमको ठेके देने के लिए भी दर्ज कर लिया है। मैं इनवाइट करता हूं अपने नये रजिस्ट्रार साहब को जो डेनमार्क, इजराईल और न जाने कहां कहां होकर आये हैं, कि वह एक या दो जगह छांट लें, और हम दिखा देंगे कि हमारे यहां कैसी सफलता से चलती हैं। हमारे यहां कोई बड़े कैपिटलिस्ट नहीं हैं और मैं उनकी बात ज्यादा कहना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर सचमुच हम सहकारिता के सिद्धांतों को गांव वालों के सामने रख दें, तो कौन ऐसा है, जो हमारा साथ नहीं देगा? पहले लोग तेल और चीनी के लिए सोसाइटी में आते थे। लेकिन आज वह हालत हो रही है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जो गलतियां हों, उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। रिजर्व बैंक से हम कर्जा ले सकते हैं, जिसका हम इस समय फायदा नहीं उठा रहे हैं। उसका हम कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। अगर हमारी सोससाइटीज ठीक तरह से काम नहीं करेंगी, तो वह सारी की सारी चीजें जो बतायी गयी हैं, गिर जायेंगी। हमारी स्टेट में स्टेट फेडरेशन नें मोटर का काम शुरू किया, लेकिन वह फेल हो गया। क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं था। अगर इसी तरह से सोसाइटीज ने ठीक तरह से काम नहीं किया तो नहीं रह सकेंगी। माननीय मंगला प्रसाद जी इस काम में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा इस काम में दिलचस्पी लेनी चाहिए। उनको और इस काम को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्लानिंग के काम कोआपरेटिव के जरिये से होने चाहिए। हमने अपनी ग्राम सभा में चाय पानी का इन्तजाम करने के लिएसोसाइटी से २००–२०० रु० मंजूर कराये थे। क्योंकि प्लानिंग से तो रुपया बाद को मिलता था, इसलिए सोसाइटी से वह रुपया दे दिया जायगा, ऐसा तय कर दिया था। लेकिन वही महाशय जो उस समय वहां मौजूद थे, वहां से चले गये और कहा कि एम० एल० ए० कौन होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसी बात है, तो हम किस प्रकार से डेवेलपमेंट के कार्यों को कर सकते हैं। यह दूसरी बात है कि हम किसी का स्वागत करें, या न करें, लेकिन यह हमारी प्रथा रही है कि जो हमारे यहां आता है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं तो इस बात को कहता हूं कि एक सुपरवाइजर की यह हिम्मत कि वह ऐसी बातें करे। मैं और ज्यादा न कहकर मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि, जो सुझाव मैं रखना चाहता था, वे उन्होंने खुद रख दिये। लेकिन अपना कटमोशन वापिस नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि इसमें और भी दूसरी चीजें हैं, जब तक वे ठीक न हो जायंगी, तब तक मैं अपना कटमोशन वापस नहीं ले सकता।

श्री मंगलाप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उपाध्याय जी ने रजिस्ट्रार ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज के बारे में कुछ कहा, लेकिन चूंकि वे गवर्नमेंट आफ इन्डिया से ताल्लुक रखते हैं, हमारे यहां से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इस लिए हम उनके विषय में कुछ नहीं कर सकते। यह भी कहा गया है कि पेनलटी और इन्टरेस्ट की रकम अकाल पीड़ित स्थानों पर भी काफी सख्ती से वसूली की गयी। लेकिन मेरे पास जहां कहीं से इत्तिला आयी और लोगों की जहां से दरख्वास्तें आयीं, तो जितना डिच्यू था, उसके अलावा सारी पेनाल्टी और इन्टरेस्ट को माफ कर दिया। बशर्ते कि उन्होंने पूरा असली रुपया अदा कर दिया। अब भी कहीं ऐसी बात हो तो उसके लिए आप बतायें उसको भी माफ करने की कोशिश की जायगी। माननीय उपाध्याय जी ने अपने इलाके के बारे में बहुत सी बातें कहीं। मैं इनके इलाके में बहुत घूमा हूं। कन्ट्रोल के जमाने में जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से राशन का काम होता था, वहां उसके टूटने से असर हुआ है, लेकिन देहातों में उसका असर अधिक नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता के अन्तर्गत ६२,२०,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का आगामी कार्यक्रम

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—मैं कल के लिए यह प्रोग्राम बतला रहा हूं :—

(१) उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य (संशोधन) विधेयक का पुरःस्थापन।

(२) उत्तर प्रदेश पंचायत राज पदावधि अनुपूरक विधेयक, १९५४ पर विचार तथा पारित होना, जो कि कौंसिल से आया है।

(३) श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि बनारस समझौता पुष्टीकरण (और सम्पत्ति संक्रामण) विधेयक, १९५४ पर विचार तथा उसका पारित होना।

(४) यू० पी० मोटर वैहिकिल्स रूल्स, रेवेन्यू कोड मैनुअल तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५१ में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार, जो कि सदन की मेज पर २२ फरवरी, १९५४ को रखे जा चुके हैं।

यह तीन आइटम पहले के हैं और सिर्फ एक आइटम ऐसा है जो बिल है और जो पेश करना है वह तो सिर्फ पेश होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया)।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१० मार्च, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ तथा ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४५ पर।)

वर्तमान सत्र के तीसरे बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या ७ तथा ८

क्रम संख्या	नाम ग्राम सभा	प्रश्न संख्या ७ दिनांक १०-१२-५३ तक ग्राम सभाओं के वैयक्तिक लेखे में उपलब्ध धनराशि जो तहसील में जमा है			प्रश्न संख्या ८ प्रयेत्क ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव की संख्या जिनका भुगतान किया जा चुका है
१	२	३			४
		रु०	आ०	पा०	
१	घंघौला	८९२	१	९	२
२	सलेमपुर गूजर ..	६०	१	३	२
३	दाबूपुर दनकौर ..	—			१
४	दलेलगढ़ ..	८४९	५	६	२
५	कनारसी ..	२५५	११	६	२
६	नवादा ..	२५१	७	६	१
७	लड़पुरा ..	४००	१५	११	२
८	इमलियाका ..	५०	१३	३	१
९	कासना ..	११८७	४	०	—
१०	कोंडली ..	४९९	३	६	—
११	अट्टा गूजरान ..	४	३	३	—
१२	खेरलीभाव ..	१,०९१	१	३	८
१३	लतीफपुर ..	१,१४६	६	८	१
१४	नीलौनी शाहपुर ..	३३५	१४	११	५
१५	मिर्जापुर ..	९५२	०	१	६
१६	अछेजाबुजुर्ग ..	११८	१५	९	७
१७	पारसौल ..	६३३	११	६	९
१८	उसमानपुर ..	७७३	१४	९	६
१९	भट्टा ..	६६८	९	७	१४
२०	बैलाना ..	१,२६३	१४	१	१३
२१	उटरावली ..	५९४	२	९	७
२२	चौकी ..	२६५	४	६	११
२३	झाझर ..	२,१४८	८	५	७
२४	इनायतपुर ..	५७६	५	८	४
२५	धनौरी ..	८२५	१२	३	६
२६	चूचला ..	४५९	१४	६	४
२७	ठसराना ..	३१५	१४	०	३
२८	बांजरपुर ..	१९७	१४	०	८
२९	ऊंचीदनकौर ..	४७३	१	९	२
३०	ईसेपुर ..	७८	१	७	९

क्रम सं०	नाम ग्राम सभा		प्रश्न संख्या ७ दिनांक १०-१२-५३ तक ग्राम सभाओं के वैयक्तिक लेखे में उपलब्ध धनराशि जो तहसील में जमा है			प्रश्न संख्या ८ प्रत्येक ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव की संख्या जिनका भुगतान किया जा चुका है
१	२		३			४
			रु०	आ०	पा०	
३१	मुहाना	..	२८४	११	११	१०
३२	फकाना	..	३८०	१०	८	४
३३	दादूपुरनीला	..	२०	१३	३	२
३४	शहपानी	..	४९९	१०	०	५
३५	गाजीबंनीपुर	..	१,४१६	३	०	४
३६	रिटौली	..	१,५४९	६	३	२
३७	मंडावरा	..	१,०४६	८	१	६
३८	सिरौंधन	..	१,२९९	१५	४	६
३९	इसमाइलपुर	..	६५४	५	११	८
४०	ऐबिलसूरी	..	७६१	११	०	१२
४१	पिलखनवाली	..	२८६	११	५	५
४२	चंदेरू	..	१४२	२	१०	८
४३	बीरखेड़ा	..	५	१०	६	१०
४४	मोहम्मदपुर कलां	..	८९	०	९	५
४५	चन्द्रावली	..	६०६	१	९	८
४६	सरायघासी	..	८६०	१३	०	९
४७	ढेआढा	..	—	—	—	९
४८	प्रानगढ़	..	१,०२९	३	६	९
४९	जौली	..	३९८	१५	६	१२
५०	मसौता	..	३७१	१	०	२
५१	चीती	..	१,९५५	०	७	१०
५२	देवटा	..	३२५	५	२	६
५३	अस्तौली	..	१,६०५	३	८	५
५४	हरनौटी	..	६५४	७	६	१
५५	भौंरा		१,८८८	१५	४	—
५६	महेपा		२०७	१४	६	१
५७	बड़ौदा	..	१,०८१	८	०	३
५८	बैरबादशाहपुर	..	१,५१९	१	३	१
५९	सुनपेड़ा	..	४०८	०	९	५
६०	सलेमपुर	..	६१५	४	७	२

सत्यमेव जयते

क्रम संख्या	नाम ग्राम सभा		प्रश्न संख्या ७ दिनांक १०-१२-५३ तक ग्राम सभाओं के वैयक्तिक लेखे में उपलब्ध धनराशि जो तहसील में जमा है			प्रश्न संख्या ८ प्रत्येक ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव की संख्या जिनका भुगतान किया जा चुका है
१	२		३			४
			रु०	आ०	पा०	
६१	आजमपुरहुसैनपुर	..	१,०१६	११	०	६
६२	घनौरा	..	३०५	९	१०	३
६३	निठारी	..	९०२	१४	६	२
६४	रसूलपुर रिठौरी	..	०	४	३	—
६५	बंचावली	..	२९२	५	१	७
६६	फतहपुरजादों	..	३०८	११	११	३
६७	बिरौंरीफौलादपुर	..	४२७	९	३	९
६८	चाला	..	६८	०	३	७
६९	घमेडा नाडा	..	२८५	९	२	७
७०	रुपवासपचगोई	..	२९६	११	६	७
७१	गांगरौल	..	१,०२६	२	४	५
७२	खानपुर	..	३७४	२	११	५
७३	कनकपुर	..	०	४	३	—
७४	नयाबांस	..	१,२९९	८	४	४
७५	सैदमपुर	..	३१८	१०	६	२
७६	छपरौला	..	६६५	१५	६	१
७७	दरयाई	..	१,३६५	८	६	१
७८	बिशूनली	..	१९४	१५	९	२
७९	कचैंडावारसाबाद	..	७८४	१४	५	२
८०	अछेजा	..	८८२	०	०	२
८१	सादोंपुर	..	३९७	११	९	४
८२	यादलपुर	..	१९१	५	११	४
८३	दुजाना	..	१२१	७	०	३
८४	कूंठीखेड़ा	..	३५७	११	९	२
८५	शादीपुर छिडाली	..	१४०	३	५	—
८६	बम्बाव	..	९८२	९	९	१
८७	बिसाडा	..	९१	१५	०	३
८८	धूममानकपुर	..	६०४	१३	०	६
८९	बढ़पुरा	..	४२२	५	१	२
९०	प्यावलीताजपुर	..	४५२	६	९	५
९१	आकिलपुरजागीर	..	१११	१२	३	१
९२	पटावी	..	४१०	७	६	—
९३	रानौलीलतीफपुर	..	३६२	६	७	५

क्रम सं०	नाम ग्राम सभा		प्रश्न संख्या ७ दिनांक १०-१२-५३ तक ग्राम सभाओं के वैयक्तिक लेखे में उपलब्ध धनराशि जो तहसील में जमा है			प्रश्न संख्या ८ प्रत्येक ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव की संख्या जिनका भुगतान किया जा चुका है
१	२		३			४
			रु०	आ०	पा०	
९४	सालारपुर कलां	..	३३८	९	३	—
९५	खटानाधीरखेड़ा	..	७९	५	९	४
९६	चिटैहरा	..	८२७	०	३	१
९७	नई बस्ती	..	७५	०	३	—
९८	कोट	..	४१९	०	३	७
९९	लुहारली	..	९३५	१३	३	५
१००	खंडरा	..	८५६	१४	६	—
१०१	गुलावठी खुर्द		३६५	३	३	—
१०२	जारचा	..	५,०००	१४	८	२
१०३	कलौंदा	..	४६८	६	४	३
१०४	छौलस	..	१,३६०	२	३	२
१०५	छांयसा	..	२८०	१५	६	५
१०६	सेंथली	..	२,४४९	७	३	—
१०७	गैसूपुर	..	२,६८४	४	०	३
१०८	सनौटा	..	५८८	९	९	४
१०९	भराना	..	४३९	०	३	४
११०	कांवरा	..	६३३	३	३	—
१११	सांवली	..	५८४	११	११	८
११२	तिलबेगमपुर	..	८९५	११	३	४
११३	दौलारजपुरा	..	३५	२	११	२
११४	फरीदपुर	..	२२२	१३	१०	५
११५	हसनपुर जागीर	..	१,२२८	५	५	८
११६	चीरसी	..	—			४
११७	जमालपुर	..	६५७	११	९	२
११८	मांहचा	..	१६	१५	०	१
११९	रिठैरी	..	१४३	०	०	४
१२०	केमराला चकरसेनपुर	..	१,५६६	६	४	५
१२१	घोड़ा बछेड़ा	..	२,४७२	१३	६	९
१२२	बिरौंडी चकरसेनपुर	..	८०२	०	५	३
१२३	तिपताकरनवास	..	७७३	२	११	९
१२४	पल्ला	..	७२९	१५	३	७
१२५	चमरावली बोड़ाकी	..	३०७	१२	१	५
१२६	पाली	..	१,३४९	५	१	४

क्रम सं०	नाम ग्राम सभा	प्रश्न संख्या ७ दिनाँक १०-१२-५३ तक ग्राम सभाओं के वैयक्तिक लेखे में उपलब्ध धनराशि जो तहसील में जमा है			प्रश्न संख्या ८ प्रत्येक ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव की संख्या जिनका भुगतान किया जा चुका है
१	२	३			४
		रु०	आ०	पा०	
१२७	आमका	.. ३०५	५	९	७
१२८	खोदनाकलां	.. ४०९	१०	६	६
१२९	खेड़ी	.. ३३४	८	९	४
१३०	सेनी	.. ९००	३	९	२
१३१	बैदपुरा	.. २५७	१२	५	९
१३२	सादुल्लापुर	.. १३१	१३	४	५
१३३	पतवारी	.. ४३०	१३	३	४
१३४	रोजाजलालपुर	.. ६०१	८	८	२
१३५	चिप्याना बुजुर्ग	.. ५३२	१२	५	३
१३६	बहलोलपुर	.. ४६२	१२	९	२
१३७	परथला खंजरपुर	.. १,३१०	१०	९	४
१३८	बिसरखजलालपुर	.. ३२५	१२	०	१
१३९	खैरपुरगूजर	.. ४७२	१२	३	२
१४०	हल्दोनी	.. ३९३	२	९	४
१४१	सूरजपुर	.. २०६	२	३	४
१४२	मामूरा	.. ८१८	९	११	४
१४३	सोहरखा	.. ३७८	३	३	४
१४४	शरफाबाद	.. ३६३	१४	६	४
१४५	बरौला	.. ५१८	४	०	३
१४६	हरौला मकनपुर	.. २८५	४	३	४
१४७	छलैरा	.. ५९४	७	०	३
१४८	सदरपुर	.. ५५२	५	५	३
१४९	नगला चरनदास	.. २१३	३	६	५
१५०	गेझातिलतफाबाद	.. ६०५	१२	०	८
१५१	दोस्तपुरमंगरौली	.. ३९१	१२	३	५
		कुल प्रस्ताव			६४६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४९ पर।)

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र करीमुद्दीनपुर में श्रमदान में पूर्ण किये गये कार्य का विवरण

(१) जनतंत्र सप्ताह के अवसर पर आयोजित श्रमदान में—

(२६-१-५३ से १-२-५३ तक)

कार्य	निर्धारित लक्ष्य		पूर्ण कार्य		अवशेष कार्य		कार्य अधूरा रहने का कारण	अन्य विवरण
	कार्य सं०	परिमाण	कार्य सं०	परिमाण	कार्य सं०	परिमाण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१—सड़क निर्माण	३४	१२ १/२ मील	२२	८ मील ४ फर्लांग १७ गज	१२	३ मील ७ फर्लांग २०३ गज	सप्ताह की समाप्ति पर ग्रामीण गन्ने की पेराई तथा अन्य कृषि कार्य में लग जाने हेतु योग दान न कर सके	
२—सड़क मरम्मत	२९	१४ १/४ मील	२८	१२ मील ७ फर्लांग १८२ गज	१	१ मील २ फर्लांग ३८ गज		
३—बाँध निर्माण	२१	४ १/४ मील	१४	२ मील ७२० गज	७	१ मील १४८० गज		
४—बाँध मरम्मत	१०	५ ३/४ मील	५	१ मील १००३ गज	५	४ मील ३१७ गज		
५—पोखरी मरम्मत	३९	९०८६२० घनफीट	२०	४५६३१० घनफीट	१९	४५२३१० घनफीट		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(२) राष्ट्रीय विकास पक्ष के अवसर पर आयोजित श्रमदान में—

(१-५-५३ से १५-५-५३ तक)

कार्य	निर्धारित कार्य सं०	लक्ष्य परिमाण	पूर्ण कार्य कार्य सं०	पूर्ण कार्य परिमाण	अवशेष कार्य सं०	अवशेष कार्य परिमाण	कार्य अधूरा रहने का कारण	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१—पोखरे की खोदाई	१०	४१२८२२ घनफीट	१८	५४२३१० घनफीट	—	—		निर्धारित लक्ष्य से ८पोखरोंकी खुदाई अधिकहुई ।
२—बाँध	—	—	५	४०००० घनफीट	—	—		
३—सड़क मरम्मत	—	—	—	१४५० गज	—	—		

*(३) उपरोक्त अवसरों के अतिरिक्त आयोजित श्रमदान म—

१—सड़क निर्माण	१४	१३ मील	अब तक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये पूर्व लक्ष्य इस कारण से पूर्ण नहीं किये जा सके कि राष्ट्रीय विकास पक्ष के बाद ही भीषण वर्षा एवं बाढ़ ने इस कार्य की पूर्ति को असम्भव कर दिया । इस भीषण बाढ़ के फलस्वरूप आज भी कहीं कहीं बाँध निर्माण वाले स्थानों पर काफी पानी लगा है जिससे मिट्टी खोदकर बाँध निर्माण तथा मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता ।
२—सड़क मरम्मत	८	१० मील	
३—बाँध निर्माण	१	६० गज	
४—बाँध मरम्मत	३	३ मील	
५—पोखरों की मरम्मत	१९	४५२३१० घनफीट	

*नोट—दोनों श्रमदानों में जो कार्य नहीं किया जा सका था तथा अन्य कार्य ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १५९ एल० ए०—१९५४—८५० ।